राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिक हिंदी पत्रिका

संपादक
राजमणि तिवारी

उप संपादक
हरिहर प्रसाद द्विवेदी

वर्ष-2 अंक—6 और 7 जुलाई–दिसम्बर 1979

विषय-सूची

		पृ० सं०
1	अपनी बात	2
2	भारतीय संविधान में भाषा संबंधी व्यवस्थाएँ :	3
3	शिक्षण—प्रशिक्षण :	6
(1)	अन्य भाषा के रूप में हिंदी का प्रशिक्षण —श्री जीवन नायक	6
(2)	हिंदी के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता —श्री शांत कुमार सराफ	10
4	केन्द्रीय हिंदी समिति तथा राजभाषा संबंधी अन्य समितियाँ :	12
(1)	केन्द्रीय हिंदी समिति की 17वीं बैठक के प्रमुख निर्णय	12
(2)	गृह मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति--एक परिचय और महत्वपूर्ण निर्णय —श्री वल्लभशरण	14
(3)	राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का योगदान —श्री हरिबाबू कंसल	51
(4)	विदेश मंत्रालय में हिंदी	17
(5)	श्रम मंत्रालय में हिंदी	18
(6)	मेडिकल कालेजों और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में भारतीय भाषाओं का प्रयोग	19
5	हिंदी के बढ़ते चरण :	20
(1)	कृषि और सिंचाई मंत्रालय में हिंदी की प्रगति —श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त	20
(2)	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में हिंदी —श्री रामरज मिश्र	25
(3)	इंडियन आयल कारपोरेशन में हिंदी की प्रगति	27
(4)	एच० एम० टी० में हिंदी —श्री राजेश्वर सिंह	29
6	स्वेच्छा सेवी हिंदी संस्थाओं की हिंदी सेवा —डॉ० रत्नाकर पांडेय	32
7	यांत्रिक साधन एवं सुविधाएँ :	37
(1)	भारत का दूसरा उपग्रह 'भास्कर' —हरिहर प्रसाद द्विवेदी	37
(2)	देवनागरी टेलीप्रिंटर के कुंजीपटल में सुधार	40
(3)	पुलिस तारों को हिंदी में भेजने की व्यवस्था	42
(4)	देवनागरी लिपि में तार भेजने में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उपाय	44
8	आदेश—अनुदेश :	
(1)	टिप्पण और आलेखन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नकद पुरस्कार योजना	45
(2)	अनुवाद का कार्य मानदेय के आधार पर करवाना	47
9	समाचार	48
10	हिंदी कहाँ और कितनी ?	52
11	पाठकों के पत्र	54
12	संशोधित हिंदी वर्णमाला—	55

पत्र व्यवहार का पता : संपादक, 'राजभाषा भारती', राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
प्रथम तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली--110003
फोन नं० 617657 / 617807

अपनी बात:

भारत वर्ष एक प्रजातांत्रिक देश है । प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह अत्यावश्यक है कि देश का प्रशासन, वाणिज्य, व्यवसाय, वैज्ञानिक और तकनीकी कार्य इत्यादि देश की जनता की भाषा में हों । जब तक ये कार्य जनता की भाषा में नहीं होंगे तब तक न तो जनता को संतोष होगा और न ही प्रशासन सुचारु रूप से संचालित किया जा सकेगा । इसी बात को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान हमारे देश के नेताओं ने जनता को वचन दिया था कि जब अपना देश आजाद होगा तो सारा काम जनता की भाषा में किया जाएगा । गांधी जी ने जो कार्यक्रम शुरू किए थे उनमें एक कार्यक्रम राष्ट्रभाषा के प्रचार का भी था । सौभाग्य से उस समय सभी लोगों का मत एक ही था और खुशी की बात यह थी कि अहिन्दी भाषियों ने राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार को गति दी थी । वे ही इसके प्रचार के अग्रणी थे । जब संविधान बना तब सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि केन्द्र में हिन्दी अंग्रेजी का स्थान लेगी । उस समय हिन्दी के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए 15 साल की मोहलत दी गई और यह आशा की गई कि इस अवधि में हिन्दी प्रशासन के काम के योग्य बन जाएगी तथा जिन्हें हिन्दी का ज्ञान नहीं है, वे भी इसका कार्यकारी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे । किन्तु ऐसा न हो पाने के कारण तत्कालीन स्थिति को देखते हुए 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया जिसमें 1967 में कुछ संशोधन किया गया तथा यह व्यवस्था की गई कि हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी तब तक चलती रहेगी जब तक सभी राज्य सरकारें इसके लिए प्रस्ताव न पास करें और संसद के दोनों सदनों में भी इस तरह का प्रस्ताव न पास किया जाए । इस निर्णय के अनुसार संघ सरकार के कामकाज में द्विभाषिकता की स्थिति चल रही है । फिर भी संविधान निर्माताओं की मंशा को देखते हुए और सभी की सुविधा का ध्यान रखते हुए हमें धीरे-धीरे हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना है । यह हमारी राष्ट्रीयता की चुनौती है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए । आज जरूरत इस बात की है कि लम्बे-लम्बे भाषणों को छोड़कर हम हिन्दी के व्यवहार पक्ष पर अधिक ध्यान दें । हमें विश्वास है कि यदि हम अपना दैनिक काम हिन्दी में करने लगें तो हमारी बाधाएँ अपने आप दूर हो जाएँगी ।

"राजभाषा भारती" के माध्यम से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि संघ सरकार के कार्यालयों में ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे लोगों को राजभाषा संबंधी नियमों, कानूनों तथा आदेशों की जानकारी तो मिले ही साथ ही सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की भी एक तस्वीर प्रस्तुत की जा सके । अब तक प्रकाशित पांच अंकों के संबंध में पाठकों तथा विशिष्ट व्यक्तियों आदि से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखकर हम इस पत्रिका को और व्यावहारिक तथा उपयोगी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसे नियमित बनाने की दृष्टि से छठें और सातवें अंक को संयुक्त रूप में प्रकाशित कर रहे हैं । इस अंक से हम जिन नए स्तंभों के अन्तर्गत सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं वे हैं शिक्षण-प्रशिक्षण, हिन्दी के बढ़ते चरण, यांत्रिक साधन और सुविधाएँ, आदेश—अनुदेश आदि । इस अंक से हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी के बढ़ते कदम के संबंध में भी कुछ सूचनाएँ दे रहे हैं जिसके अन्तर्गत हम भारत के दूसरे उपग्रह "भास्कर" का विवरण और विज्ञान कि इस उन्नत तकनीक पर हिन्दी में लिखी गई पुस्तक "भास्कर" से पाठकों का परिचय करा रहे हैं । प्रस्तुत पुस्तक इस बात का प्रमाण है कि विज्ञान की जटिल से जटिल तकनीक को हिन्दी के माध्यम से आसानी से प्रकट किया जा सकता है ।

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों आदि में हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए कई प्रकार की समितियाँ काम कर रही हैं । हिन्दी के मामले में केन्द्रीय हिन्दी समिति नीति निर्धारण संबंधी सर्वोच्च समिति है, जिसके प्रमुख निर्णय हम पिछले अंकों से बराबर प्रकाशित करते आ रहे हैं । इस अंक से हम कुछ मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकों के प्रमुख निर्णयों तथा अन्य समितियों की बैठकों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने की शुरुआत कर रहे हैं।

हमारा देश एक विशाल देश है । इसमें अनेक उन्नत भाषाएं हैं । इनके सहयोग से राजभाषा हिन्दी का विकास इस प्रकार करना है, जिससे वह एक व्यापक भाषा का रूप धारण कर सके और समूचे देश की सेवा करने के लिए सक्षम बन सके । इस प्रकार की हिन्दी के विकास के संबंध में संविधान की धारा 351 में स्पष्ट निदेश दिए गए हैं जिसका हमें निरंतर ध्यान रखना है । अतः पाठकों से अनुरोध है कि इस पत्रिका के लिए सामग्री भेजते समय संविधान के इस भाषा संबंधी निदेश को बराबर ध्यान में रखें और जहाँ तक संभव हो अन्य भाषाओं के शब्दों, मुहावरों आदि का प्रयोग करने में संकोच न करें । वास्तव में वही भाषा जिन्दा रह सकती है और प्रगति कर सकती है जिसकी पाचन शक्ति प्रबल हो । अतः निवेदन है कि "शुद्धता" के नाम पर हिन्दी को एकांगी दुर्बल और सीमित न बनाया जाए बल्कि इसे सतत प्रवाहित विचारों की ऐसी सरिता बनने दिया जाए जो गंगा की तरह सर्वमान्य और महान हो ।

—सम्पादक

भारती संविधान में भाषा संबंधी व्यवस्थाएँ :

संविधान ने हमें अवसर दिया है हमारा दिशा-निर्देश किया है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इच्छित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका किस प्रकार इस्तेमाल करें ।

हमारी सरकार देश और जनता की सेवा के लिए है और जनता के निकट जाने का सबसे सुगम रास्ता जन-भाषा में कामकाज करना है। इसीलिए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भाषा जैसे नाजुक मसले पर बहुत सोच विचार कर निर्णय लिया है और भारत के संविधान में इस संबंध में विभिन्न व्यवस्थाएँ की हैं। यद्यपि संविधान में भाषा के संबंध में काफी विस्तृत व्यवस्था की गई है फिर भी सर्वसाधारण को इसकी अच्छी जानकारी न होने के कारण प्रायः लोगों में तरह-तरह के भ्रम पैदा होते रहते हैं। अतः जरूरी है कि संविधान में की गई भाषा संबंधी व्यवस्थाओं को पुनः एक साथ समेकित रूप में प्रचारित किया जाए । इसी उद्देश्य से भाषाओं के संबंध में संविधान में की गई व्यवस्थाओं का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । अगले अंकों में क्रमशः इन व्यवस्थाओं की व्याख्या प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव है ।

343. संघ की राजभाषा :

(1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी । संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा ।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी :

परंतु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा, उक्त पंद्रह साल की कालावधि के पश्चात्–

(क) अंग्रेजी भाषा का, अथवा

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हों ।

344. राजभाषा के लिए आयोग और संसद् की समिति –

(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिल कर बनेगा जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे, तथा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया भी आदेश परिभाषित करेगा ।

(2) राष्ट्रपति को–

(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के,

(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धनों के,

(ग) अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के,

(घ) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप के,

(ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा किए हुए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करने का आयोग का कर्त्तव्य होगा ।

(3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक सेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक् ध्यान रखेगा ।

(4) तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी जिनमें से बीस लोकसभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो कि क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे ।

(5) खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को करना समिति का कर्त्तव्य होगा ।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस सारे प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा ।

345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ:

अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा :

परंतु जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा इस से अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के लिए इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी ।

346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा :

संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा होगी :

परन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिए राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिए वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी ।

347. किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध :

तद्विषयक माँग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि किसी राज्य के जन समुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उस के द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय मान्यता दी जाए ।

348. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा :

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा :

(1) इस भाग के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक

(क) उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ,

(ख) जो—

(i) विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में पुरः स्थापित किए जाएँ अथवा उनके जो संशोधन ऐसे सदन में प्रस्तावित किए जाएँ, उन सब के प्राधिकृत पाठ

(ii) अधिनियम संसद् द्वारा या राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित किए जाएँ तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाएँ उन सब के प्राधिकृत पाठ, तथा

(iii) आदेश, नियम, विनियम और उपविधि इस संविधान के अधीन अथवा संसद या राज्यों के विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, निकाले जाएँ उन सब के प्राधिकृत पाठ,

अंग्रेजी भाषा में होंगे ।

(2) खंड (i) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय में की कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा :

परन्तु इस खंड की कोई बात वैसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, आज्ञप्ति अथवा आदेश को लागू न होगी ।

(3) खंड (i) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान मंडल ने, उस विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित

अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड की कंडिका (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है वहाँ उस राज्य के राजकीय सूचना पत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस खंड के अभिप्रायों के लिए उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

349. भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया :

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्षों की कालावधि तक अनुच्छेद 348 के खंड (i) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे किसी विधेयक के पुरःस्थापित अथवा ऐसे किसी संशोधन के प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी, अनुच्छेद 344 के खंड (i) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर, तथा उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही, राष्ट्रपति देगा ।

350. व्यथा के निवारण के लिए अभिवेदन में प्रयोक्तव्य भाषा :

किसी व्यथा निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का, प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा ।

संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 21 द्वारा अनुच्छेद 350 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं :—

350क—प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए सुविधाएँ :

प्रत्येक राज्य और राज्य के अन्दर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह प्रयास होगा कि भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे कि वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है ।

350ख—भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी :

(1) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी होगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(2) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जिन संरक्षणों की इस संविधान के अधीन व्यवस्था की जाए उनसे संबद्ध सब विषयों का अनुसंधान करना और ऐसी अन्तरावधियों पर उन विषयों के संबंध में, जसे कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा, और राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा ।

351. हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश :

हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उस का विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम् हो सके तथा उस की आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा ।

○ ○ ○

120. संसद में प्रयोग होने वाली भाषा :

(1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा :

परन्तु, यथास्थिति, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी में" ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिए गए हों ।

○ ○ ○

210. विधान-मंडल में प्रयोग होने वाली भाषा :

(1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मडल में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा :

परन्तु, यथास्थिति, विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नही कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा । (यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है)।

(2) जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह

[शेष पृष्ठ 9 पर]

शिक्षण-प्रशिक्षण :

अन्य भाषा के रूप में हिंदी का प्रशिक्षण

—जीवन नायक
प्रधान सम्पादक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास के फलस्वरूप मानव समूहों की गतिशीलता बढ़ गई है और विभिन्न भाषा-भाषी समुदायों के बीच बढ़ते हुए संपर्क के कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे एक दूसरे की भावनाओं, सामाजिक व्यवहारों, सांस्कृतिक परम्पराओं, वैचारिक प्रतिमानों और तकनीकी सफलताओं से भलीभाँति परिचित हों । ऐसे समूहों के बीच संप्रेषण का सर्वोपरि और एकमात्र प्रभावकारी माध्यम भाषा ही है ।

किसी भी भाषा को सीखने के लिए अन्य साधनों के सिवाय उत्तम कोटि की ऐसी पठन सामग्री चाहिए जिसकी सहायता से कम समय में अधिक प्रवीणता प्राप्त की जा सके और सामाजिक संदर्भ में जिसकी उपादेयता प्रमाणित हो । मातृभाषा सीखने के लिए शिक्षण विधि और उपकरण अलग होते हैं, अन्य भाषाओं के लिए अलग । दोनों को सीखने और सिखाने की समस्याएं भी अलग होती हैं । प्रत्येक भाषा के अपने अभिलक्षण होते हैं । शिक्षार्थी को उनसे परिचित कराना आवश्यक होता है । अभिलक्षणों को सुस्पष्ट करने के लिए शिक्षण सामग्री का नियोजन गहरी सूझबूझ से किया जाता हैं और यह ध्यान रखा जाता है कि भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं के परे भी उसकी सार्थकता बनी रहे ।

भाषाओं के अध्ययन में रुचि बढ़ने के साथ-साथ भाषा शिक्षण की अनेक सूक्ष्म और द्रुत पद्धतियां विकसित हुई हैं किन्तु उनके आधार पर रचित ऐसी शिक्षण सामग्री प्रायः दुष्प्राप्य है जो भाषागत आयामों की खोज करके सामाजिक आयामों के साथ उनका तालमेल बैठा सके । उत्तम शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो तो भाषा शिक्षण की कठिनाइयों का निराकरण सरलता से किया जा सकता है; आधुनिक शिक्षण विधियों की सहायता से शैक्षणिक उपकरणों की समस्या का हल निकाला जा सकता है ; व्यतिरेकी और प्रजनक रूपांतरण विश्लेषण के आधार पर शिक्षण-विधि में सुधार किया जा सकता है और अन्य भाषा के रूप में किसी भी भारतीय भाषा को सिखाने में श्रम और समय की बचत की जा सकती है ।

हमारे देश की सभी भाषाएँ सम्पन्न और विकसित हैं, तो भी हिन्दी को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने में लोगों की रुचि अपेक्षाकृत कम है । भाषा सिखाते समय यह जान लेना जरूरी होता है कि शिक्षार्थी उसे किस उद्देश्य से सीखना चाहता है ; उसकी आयु और उसका सामाजिक स्तर क्या है ; व्यवसाय क्या है और वह कहाँ तक पढ़ा-लिखा है । किसी भी भाषा को निर्धारित अवधि में सीखना आवश्यक होता है । उस अवधि के समाप्त होने पर शिक्षार्थी के भाषा-व्यवहार का जो स्तर अभीष्ट हो उसका ध्यान रखते हुए शिक्षण पद्धति और सामग्री का चयन किया जाता है ।

किसी भी भाषा को अन्य भाषा अर्थात् द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाते समय जो समस्या मुख्यतः सामने आती है वह उस भाषा की मूल विशेषताओं से संबंधित होती है । ये मूल विशेषताएँ मातृभाषा या किसी अन्य पढ़ी हुई भाषा से पूरी तरह मेल नहीं खातीं । उन्हें न तो घटाया-बढ़ाया जा सकता है, न बदला जा सकता है और न ही नजर अंदाज किया जा सकता है । उन विशेषताओं के सैद्धांतिक पक्ष को समझ लेने पर पाठ-योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने में आसानी होती है ।

भारत की विभिन्न भाषाओं की सुदीर्घ परम्परा और उनमें प्रचुर साहित्य भंडार होते हुए भी मातृभाषा के रूप में उनके अध्ययन के अतिरिक्त उन्हें अन्य भाषा के रूप में पढ़ने के लिए रुचि बहुत ही सीमित है । भारतीय भाषाओं का पर्याप्त वर्णनात्मक विश्लेषण किया जा चुका है किन्तु सामान्यतः ऐसे विश्लेषण का लाभ भाषा शिक्षण के लिए नहीं उठाया गया । फलतः सिद्धान्त और व्यवहार के बीच बनी हुई खाई भाषा शिक्षण को प्रभावकारी नहीं बनने देती ।

प्रत्येक भाषा की ध्वनि-व्यवस्था, उसका शब्द विन्यास, व्याकरण और अर्थविज्ञान पृथक् होता है। जिस भाषा को हम मातृभाषा के रूप में व्यवहार में लाते हैं उसकी ये विशेषताएं हमें कठिन नहीं जान पड़तीं। उन्हें हम अचेतन अभ्यास से ग्रहण कर लेते हैं। मातृभाषा की सूक्ष्मता के प्रति भी हम इतने जागरूक नहीं होते जितने वे, जो उसे अन्य भाषा के रूप में सीखना चाहते हैं या सीखने को बाध्य होते हैं। भाषा कोई भी हो, उसकी गूढ़ता को दूर करना संभव नहीं होता। वह भाषा का अभिन्न अंग होती है। फिर भी उपयुक्त शिक्षण विधियों से उसे समझाया जा सकता है।

विभिन्न भाषाओं को सिखाने के लिए कोई सामान्य विधि किसी निश्चित प्रारंभिक सीमा तक ही अपनाई जा सकती है किन्तु अन्ततः प्रत्येक भाषा की शिक्षण-विधि पृथक् होती है। भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में सीखते हुए क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं, उन्हें अन्य भाषाओं—द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में सीखते समय क्या कठिनाइयां होती हैं और मातृभाषा व्याघात या अन्य भाषा व्याघात से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं—इस पर हमारे देश में गहराई से विचार नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप भाषाओं को सीखते समय श्रम और समय के अपव्यय को रोका नहीं जा सका है। न हम यह तय कर पाए हैं कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में ऊँचे स्तर की क्षमता कम समय में किस प्रकार अर्जित की जा सकती है।

पुराने समय से भाषाओं को सिखाने के लिए मुख्यतः दो पद्धतियों का सहारा लिया जाता रहा है। एक है प्रत्यक्ष विधि जिसमें वार्तालाप, मौखिक कार्य और बोलचाल के अभ्यास पर बल दिया जाता है। दूसरी है, अनुवाद विधि जिसमें अन्य भाषा का शब्दशः अनुवाद किया जाता है और अन्य भाषा के व्याकरण की तुलना मातृभाषा के व्याकरण से की जाती है। इनके अतिरिक्त अन्य भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के लिए विद्वानों ने संरचनात्मक विधि को भी उपयुक्त माना है। इसके अन्तर्गत भी मौखिक कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाता है। अन्य भाषा शिक्षण के उद्देश्य से इन सभी विधियों में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। इन सभी विधियों की ओर इनकी शाखाओं-प्रशाखाओं जैसे अनुकरण-स्मरण विधि, समानान्तर अनुवाद विधि, मौखिक विधि, श्रवण-भाषण विधि आदि के सकारात्मक गुणों को अपना कर शिक्षण को रुचिकर, स्वाभाविक और उपयोगी बनाने का यत्न करना चाहिए। प्रथम तीन विधियों को छोड़ कर शेष विधियां मात्र उपागम हैं।

किसी भी भाषा को अन्य भाषा के रूप में पढ़ाते समय मातृभाषा को कितना ही दूर क्यों न रखें, पढ़ने वाले के अंतर्मन से उसका प्रभाव हटाने का कोई उपाय नहीं हो सकता। शिक्षार्थी के मन पर यह प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता कि जिस भाषा को वह सीख रहा है उससे उसकी मातृभाषा कहाँ तक समान है और कहाँ उसमें भिन्नता है। अन्य भाषा की ध्वनियों का मिलान मातृभाषा की ध्वनियों से किए बिना शिक्षार्थी नहीं रह सकता और न उसके व्याकरणिक भेदों का।

भारतीय भाषाओं के बीच ध्वनि, रूप, अर्थ और वाक्य-विन्यास से संबंधित जो समानताएं या असमानताएं दृष्टिगोचर होती हैं उनकी जानकारी से अन्य भाषा को सीखने में मदद मिलती है और इसके लिए व्यतिरेकी भाषाविज्ञान की सहायता ली जाती है। पाठ प्रत्यक्ष विधि से तैयार किए जाते हैं और मातृभाषा तथा अन्य भाषा के व्यतिरेकी पक्षों की जानकारी अनुवाद द्वारा दी जाती है। यह भी आवश्यक होता है कि अन्य भाषा के स्वरूप का परिचय देते हुए मातभाषा के साथ उसकी तुलना की जाए और अभ्यासों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से व्यतिरेकी पक्षों पर बल दिया जाए।

किसी व्यक्ति से विशेष प्रयास की अपेक्षा किए बिना उसे किसी भाषा का सामान्य ज्ञान कराने के लिए उपयुक्त, अनुक्रमित, रोचक और पर्याप्त पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकें, द्रुत पठन की पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें और व्याकरण की पुस्तकें किसी भी शिक्षण कार्यक्रम में अपना अलग-अलग स्थान रखती हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा चलचित्र माध्यमों से अन्य भाषा के प्रयोग सुनकर उनके अधिगम में शिक्षार्थी को सुविधा होती है। अन्य भाषाओं के प्रयोक्ताओं और मानक वक्ताओं का संसर्ग भी लाभकर होता है। बोलचाल सिखाने के लिए इन पुस्तकों में में सरल शब्दों और सरल व्याकरण रूपों का होना अनिवार्य है। प्रारम्भिक अवस्था में संयुक्त वर्णों और संयुक्त ध्वनियों के प्रयोग से बचना होगा। ऐसे ही शब्दों से काम चलाना आवश्यक होगा जिनके उच्चरित और लिखित रूप सरल हों और प्रस्तुत सामग्री का समाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि से निकट का संबंध हो।

शिक्षार्थी को पहले बोलचाल सिखाना चाहिए, फिर लिखना। भाषा का मानक रूप सिखाना सदा ही हितकर होता है। आधारभूत शब्दावली का बोझ क्रमशः बढ़ाना चाहिए। आधारभूत वाक्यों का अभ्यास हो जाने पर ही अगली श्रेणी की शब्दावली से परिचित कराना चाहिए। आधारभूत वाक्य संरचनाओं का क्रम सरल से कठिन की ओर होना चहिए। छोटी-छोटी वाक्य संरचनाओं में नए अंश क्रमशः जोड़ना चाहिए और साँचा अभ्यासों की सहायता से उनका उपयोग सिखाना चाहिए। अन्य भाषा सीखते समय वाक्य स्तर पर शिक्षार्थी को जो कठिनाई होती है वह मातृभाषा में वाक्य रचना करते समय कर्त्ता, कर्म, क्रिया आदि रूपों की स्थिति और कर्म में भिन्नता होने के कारण सामने आती है। विभिन्न भारतीय भाषाओं की वाक्य रचना में कर्त्ता, कर्म, क्रिया आदि रूपों का स्थान प्रायः एक-सा है।

भाषा पहले और नियम बाद में सिखाना चाहिए। व्याकरणिक नियमों का ज्ञान भाषा के व्यवहार के आधार

पर कराना श्रयस्कर होता है। मातृभाषा और अन्य भाषा में ध्वनि, शब्द तथा व्याकरण के स्तर पर असमान तत्वों की खोज करके उनकी समुचित जानकारी देनी चाहिए और अभ्यासों की सहायता से शिक्षार्थी का तद्विषयक ज्ञान पुष्ट करना चाहिए ।

विभिन्न व्याकरणिक कोटियों के अन्तर्गत आने वाले शब्दों का समावेश करते समय भी सरलता का ध्यान रखना आवश्यक होता है । उदाहरणार्थ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाविशेषण और क्रिया आदि भेदों से शिक्षार्थी का परिचय सरलता के क्रम में ही कराना होगा। हिन्दी की मूल क्रियाओं को प्रस्तुत करना सरल होता है। पर जब इन क्रियाओं के कालवाचक रूपों से शिक्षार्थी को परिचित कराया जाता है तो एक के बाद एक विविधि रूप सामने आते हैं और एक सीमा के बाद सरलता का आग्रह छोड़ देना पड़ता है । विषय प्रवेश की दृष्टि से और निदर्शन के उद्देश्य से क्रियाओं के वर्तमानकालिक रूप भी सरल होते हैं लेकिन लिंग और वचन से संयुक्त होकर ज्यों ही वे काल का निर्देश करते हैं अथवा सहायक क्रियाओं से जुड़ते हैं त्यों ही समस्या खड़ी होती है । सामान्य या संदिग्ध भविष्यत् कालवाची हिन्दी के क्रिया पद सरल जान पड़ते हैं तो भी विषय प्रवेश के लिए उन्हें चुनना अव्यावहारिक होता है । रूप की दृष्टि से और निदर्शन के विचार से आज्ञार्थक क्रिया पद अपेक्षाकृत अधिक सरल होते हैं । इन और ऐसे ही अन्य कारणों से हिन्दी तथा भारत की सारी भाषाओं में सुसंगठित, सरलीकृत और श्रेणीकृत पाठों की योजना बनाना कठिन होता है । भारतीय भाषाओं की बहु आयामी प्रकृति के फलस्वरूप जो समस्याएँ सामने आती हैं यदि उनका विश्लेषण सतर्कता से किया जाए तो मातृभाषा व्यवधान और अन्य आनुषंगिक असमानताओं से शिक्षार्थी को परिचित कराया जा सकता है।

25–30 वर्ष पहले भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 500 और 2000 शब्दों की हिन्दी शब्दावलियाँ प्रकाशित की थीं । तब यह अनुभव किया गया था कि प्रारम्भिक शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के उद्देश्य से शब्दों का श्रेणीगत निर्धारण कठिन कार्य है । अन्य भाषा के रूप में किसी भी भाषा को पढ़ाने के लिए प्रचलित शब्दावली में से उपयुक्त शब्दों का चुनाव, उनका श्रेणीकरण और शिक्षार्थी के परिवेश से उनकी निकटता स्थिर करना और भी कठिन होता है । विभिन्न भारतीय भाषाओं में समान शब्दावली के संकलन का प्रयास भी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है । चूंकि इस प्रकार की शब्दावली के संग्रह का कोई ऐसा अभियान अखिल भारतीय स्तर पर अन्यत्र नहीं किया गया है जिसके आधार पर अन्य भाषा सिखाने के लिए तैयार की जाने वाली शिक्षण सामग्री में क्रोड (कोर) शब्दावली के रूप में उसे काम में लाया जा सके, इसलिए यह समीचीन होगा कि भारत सरकार द्वारा निर्मित आधारभूत शब्दावली और विभिन्न भाषाओं की समान शब्दावली की प्रत्यक्ष जाँच करके क्षेत्र-परीक्षण द्वारा उसे अंतिम रूप दिया जाए ।

भारतीय भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों में भाषा और साहित्य का अनुपात प्रायः असंतुलित रहता है । हिन्दी की प्रारम्भिक पठन-सामग्री में ही साहित्य का पक्ष भारी हो जाता है और कभी कभी आगे के पाठों में भाषा-पक्ष प्रायः तिरोहित हो जाता है। परिणाम यह होता है कि वर्षों की साधना के बाद भी शिक्षार्थी में भाषा विषयक प्रौढ़ता नहीं आती । साहित्य की सहायता से भाषा सिखाने में अनेक बाधाएं तो आती ही हैं, शिक्षार्थी की क्षमता भी संदिग्ध बनी रहती है । अन्य भाषा सिखाने के उद्देश्य से संकलित पठन सामग्री में साहित्यिक अंशों को अगले सोपानों के लिए छोड़ देना चाहिए । यदि प्रारम्भिक अवस्था में ही उन्हें स्थान देना अपरिहार्य जान पड़े तो अन्य भाषा शिक्षण के विचार से उनका अनुकूलन अवश्य किया जाना चाहिए ।

उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों में अभ्यासार्थ और अनुवादार्थ प्रश्नों की बहुतायत रहती है । प्रश्नों के उत्तर देने, खाली स्थान भरने, शुद्ध रूपों पर चिन्ह लगाने और इसी तरह के अन्य प्रश्न मातृभाषा सिखाने के लिए उपयुक्त होते हैं । अन्य भाषा के रूप में सिखाई जाने वाली भाषा का मातृभाषा के साथ व्यतिरेकी संबंध प्रकट करने वाले अभ्यासार्थ प्रश्नों का समावेश प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों में होना चाहिए । साथ ही सूक्ष्म भेद बताने वाले या शब्द युग्मों की पहचान कराने वाले अभ्यास भी शामिल किए जाने चाहिए ।

अन्य भाषा सिखाने के उद्देश्य से पाठ-रचना करते समय अर्थ-विज्ञान के क्षेत्र की दो प्रमुख कठिनाइयाँ सामने आती हैं—दो भाषाओं में प्रयुक्त एक से शब्दों में अर्थ की भिन्नता और दो भाषाओं में समान अर्थ में प्रयुक्त शब्दों के प्रयोग की भिन्नता । अन्य भारतीय भाषाओं का व्यवहार करने वाले जब हिन्दी सीखते हैं तो संस्कृत, फारसी और अरबी के उन शब्दों के कारण व्याघात होता है जिनके अर्थ हिन्दी और उनकी भाषाओं में भिन्न भिन्न हैं । ऐसे व्याघात के प्रति शिक्षार्थी को सचेत करने के लिए अभ्यास पुस्तकों में उपयुक्त प्रश्न दिए जाने चाहिए । मातृभाषा तथा अन्य भाषा के विधि व्याकरणिक भेदों को स्पष्ट करने के लिए तदनुरूप अभ्यासार्थ प्रश्न जरूरी होते हैं । एक ही भारतीय भाषा में अथवा दो विभिन्न भारतीय भाषाओं में ऐसे रूप हो सकते हैं जो शब्दार्थ की दृष्टि से समतुल्य हों किन्तु जिनकी व्याकरणिक कोटियाँ भिन्न हों । ऐसे भेदों को स्पष्ट करते हुए उपयुक्त सामग्री का समावेश पाठों में होना चाहिए और तदनुरूप अभ्यासार्थ प्रश्न भी देना चाहिए । अन्य भाषा सिखाते समय आजकल स्वनोच्चारण अभ्यासों का उपयोग किया जाता है । व्यतिरेकी पक्षों पर बल दिया जाए तो इन अभ्यासों का महत्व बढ़ सकता है । शिक्षार्थी सिखाई हुई अभिरचना से ही चिपका न रहे, विकल्पन और संयोजन द्वारा विविध रचनाएं करे, यही उद्देश्य होना चाहिए ।

किसी भी भाषा में पारंगत होने का अर्थ है उसमें विविध अभिरचनाएँ करने की क्षमता। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाठ्य पुस्तकों की सम्पूर्ण माला चाहिए। व्याकरण प्रकार्यात्मक अभ्यास पुस्तकें भी चाहिए। आधारभूत शब्दावली शिक्षार्थी को इन्हीं की सहायता से मिल सकेगी। अति-आवश्यक व्याकरणिक रूपों के साथ ही साथ सामान्य व्यवहार में आने वाले मुहावरे भी दिए जाने चाहिए।

उपयुक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य भाषा सीखने के लिए ऐसे छोटे-छोटे शब्द-कोशों की बड़ी आवश्यकता है जो मात्र इसी उद्देश्य से संकलित किए गए हों। भारतीय भाषाओं में इस समय जो विविध प्रकार के शब्द कोश उपलब्ध हैं, वे सभी अन्य भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं हैं। अन्य भाषा की शिक्षा के लिए ऐसे द्विभाषी कोश होने चाहिए जिनमें मूल प्रविष्टि के अर्थ और स्पष्टीकरण अन्य भाषा में दिए गये हों, शब्दार्थ और शब्दार्थ क्षेत्र की भिन्नता दर्शाई गई हो, शब्दार्थ को लेकर हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में जो भ्रम उत्पन्न होता है और फलस्वरूप जिस व्याघात को प्रश्रय मिलता है, उसका निराकरण किया गया हो। प्रस्तावित कोशों का पठन सामग्री से निकट संबंध होना चाहिए और पठन सामग्री में किया गया श्रेणीकरण कोशों में परिलक्षित होना चाहिए। ऐसे कोशों का उद्देश्य यह होना चाहिए कि भाषा के विभिन्न प्रयोगों पर ध्यान आकर्षित करने में वे सक्षम हों।

सभी अच्छे कोशों में मुहावरेदार वाक्यांश प्रायः संकलित किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक्यांश हो सकते हैं जो मुहावरेदार न होते हुए भी उस समय भिन्न जान पड़ते हैं जब अन्य भाषा के समतुल्य वाक्यांशों से उनकी तुलना की जाती है। किसी संज्ञा अथवा विशेषण के साथ 'होना अथवा 'करना' क्रियाएँ हिन्दी भाषियों के लिए विशेष अर्थ नहीं रखतीं और इसी कारण हिन्दी के कोशों में इनका विवेचन नहीं मिलता। लेकिन जब इन क्रियाओं से युक्त वाक्यांशों का अनुवाद हिन्दीतर भाषाओं में किया जाता है तो उनके विभिन्न रूप सामने आते हैं। प्रस्तावित कोशों में ऐसे रूपों को स्थान दिया जाना चाहिए।

भाषा शिक्षण के लिए यांत्रिक उपकरणों की उपयोगिता को व्यापक मान्यता मिल चुकी है। परिशुद्ध भाषा शिक्षण के लिए टेपरिकार्डर और भाषा प्रयोगशालाओं का उपयोग भाषा शिक्षण के उच्च केन्द्रों में ही किया जाता है क्योंकि ऐसे उपकरण सर्वत्र उपलब्ध नहीं हो सकते। इन उपकरणों का उपयोग प्रधानतः भाषा-विश्लेषण के लिए किया जाता है, भाषा-शिक्षण के लिए नहीं। अन्य भाषा के रूप में किसी भी भारतीय भाषा को सिखाने के लिए इन यांत्रिक उपकरणों के सिवा ऐसे उपकरण तैयार करना नितांत आवश्यक है जिनका उपयोग व्यापक पैमाने पर शहरी क्षेत्रों से दूर स्थित शिक्षण केन्द्रों में सहज ही किया जा सके और उनके प्रयोग की विधि विभिन्न स्तर के शिक्षकों को सरलता से सिखाई जा सके।

हिन्दी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं को अन्य भाषा के रूप में सिखाने के लिए आजकल जिन विधियों और उपकरणों की सहायता ली जाती है, वे समय और श्रम की बचत की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं। अन्य भाषा शिक्षण के उद्देश्य से भाषाओं के प्रारम्भिक विश्लेषण और आवश्यक उपकरणों के निर्माण की दिशा में बहुत कुछ करना शेष है ताकि समय, श्रम और धन के अपव्यय से बचाव किया जा सके। ऐसा किए बिना अन्य भाषा शिक्षण के कार्यक्रमों में अपेक्षित गति नहीं आ सकेगी। विशेषज्ञों को यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। □ □ □

[पृष्ठ 5 का शेष]

वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी में" ये शब्द उस में से लुप्त कर दिए गए हों।

हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 46 द्वारा अनुच्छेद 210 (2) में एक परन्तुक जोड़ दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, (1971 का 81) की धारा 71 द्वारा संशोधन के पश्चात् उसका वर्तमान स्वरूप इस प्रकार है :—

"परन्तु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य विधान मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो कि उसमें आने वाले "पन्द्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों।"

अष्टम् अनुसूची

(अनुच्छेद 344 (1) और 351)

भाषाएँ

1 असमिया	2 उड़िया	3 उर्दू
4 कन्नड़	5 कश्मीरी	6 गुजराती
7 तमिल	8 तेलुगु	9 पंजाबी
10 बंगला	11 मराठी	12 मलयालम
13 संस्कृत	14 सिन्धी	15 हिन्दी

□ □ □

हिंदी के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता

—शान्त कुमार सराफ,
प्रोफेसर, रसायन इंजीनियरी विभाग,
रुड़की विश्वविद्यालय

स्वतन्त्रता के कुछ सप्ताह के बाद महात्मा गांधी ने एक लेख में लिखा था "भारत अब स्वतन्त्र हो गया है, अतः अधिक से अधिक छः माह में राष्ट्र का कार्य हिन्दी में शुरू हो जाना चाहिए"। इस लेख में बापू जी ने चेतावनी दी थी कि इस कार्य में जितनी देर होगी, उतना ही राष्ट्र का अहित होगा। राष्ट्रीय एकता में राष्ट्रभाषा की भूमिका का महत्व समझते हुए संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को सर्वसम्मति से निर्णय लेकर नागरी लिपि में लिखित हिन्दी को राजभाषा घोषित किया था। किन्तु ऐसी व्यवस्था स्वीकार की गई थी कि संविधान के लागू होने के पन्द्रह वर्षों के बाद हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले लेगी। स्वतंत्रता के पश्चात धीरे-धीरे राजनीति का पक्ष जितना सबल बनता गया, सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक हिन्दी का पक्ष उतना ही दुर्बल होता गया। नतीजा यह हुआ है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी की बात आते ही हिन्दी साम्राज्यवाद का हौआ खड़ा किया जाता है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विदेशों में हो रही प्रगति के महत्व की याद दिलाई जाती है या अन्य भारतीय भाषाओं की बात उठाई जाती है। लेकिन इस पर ध्यान देने की जरूरत अंग्रेजी के चन्द पक्षधरों ने कभी नहीं समझी कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से हाईस्कूल और इन्टर स्तर तक शिक्षित देश के करोड़ों बच्चों पर अंग्रेजी लाद देने के कारण उन्हें विषय वस्तु पढ़ने और समझने का ठीक मौका ही नहीं मिलता। नतीजा यह होता है कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित विशाल जन-समुदाय से प्रतिभाएं उभर कर सामने नहीं आ पातीं और तकनीकी शिक्षा तथा इसके फलस्वरूप उन्नति के साधनों एवं उच्च नौकरियों पर उन्हीं लोगों का एकाधिकार बना रहता है जो भारतीय परिवेश में ही अपने आपको अजनबी महसूस करते हैं।

यह हमारा दायित्व है कि हम विद्यार्थियों की भाषा सम्बन्धी समस्या समझें तथा विद्यार्थियों पर अंग्रेजी न थोपकर तकनीकी विषयों को सरलता से हिन्दी में समझने और उनमें दक्षता प्राप्त करने की सुविधा दें। अंग्रेजी भाषा के साथ हमारा झगड़ा नहीं है, किन्तु वह हमारे मौलिक चिंतन की राह और प्रतिभा के विकास में बाधक है। मैं शिक्षा आयोग की उस रिपोर्ट से सहमत हूँ कि अंग्रेजी से एक बार भी बाहर निकल कर भारतीय भाषाओं में आने में बहुत खतरे दिखाई देते हैं। किन्तु सब मिलाकर बुद्धिमानी की राह यही है कि हम इन खतरों की परवाह न करें और अंग्रेजी से चेखटके बाहर निकल कर भारतीय भाषाओं में आ जाएं। रुड़की विश्वविद्यालय की 1978 की प्रवेश परीक्षाओं में 9000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया और इनमें से अनुमानतः 90 प्रतिशत छात्रों ने हिन्दी माध्यम से परीक्षा दी। चुने हुए छात्रों में संभवतः 2 प्रतिशत से अधिक ऐसे छात्र नहीं हैं जो हिन्दी ठीक से लिख-पढ़ न सकें, किन्तु कम से कम 80 प्रतिशत ऐसे छात्र होंगे जिन्हें अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त करने में कठिनाई होती है। विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के बावजूद इन विद्यार्थियों को जिस भाषाई कठिनाई से गुजरना पड़ता है, उससे कोई अपरिचित नहीं है। भारतीय माटी में जन्मे इन बच्चों पर अंग्रेजी थोपे जाने का असर यह होता है कि उनमें भाषा की आधिकारिक क्षमता का सर्वथा अभाव होता है। हिन्दी में अभिव्यक्ति की इज्जत नहीं है और लाख कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी में विचारों को व्यक्त करने की क्षमता पैदा नहीं हो पाती। गुलामी की जकड़न ने हम वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों की मानसिकता ऐसी बना दी है, अंग्रेजी और अंग्रेजीयत हम पर इतनी हावी हो गई है कि हम विद्यार्थियों की भाषाई समस्या पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार ही नहीं करना चाहते। परन्तु हम ज्यादा दिनों भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल को टाल नहीं सकते। तकनीकी शिक्षा को अब चंद लोगों की परिधि से निकाल कर जन-साधारण तक जनता की भाषा में ही पहुंचाना होगा। यदि यह नहीं हुआ तो जन-साधारण और बुद्धिजीवियों के बीच की खाई इतनी चौड़ी हो जाएगी कि उसे समाप्त करने के लिए एक नई क्रांति की आवश्यकता होगी।

मैं बड़ी साफगोई से कहना चाहूँगा कि हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम न बनने

देने में हम, शिक्षाविदों का ही न्यस्त स्वार्थ है । अंग्रेजी भाषा में दीक्षित होने के कारण, हम यह सोच भी नहीं सकते कि अंग्रेजी भाषा छोड़कर किसी भारतीय भाषा में भी तकनीकी शिक्षा दी जा सकती है । हिन्दी के इस्तेमाल को रोकने के लिए हम कहेंगे कि अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है। पहले सभी प्रकार की शब्दावलियाँ बन जाएँ, अच्छे स्तर की पुस्तकें लिखी जाएँ और वैज्ञानिक शोध-साहित्य का अनुवाद भी हिन्दी में तैयार हो जाए । लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई आदमी भाषा पर अधिकार उसका प्रयोग करके ही पा सकता है । यदि हम पानी में उतरे बिना ही तैरना सीखना चाहते हैं तो यह हमारे मानसिक दिवालिएपन का ही द्योतक है । अतः व्यर्थ के कारणों से हिन्दी और भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में रोकना न राष्ट्रीय हित में है और न राष्ट्र की उन्नति में ही सहायक होगा ।

देश के बहुसंख्यक हिन्दी भाषियों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर, मैं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी माध्यम के प्रयोग के बारे में कुछ व्यावहारिक पहलू रखना चाहूँगा । विचार-विनिमय के साधनों को ही भाषा कहते हैं तथा 'शब्द' भाषा की लघुतम इकाई है । समय, दशा और पात्र के अनुकूल शब्दों का चयन कर प्रयोगकर्त्ता जिस भाषा का प्रयोग करता है, यदि पाठक या श्रोता सरलता और सहजता से समझ लेता है तो वही लोकप्रिय और आदर्श भाषा है । तकनीकी ज्ञान एक विशेष प्रकार का ज्ञान है, इसलिए इसकी शब्दावली भी कुछ कठिन होती है । दुरूह विषयों की व्याख्या सरल और रुचिकर भाषा में, जिसे विद्यार्थी आसानी से समझ सकें, कर सकना ही शिक्षक की योग्यता की सबसे बड़ी कसौटी है । भावों की दरिद्रता ढकने के लिए क्लिष्ट शैली का प्रयोग अवांछनीय है । सरल शब्दों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए कुछ समय बाद धीरे-धीरे कठिन शब्दों का परिचय भाषा ज्ञान की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है । अंग्रेजी और हिन्दी के दो युगों को जोड़ने वाले इस संक्रांति काल में अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों, लिप्यंतरित रूपों तथा प्रासंगिक हिन्दीतर भाषा के शब्दों को निःसंकोच अपनाना तथा इस्तेमाल करना जरूरी है । इससे हिन्दी का शब्द भंडार बढ़ेगा तथा अखिल भारतीय स्वरूप भी निखरकर सामने आएगा । शब्दों की कठिनाई के कारण जब भाषा ही समझ में नहीं आती तो विषय-वस्तु को समझना दूर की बात हो जाती है। हमें यह भी न भूलना चाहिए कि हिन्दी का वाक्य विन्यास अंग्रेजी के वाक्य-विन्यास से बहुत भिन्न है । अतः मूल भाव की रक्षा करने के उद्देश्य से यह जरूरी है कि शब्दों के स्थान पर पूरे वाक्य का अनुवाद हो और हिन्दी में वाक्य विन्यास इस प्रकार का हो कि वह अनुवाद न लगे ।

तकनीकी शिक्षा में अंग्रेजी का आधिपत्य समाप्त करने की दिशा में पहले कदम के रूप में हमें प्रवेश परीक्षा में अंग्रेजी भाषा का अनिवार्य प्रश्नपत्र समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि किसी भी विद्यार्थी के विचारों को व्यक्त करने की क्षमता का आकलन विज्ञान विषयों में उत्तरों से हो जाता है । किन्तु भाषाई क्षमता के आकलन के लिए यदि यह अपर्याप्त है तो संक्रांति काल में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तथा कुछ वर्षों बाद केवल हिन्दी भाषा में परीक्षा हो । किन्तु चयन हेतु अंकों के आधार पर बनाई गई तालिका में भाषा और सामान्य ज्ञान के प्रश्नपत्र में प्राप्त अंक जोड़े न जाएं और इसमें केवल अर्हक अंक रखे जाएँ । इसके साथ ही विज्ञान, मानविकी और समाजशास्त्र संबंधी समस्त विषय अविलम्ब हिन्दी माध्यम में पढ़ाए जाएँ क्योंकि इन विषयों की हिन्दी में उच्चकोटि की पुस्तकें उपलब्ध हैं । हिन्दी माध्यम का प्रयोग धीरे-धीरे इंजीनियरी विषयों में भी बढ़ाना होगा और इसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना होगा जिससे कि आगामी चार-पांच वर्षों में इंजीनियरी की स्नातक-स्तर की शिक्षा पूर्ण रूप से हिन्दी में दी जाने लगे । इंजीनियरी विषयों में हिन्दी में पाठ्य पुस्तकों की समस्या सुलझाने के लिए विश्वविद्यालय एक हिन्दी प्रकोष्ठ स्थापित करे जो विश्वविद्यालय में कार्यरत विशेषज्ञों की सहायता से उच्च स्तर की पुस्तकें तैयार कराने का कार्यक्रम बनाए जिससे माध्यम परिवर्तन सुचारू रूप से हो सके ।

इस सिलसिले में नौकरी में भर्ती के लिए भाषा की बात करना भी आवश्यक है । समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कारों में अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं का प्रयोग तुरन्त आरंभ होना चाहिए । अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं में किसी भाषा के कारण किसी को अनुचित लाभ न पहुँचने पाए, इसलिए ऐसी परीक्षाओं में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाना जरूरी है । राज्य सरकारों को अपनी-अपनी परीक्षाओं में केवल क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए ताकि क्षेत्रीय भाषाओं को उनका उचित स्थान मिले । रुड़की विश्वविद्यालय को इस उद्देश्य हेतु राज्य और केन्द्र सरकारों से संपर्क स्थापित कर मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे कि हिन्दी माध्यम से शिक्षित यहाँ के स्नातक प्रतिभा के धनी होने के साथ-साथ नौकरी प्राप्त करने में भी किसी से पीछे न रहें ।

अंत में मैं फिर स्पष्ट करना चाहूँगा कि तकनीकी शिक्षा हिन्दी माध्यम में देने की वकालत कर मैं हिन्दी को अन्य भारतीय भाषाओं पर थोपने की हिमायत नहीं कर रहा हूँ । यथार्थ तो यह है कि तकनीकी शिक्षा में अंग्रेजी का ही वर्चस्व बने रहने के कारण समस्त भारतीय भाषाएँ कमजोर हुई हैं । तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी को प्रतिष्ठित कर मैं यह चाहता हूँ कि सभी भाषाएं अपने स्वाभाविक रूप में बढ़ें और अंग्रेजी का स्थान लें ।

('लायन' पत्रिका से साभार)

□ □ □

केंद्रीय हिंदी समिति तथा राजभाषा संबंधी अन्य समितियाँ :

केंद्रीय हिंदी समिति की 17 वीं बैठक और उसमें लिए गए प्रमुख निर्णय

यह बैठक 17 मार्च, 1979 को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुई । इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :—

1. श्री मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2. श्री चरण सिंह, उप प्रधानमंत्री (वित्त)	सदस्य
3. श्री जगजीवन राम, उप प्रधानमंत्री (रक्षा)	सदस्य
4. श्री लाल कृष्ण आडवाणी, सूचना और प्रसारण मंत्री	सदस्य
5. श्री शांति भूषण, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री	सदस्य
6. श्री एच० एम० पटेल, गृह मंत्री	सदस्य
7. श्री अटल बिहारी वाजपेयी, विदेश मंत्री	सदस्य
8. श्री बनारसी दास, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
9. श्री धनिक लाल मंडल, गृह राज्य मंत्री	सदस्य
10. श्री ओम मेहता, संसद सदस्य	सदस्य
11. श्री पी० वी० नरसिंह राव, संसद सदस्य	सदस्य
12. डॉ० सरोजिनी महिषी, संसद सदस्य	सदस्य
13. श्री योगेन्द्र शर्मा, संसद सदस्य	सदस्य
14. श्री नवाब सिंह चौहान, संसद सदस्य	सदस्य
15. श्री गंगाशरण सिंह	सदस्य
16. श्री सुधाकर पाण्डेय	सदस्य
17. डॉ० मलिक मोहम्मद	सदस्य
18. श्री कृपा नारायण, राजभाषा सचिव तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य सचिव

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी तथा महाराष्ट्र राज्य के मंत्री श्री हशु आडवाणी भी बैठक में उपस्थित थे ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री, रेल मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के मुख्य मंत्री तथा संसद सदस्य प्रो० रामलाल पारिख बैठक में उपस्थित नहीं हो सके ।

प्रमुख निर्णय :

(1) प्रोत्साहन योजना का राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर प्रभाव तथा हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए पुरस्कार आदि देने की व्यवस्था करना

सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि इस योजना की रूपरेखा को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए और वित्त मंत्रालय से वार्ता करके इस बारे में शीघ्र निर्णय कराया जाए ।

(2) राजभाषा के काम की देखभाल करने वाले कार्यालयों के लिए, दिल्ली में ही, एक स्थान पर भवन बनाने की योजना

राजभाषा संबंधी काम करने वाले विभिन्न कार्यालयों के अलग-अलग स्थानों पर रहने के कारण उनके काम में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा हुई। यह कहा गया कि ऐसे सभी कार्यालयों के लिए एक ही स्थान पर कार्यालय आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए । निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा इस संबंध में दिए गए आश्वासन की जानकारी भी सदस्यों को दी गई । सदस्यों ने इस बारे में लगने वाले समय तथा इस बीच दिए जा रहे किराए पर चिन्ता व्यक्त की ।

यह निश्चय किया गया कि एक सप्ताह के अंदर कार्यालयों को एक स्थान पर एकत्रित करने का प्रबंध किया जाए तथा स्थिति की सूचना दी जाए ।

(3) विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में काम कर रही हिन्दी सलाहकार समितियों के सदस्यों द्वारा संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रभागों, अनुभागों, कार्यालयों आदि में किए जा रहे हिन्दी संबंधी कामों का निरीक्षण करने के लिए, उप समितियां गठित करने का औचित्य

समिति ने निर्णय किया कि हिन्दी सलाहकार समितियों की निरीक्षण उप-समितियाँ गठित नहीं की जानी चाहिए ।

यह भी निर्णय किया गया कि राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में संबंधित मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति

के एक स्थानीय सदस्य को आमंत्रित किया जा सकता है । ऐसे गैर सरकारी सदस्य पर्यवेक्षक के रूप में कार्यान्वयन समिति की बैठक में शामिल हो सकेंगे ।

(4) हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकों में, मंत्रालय तथा उसके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, निगमोंआदि में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की नियमित रूप से सूचना देना

हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकों में मंत्रालय और उसके सम्वद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, कंपनियों, निगमों आदि में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति बताने के लिए प्रस्तावित प्ररूप का समिति ने अनुमोदन किया । यह भी तय किया गया कि इस प्ररूप में मंत्रालय में हिन्दी के बारे में चल रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी संबंधी एक और मद भी जोड़ दी जाए। (प्ररूप अगले अंक में दिया जा रहा है)

(5) संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के संबंध में, वर्ष 1979-80 (31 मार्च, 1980 तक) का कार्यक्रम

समिति ने राजभाषा विभाग के कार्यक्रम संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन किया।

यह तय किया गया कि कार्यक्रम में दिए गए विभिन्न लक्ष्यों, जैसे पत्र-व्यवहार में हिन्दी के प्रयोग तथा देवनागरी टाइपराइटरों की पूर्ति संबंधी आँकड़ों के बारे में समिति को जानकारी दी जाए ।

यह कहा गया कि अक्सर परिपत्र, आदेश आदि पहले अंग्रेजी में जारी कर दिए जाते हैं और हिन्दी में या तो जारी नहीं किए जाते या फिर काफी देर बाद जारी किए जाते हैं जिससे गलतफहमी हो जाती है । समिति का विचार था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इन आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी निश्चित की जानी चाहिए ।

समिति का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया गया कि कुछ मंत्रालयों द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में नहीं दिए जा रहे हैं । यह तय हुआ कि ऐसे मामलों में भी संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निश्चित की जाए।

(6) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों तथा अधीनस्थ संस्थानों के लिए कुछ कामों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में करने की विधायी बाध्यता है; लेकिन विधायी बाध्यता का अधिकांशतः उल्लंघन हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए यथोचित संख्या में अनुवादकों की नियुक्ति पर विचार

कई सदस्यों ने यह कहा कि अनेक मंत्रालयों और विभागों के कोडों, मैनुअलों, नियम संहिताओं, करारों, संविदाओं तथा अन्य प्रशासनिक साहित्य आदि की सामग्री का अनुवाद अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इस प्रकार की सामग्री अनेक वर्षों से अनुवाद के लिए बाकी पड़ी है । समिति का विचार था कि अनुवाद कार्य को जल्दी निपटाने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए । उप प्रधान मंत्री (वित्त) ने सुझाव दिया कि वर्तमान काम को तीन साल में पूरा करने का प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए और इसके लिए यथोचित स्टाफ आदि स्वीकृत किया जाए ।

(7) द्विभाषी स्टेनोग्राफरों और टाइपिस्टों का वेतनमान एक भाषी स्टेनोग्राफरों और टाइपिस्टों से अधिक करने की समस्या पर विचार ।

समिति ने यह निर्णय किया कि दोनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाले आशुलिपिकों की कमी को देखते हुए, भविष्य में भर्ती होने वाले आशुलिपिकों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की आशुलिपि का ज्ञान अनिवार्य करने पर विचार किया जाए । साथ ही जो आशुलिपिक पहले भर्ती किए जा चुके हैं उन्हें दूसरी भाषा की आशुलिपि का ज्ञान शीघ्र कराया जाए ।

(8) इस वर्ष जिन-जिन हिन्दी सेवी संस्थानों को जिन-जिन कार्यों के लिए अनुदान दिया गया है उसकी सूचना और इस संबंध में विचार

सदस्यों ने विचार प्रकट किया है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिन्दी की प्रगति के लिए किया जाने वाला व्यय अपर्याप्त है और अंग्रेजी के विकास के लिए किए जाने वाले व्यय से बहुत कम है । कुछ सदस्यों ने यह विचार भी प्रकट किया कि जो भी राशि शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की जाती है, उसका भी वर्ष के अंत तक उपयोग नहीं होता । शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती बड़कटकी ने इस विषय में समिति को सूचित किया कि अंतिम सूचना के अनुसार 20 लाख रुपए की राशि में साढ़े सत्रह लाख रुपए अनुदान के रूप में विभिन्न हिन्दी सेवी संस्थाओं को देना तय किया जा चुका है ।

समिति का शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री से यह भी अनुरोध था कि उस मंत्रालय में हिन्दी के विकास तथा प्रसार के लिए समुचित प्रयत्न किए जाएँ ।

(9) अन्य

(1) केन्द्रीय हिन्दी समिति का अधिक समय पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई पर विचार करने में न लगे इस दृष्टि से यह तय किया गया कि समिति के पिछले निर्णयों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप-समिति की नियमित बैठकें की जाएँ । जब भी आवश्यक हो, इन बैठकों में संबंधित विभाग के मंत्री भी आमंत्रित किए जाएँ जिससे निर्णय लेने में सुविधा हो ।

(2) उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा यह बात उठाई गई कि हिन्दीभाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार के बैंकों द्वारा उन क्षेत्रों के लोगों से पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग किया जाए । यही बात अन्य केन्द्रीय उद्यमों के संबंध में भी कही गई । उप-प्रधान मंत्री (वित्त) इस संबंध में वर्तमान नियम और सरकार ने जो आश्वासन दिए हैं उन के संदर्भ में विचार करेंगे । □ □ □

गृह मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति—एक परिचय और महत्वपूर्ण निर्णय

—बल्लभ शरण, संयुक्त सचिव
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

भारत के संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा (अनुच्छेद 343), केन्द्र तथा राज्यों के बीच सम्पर्क भाषा और राज्यों के बीच परस्पर व्यवहार की भाषा (अनुच्छेद 346) घोषित किया गया है और इसके स्वरूप को भारत की सामासिक संस्कृति के (अनुच्छेद 351) सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में विकसित करने का निदेश दिया गया है। भारत जैसे विशाल, बहुभाषी और संघीय स्वरूप के लोकतांत्रिक राष्ट्र में भाषा का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे सम्बन्धित समस्याओं पर गंभीर और गहन विचार-विमर्श आवश्यक है क्योंकि इस विषय पर किए गए निर्णयों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए भाषा संबंधी विषयों पर समाज के विभिन्न वर्गों और प्रदेशों के तद्विषयक विद्वानों, शिक्षा-शास्त्रियों की राय और जनता की आकांक्षा को जानने के बाद ही राजभाषा नीति का सफल सम्पादन हो सकता है। इसी दृष्टिकोण को आधार मानकर गृह मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति गठित करने का विचार किया गया था।

गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति का गठन पहले पहल तत्कालीन गृह मंत्री महोदय की अध्यक्षता में 24-6-64 को किया गया था। इस समिति में कुल 43 सदस्य थे। शिक्षामंत्री और विधि मंत्री इसके उपाध्यक्ष थे और सदस्यों में अधिकांश संसद सदस्य थे। इसकी 20 सदस्यों की एक उप-समिति भी थी। इस समिति का कार्य हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार के लिए और संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में भारत सरकार को सलाह देना था। इस समिति का पुनर्गठन तत्कालीन गृह मंत्री की अध्यक्षता में 9-8-1972 को किया गया। इस समिति में कुल 31 सदस्य थे। शिक्षा मंत्री और विधि मंत्री इसके उपाध्यक्ष नहीं थे। इस समिति का कार्यक्षेत्र घटकर केवल "संघ के काम काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में भारत सरकार को परामर्श देना" था। राजभाषा विभाग के बन जाने के फलस्वरूप गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 3 फरवरी, 1977 को किया गया। इस समिति का कार्यक्षेत्र अब 'सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबधित केन्द्रीय हिन्दी समिति द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन और गृह मंत्रालय तथा उसके विभिन्न विभागों और कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में गृह मंत्रालय को सलाह देना' है। इस प्रकार इस समिति के कार्यक्षेत्र में तीन बार परिवर्तन हुए।

2. हिन्दी सलाहकार समिति में नई लोकसभा को समुचित प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी सलाहकार समितियों को भंग करने के निर्देशों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति भंग कर दी गई और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार गृहमंत्री जी की अध्यक्षता में नई समिति का पुनर्गठन 10 मार्च, 1978 को किया गया। पुनर्गठित समिति में सरकारी सदस्यों के अलावा भारत के अधिक से अधिक और भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी क्षेत्रों, अखिल भारतीय हिन्दी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, समाचार जगत, हिन्दी लेखन जगत और अल्पसंख्यक समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है ताकि समिति समग्र भारत के हिन्दी जगत की विभिन्न विधाओं को प्रतिबिम्बित कर सके। इस समिति में 42 सदस्य हैं।

गृह मंत्रालय की पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की दो बैठकें हुई हैं। दोनों बैठकें प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुईं। पहली बैठक 29 सितम्बर, 1978 को और दूसरी बैठक 20 जनवरी, 1979 को हुई। इन दोनों बैठकों में समिति द्वारा किए गए मुख्य-मुख्य निर्णय निम्नलिखित हैं :—

1. हिन्दी में प्रवीण अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के आदेश देने के संबंध में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए और न ही दबाव डाला जाना चाहिए। हिन्दी अपनी स्वाभाविक गति से स्वयं ही अपनायी जाएगी। हिन्दी के प्रयोग के लिए उचित वातावरण बनाया जाना चाहिए।
2. सरकारी कामकाज में आसान और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए और यथावश्यक प्रादेशिक तथा अंग्रेजी के शब्द भी

[शेष पृष्ठ 19 पर]

राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का योगदान

—हरिबाबू कंसल

भूतपूर्व उपसचिव, राजभाषा विभाग

केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कामों में हिन्दी का उपयोग बढ़ाने के लिए समय समय पर आदेश जारी होते रहे हैं। आदेश जारी होना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही, या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उस पर ठीक ढंग से अमल होना। आदेशों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता यदि उनकी भावना के अनुसार काम न हो।

हिन्दी के प्रयोग के बारे में जारी हुए आदेशों के कार्यान्वयन के लिए सन 1962 में गृह सचिव की अध्यक्षता में हिन्दी कार्यान्वयन समिति स्थापित की गई थी जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल किए गए थे। बाद में, हिन्दी सलाहकार समिति की उप समिति की सिफारिश पर दिसम्बर, 1964 में यह तय किया गया कि सभी मंत्रालयों और विभागों में और उनके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी कार्यान्वयन समितियाँ गठित की जाएँ। 25 अक्तूबर, 1969 को मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया गया कि वे हिन्दी के कार्य की देखभाल के उत्तरदायी संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ स्थापित करें जिसके सदस्य विभिन्न प्रभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी आदि हों। यह तय किया गया कि इन समितियों की बैठकें हर तिमाही में एक बार होनी चाहिए। इन समितियों को निम्नलिखित काम सौंपे गए :—

(1) हिन्दी के प्रयोग के संबंध में गृह मंत्रालय के अनुदेशों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना और उस बारे में आरंभिक और अन्य कार्रवाई करना।

(2) गृह मंत्रालय को भेजी जाने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्टों का पुनरीक्षण करना और इस बात को सुनिश्चित करना कि ये रिपोर्टें ठीक समय पर प्रस्तुत की जा रही हैं।

(3) हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित विभागाध्यक्षों के कार्यालयों से इस संबंध में प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों का पुनरीक्षण करना।

(4) हिन्दी के प्रयोग से संबंधित अनुदेशों के कार्यान्वयन में जो कठिनाइयाँ हों उनका पुनरीक्षण करना और जहां आवश्यक हो वहाँ गृह मंत्रालय को सुझाव/प्रस्ताव भेजना।

(5) हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण के बारे में गृह मंत्रालय के अनुदेशों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना, और

(6) यह सुनिश्चित करना कि हिन्दी, हिन्दी-टंकण और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को उपयुक्त संख्या में भेजा जा रहा है।

प्रारंभ में इन समितियों की स्थापना मुख्य मंत्रालयों तथा विभागों में ही की गई। बाद में यह निर्णय किया गया कि इनका गठन हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित और अधीनस्थ कार्यालयों में भी किया जाए। वहाँ भी इन समितियों की बैठकें हर तिमाही में हों और बैठक का कार्यवृत्त संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा जाए और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई भी की जाए। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां स्थापित करने का निर्णय किया गया था लेकिन उन समितियों का काम केवल कर्मचारियों को हिन्दी के प्रशिक्षण देने से संबंधित स्थिति की समीक्षा करने तथा प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त संख्या में कर्मचारियों को भिजवाना सुनिश्चित करने तक ही सीमित था। अब यह निर्णय किया जा चुका है कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के कार्यालयों की समितियों को भी वही कार्य दिए जाएँ जैसा कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों की समितियों के हैं। अधीनस्थ कार्यालयों में ये समितियां उन कार्यालयों में गठित की जाती हैं जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों की संख्या 25 या उससे अधिक है।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार संकल्प, अधिसूचनाएँ, सामान्य आदेश, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, लाइसेंस, परमिट, करार, संविदाएँ, टेंडर सूचनाएँ तथा संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागज, प्रेस विज्ञप्तियां आदि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होने चाहिए। अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार न केवल हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाने चाहिए, जो पत्र मूल रूप से हिन्दी भाषी क्षेत्र की जनता को या राज्य सरकारों को भेजे जाते हैं वे भी हिन्दी में जाने चाहिए। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उस क्षेत्र के अन्य कार्यालयों से भी अपना पत्र व्यवहार हिन्दी में करें। केन्द्रीय हिन्दी समिति के अनुमोदन से हिन्दी के

प्रयोग से संबंधित जो वार्षिक कार्यक्रम बनाया जाता है उसमें हिन्दी के प्रयोग की मात्रा का लक्ष्य प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है। इन लक्ष्यों की कितनी पूर्ति हुई और राजभाषा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों का किस सीमा तक अनुपालन हुआ इसकी समीक्षा समय समय पर होनी जरूरी है जिससे कि कमियों की जानकारी विभागाध्यक्ष को होती रहे और उन कमियों को दूर करने के उपाय किए जा सकें।

जून, 1976 में बने राजभाषा (संघ के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान की यह जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम और उनके अन्तर्गत बने नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन किया जाए और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्रभावी चैक प्लाइंट बनाए जाएँ। अनेक कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक होती है। स्पष्ट है कि किसी भी विभाग का अध्यक्ष यह जिम्मेदारी अकेला स्वयं पूरी नहीं कर पाएगा। कार्यालयों में वर्षों से अंग्रेजी में काम होता रहा है। अनेक लोगों को हिन्दी में काम करने में कठिनाई या संकोच का अनुभव होता है और किस प्रकार की हिन्दी लिखी जाए इस के बारे में भी गलत फहमी रही है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति अपने कार्यालय के अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी निभाने में बहुत सहायता करती है। इसकी बैठकों में उस कार्यालय के विभिन्न प्रभागों, अनुभागों आदि के अधिकारी अथवा वरिष्ठ कर्मचारी मौजूद होते हैं। समिति के सामने जब पत्र व्यवहार आदि के आंकड़े प्रस्तुत होते हैं तो उससे यह देखा जा सकता है कि हाल की तिमाही में पहले की अपेक्षा कितनी प्रगति हुई और राजभाषा अधिनियम या उसके अन्तर्गत बने नियमों की जो अपेक्षाएँ हैं क्या उनके अनुसार काफी मात्रा में हिन्दी में काम हो रहा है या नहीं। यदि हिन्दी टाइपराइटरों की कमी है या कम टाइपिस्ट हिन्दी टाईपिंग में प्रशिक्षित हैं या स्टेनोग्राफरों को हिन्दी स्टेनोग्राफी नहीं आती तो उन्हें प्रशिक्षण देने के उपायों पर भी विचार कर लिया जाता है। इसी प्रकार, फार्मों, कोडों, मैनुअलों आदि के अनुवाद और उनकी द्विभाषी छपाई की स्थिति की समीक्षा कर ली जाती है। यदि उस कार्यालय के अधीन और कई कार्यालय हैं तो उनके बारे में भी यह देख लिया जाता है कि क्या राजभाषा के सम्बन्ध में अधीनस्थ कार्यालय अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह निभा रहे हैं या उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ाने में यदि कोई कठिनाई सामने आती है तो उस पर विचार करके समिति व्यावहारिक हल निकाल पाती है। यदि कोई कठिनाई इस प्रकार की है जिसका समाधान उनका मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय ही कर सकता है तो कार्यालय की समिति उस बारे में संबंधित मंत्रालय का ध्यान आकर्षित कर देती है।

कई मंत्रालय तथा कार्यालय इन समिति की बैठकें नियमित रूप से कर रहे हैं। वास्तव में इन समितियों का योगदान तभी अधिक हो सकता है जब बैठकें नियमित रूप से हों और उसमें हिन्दी के पत्र व्यवहार, टाइपराइटरों की संख्या, फार्मों के अनुवाद सम्बन्धी आंकड़ें और कितने कर्मचारी हिन्दी में कार्यकर रहे हैं इसकी सूचना समिति के समक्ष रखो जाए। पिछली बैठक में जो निर्णय हुए हों उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी समिति की अगली बैठक में रखी जानी चाहिए।

समिति के कार्य को प्रभावी बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि बैठकों की कार्यसूची बनाते हुए और प्रत्येक मद के सम्बन्ध में संक्षिप्त लेकिन तथ्यपूर्ण टिप्पणी समिति के सदस्यों को पहले से दे दी जाए।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का कार्य-वृत्त अधीनस्थ कार्यालय अपने मंत्रालय को तथा राज भाषा विभाग को भी भेजते हैं। इसकी समीक्षा करने में यदि कोई विशेष बात दिखाई दे और उस बारे में सम्बन्धित मंत्रालय या राजभाषा विभाग उचित रूप से मार्गदर्शन करे तो उससे अधीनस्थ कार्यालयों की समितियाँ अपने कर्त्तव्यों का निवर्हन और अच्छी प्रकार कर सकेंगी।

जिन नगरों में केन्द्रीय सरकार के दस या इससे अधिक कार्यालय हैं वहाँ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों का गठन प्रारंभ में हिन्दी भाषी क्षेत्रों तथा गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब के नगरों में किया गया है। इन समितियों के अध्यक्ष उस नगर के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। समिति के मुख्यतः निम्नलिखित कर्त्तव्य निर्धारित किए गए हैं :—

(1) राजभाषा अधिनियम/नियम और सरकारी काम काज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा,

(2) नगर के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के सम्बन्ध में किए जाने वाले उपायों पर विचार,

(3) हिन्दी के संदर्भ साहित्य, टाइपराइटरों, टाइपिस्टों, आशुलिपिकों आदि की उपलब्धि की समीक्षा, तथा

(4) हिन्दी, हिन्दी टाइपराइटिंग तथा हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार।

इन समितियों की बैठकों पहले वर्ष में एक बार की जाती थीं। अब यह निर्णय किया गया है कि इनकी बैठक वर्ष में दो बार अवश्य हुआ करें।

जहाँ-जहाँ इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से हुई हैं और उनमें विभिन्न विषयों पर गंभीरता से विचार हुआ है वहाँ-वहाँ राजभाषा सम्बन्धी आदेशों की जानकारी अच्छे रूप से हो पाई है और उनका कार्यान्वयन भी अच्छी प्रकार हो सका है।

विदेश मंत्रालय में हिंदी का प्रयोग—कुछ विचार

हिंदी के प्रयोग की समीक्षा करने तथा उसे और आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय में सभी अवर सचिवों/अताशे की एक बैठक 6 अप्रैल, 1979 को आयोजित की गई। इस बैठक में विदेश मंत्रालय के अपर सचिव श्री नरेन्द्र जैन ने विदेश मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के सम्बन्ध में एक सारगर्भित भाषण दिया जिसे नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र जैन ने अपने भाषण में उन विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख किया जिसमें हिन्दी का प्रयोग होना आवश्यक है। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि सभी सरकारी आदेशों का हम पूरी तरह पालन करें और भारत सरकार ने राजभाषा नियमों के अंतर्गत जो कानून बनाए हैं उनका अनुपालन किया जाए। इस सिलसिले में हमें काफी सोच विचार कर यह तय कर लेना चाहिए कि किन-किन क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर राजभाषा नियम के अंतर्गत घोषित "क" क्षेत्र जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, आदि राज्यों को भेजे जाने वाले सभी पत्रादि अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही जारी होने चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम तमिलनाडु और केरल को भी हिन्दी में पत्र भेजें। उन्होंने बताया कि अभी हम द्विभाषिकता की स्थिति से गुजर रहे हैं अतः यह आवश्यक है कि मंत्रालय द्वारा जारी होने वाले सभी सामान्य आदेश, ज्ञापन, परिपत्र आदि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी हों। अपर सचिव महोदय ने यह भी कहा कि कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि कई बार संधियों, करारों एवं भाषणों का अंग्रेजी पाठ तो तैयार करा लिया जाता है और बहुत बाद में जब संसद आदि से इसकी माँग आती है तो हिन्दी पाठ की व्यवस्था की जाती है किन्तु यह पहले से ही ध्यान में रखना चाहिए कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों पाठ साथ-साथ तैयार कराएँ जाएँ ताकि बाद में कोई असुविधा न हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों आदि की पावती भेजने के लिए मानक मसौदे तैयार कर लिए जाएँ और पत्र प्राप्त होते ही उन्हें भरकर भेज दिया जाए।

3. टैरिटोरियल प्रभागों से उन्होंने आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के देशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दें तथा अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भारतीय मिशनों से यह पूछें कि इस सम्बन्ध में उनकी क्या-क्या अपेक्षाएँ एवं आवश्यकताएँ हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह बताया कि विश्व के अनेक देशों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है तथा वहाँ अनेक संस्थाएँ हिन्दी के प्रचार-प्रसार का काम कर रही हैं लेकिन हमारे दूतावासों को अनेक मामलों में इनकी जानकारी तक नहीं है। अतः आप लोग विदेश स्थित अपने मिशनों से यह पूछें कि वे किस प्रकार उन देशों के भारतवंशी तथा भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग रखने वाले लोगों के लिए हिन्दी का कार्य कर सकते हैं। इस सिलसिले में मंत्रालय द्वारा उन्हें पुस्तकें, पत्रिकाएँ, टाइपराइटर आदि से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

बैठक में उपस्थित अनेक अधिकारियों ने यह बताया कि हिन्दी अनुभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण काम में काफी विलम्ब होता है तथा जब तक कोई पत्र आदि अनुवाद के बाद हमारे अनुभागों में वापस आता है तब तक काफी समय निकल गया होता है और कभी-कभी तो उसकी प्रासंगिकता भी समाप्त हो जाती है। अपर सचिव महोदय ने यह आश्वासन दिया कि हम हिन्दी अनुभाग को मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं ताकि भविष्य में विलम्ब से बचा जा सके। कुछ अधिकारियों ने यह भी कहा कि जब विदेश स्थित अपने मिशनों से हिन्दी पत्र/पत्रिकाओं की माँग आती है तो उसे पूरा करने में काफी समय लग जाता है। अपर सचिव ने बताया कि इस दिशा में आवश्यक समन्वय किया जाएगा और आवश्यकतानुसार पत्र/पत्रिकाएँ भेजी जाएँगी। बैठक में यह विचार भी व्यक्त किया गया कि राजनयिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि हम विदेशों में अपने मिशनों में, भारतीय भाषाओं में बात करें तथा भारतीय भाषा एवं भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार करें।

□ □ □

श्रम मंत्रालय में हिंदी

5 मार्च, 1979 को श्रम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक हुई थी । इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्रम मंत्री जी ने श्रम मंत्रालय में हिन्दी की प्रगति की विस्तृत चर्चा की थी। बैठक के कार्यवृत्त से उनके भाषण का आवश्यक अंश यहाँ उद्धृत किया जा रहा है जिसको देखने से पता लगेगा कि श्रम मंत्रालय हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील ही नहीं है अपितु इस मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग काफी हद तक बढ़ा है।

"श्रम मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) में चौथी श्रेणी को छोड़कर कुल 311 कर्मचारी हैं, जिनमें से 294 कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है और 197 कर्मचारियों को हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है। यहाँ अधिकारियों की कुल संख्या 100 है, जिनमें से 77 अधिकारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है और 23 अधिकारियों को हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है । इस समय हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी आंशिक रूप से सरकारी कामकाज हिन्दी में करते हैं।

इस मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है, जिसकी अब तक 13 बैठकें हो चुकी हैं। इस मंत्रालय के 17 संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी ऐसी समितियां बनाई गई हैं, जो अपनी तिमाही बैठकों में सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती हैं । शेष अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसी समितियाँ गठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 25 से कम है। तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से भी इस दिशा में हुई प्रगति पर नज़र रखी जाती है। इस संबंध में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के सी० आर० अनुभाग में "चैक प्वाइंट" स्थापित किया गया है । इस मंत्रालय तथा इसके 31 संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी का ज्ञान रखते हैं । इस विषय में आवश्यक अधिसूचनाएँ भी जारी कर दी गई हैं ताकि हिन्दी के कार्य में प्रगति हो सके।

इस बात को सुगम बनाने के लिए कि अधिकारीगण हिन्दी में काम करें, ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें हिन्दी में डिक्टेशन देने की जरूरत पड़े, हिन्दी स्टेनोग्राफरों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधा तथा मार्गदर्शन के लिए इस मंत्रालय से संबंधित हिन्दी शब्दावली भी तैयार की गई है। इसी प्रकार अक्सर प्रयोग में आने वाले मानक मसौदों का हिन्दी रूपांतर तैयार करके सभी अनुभागों को दे दिया गया है । सभी अनुभागों को अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश तथा अन्य सहायक सामग्री उपलब्ध कराई गई है, ताकि उन्हें हिन्दी में काम करने में सुविधा हो। अधिकारियों तथा कर्मचारियों से सरल हिन्दी इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है ताकि उन्हें हिन्दी में काम करने में कोई झिझक न हो। वर्ष 1978 के दौरान इस मंत्रालय के पुस्तकालय के लिए हिन्दी की 56 पुस्तकें भी खरीदी गई हैं। इनके अतिरिक्त 15 हिन्दी पत्रिकाएँ और दो हिन्दी समाचार-पत्र भी मँगाए जाते हैं।

राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति मालूम करने के लिए मंत्रालय के संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा अनुभागों का निरीक्षण किया जाता है । सरकारी कामकाज में हिन्दी की प्रगति को बढ़ावा देने और राजभाषा कार्यान्वयन योजना संबंधी कार्य को देखने के लिए एक अलग सैल स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

अनुवादकों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति को कम करने और कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने की आदत डालने के लिए ऐसे आदेश जारी किए गए हैं कि वे छोटे-छोटे पत्र स्वयं हिन्दी में तैयार करने का प्रयास करें। हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है।

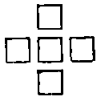

मेडिकल कालेजों और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में भारतीय भाषाओं का प्रयोग

24-4-79 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक में उपर्युक्त विषय पर विस्तार से चर्चा की गई और पाया गया कि देश के अनेक शिक्षा संस्थानों में इंटरमीडिएट तक शिक्षा का माध्यम हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, फिर भी, उन्हें जब एम०बी०बी०एस० में प्रवेश पाना होता है तो वहाँ प्रश्नपत्र अंग्रेजी में ही होते हैं और उत्तर भी अंग्रेजी में ही लिखे जाने होते हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार ऐसे बोर्डों या अन्य शिक्षा संस्थानों से निकलने वाले छात्र एम० बी० बी० एस० कोर्स में प्रवेश पा ही नहीं सकते जो निस्संदेह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सभी सदस्यों ने अंग्रेजी की इस प्रभुता पर गहरी चिंता व्यक्त की। विस्तार से चर्चा होने के बाद यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से फिर अनुरोध किया जाए कि वह विभिन्न मेडिकल कालेजों में भारतीय भाषाओं का वातारण बनाने की दिशा में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा को एक विषय के रूप में सम्मिलित करे और एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाए उसमें हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा देने की व्यवस्था की जाए। समिति ने आगे यह भी सिफारिश की कि एम० बी० बी० एस०के प्रश्न-पत्रों में कम से कम एक प्रश्न हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा में भी हो और उसका उत्तर भी हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा में दिया जाए।

समिति में यह भी सुझाव दिया गया कि डाक्टरों और नर्सों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे ऐसे प्रत्येक नागरिक के साथ, जो उनसे स्थानीय भाषा या हिन्दी में बोल रहा हो, हिन्दी में ही बातचीत करें।

[पृष्ठ 14 का शेष]

ग्रहण करने चाहिए जो आम इस्तेमाल में आ गए हैं। (इस सम्बन्ध में जारी किए गए पिछले आदेशों को एक बार फिर सरक्यूलेट किया जाए ताकि वे उनका पालन कर सकें।)

3. हिन्दी टाइपराइटिंग और स्टेनाग्राफी के प्रशिक्षण केन्द्रों को अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में खोलने के लिए प्राथमिकता दी जाए।
4. प्रशिक्षण प्राप्त टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों के प्रशिक्षण का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। उन्हें इस प्रकार लगाया जाए जिससे उनका हिन्दी टाइपराइटिंग और स्टेनोग्राफी का अभ्यास बना रहे।
5. विभागीय पत्रिकाओं को हिन्दी में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए। इनमें हिन्दी के मूल लेख प्रकाशित किए जाने चाहिए।
6. विभागीय पुस्तकालयों में हिन्दी की पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में खरीदी जानी चाहिए और इसके लिए समुचित राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
7. द्विभाषिक रूप से जारी किए जाने वाले सभी प्रलेख, परिपत्र, सामान्य आदेश आदि शुरू में केवल अंग्रेजी में ही जारी होते हैं और हिन्दी अनुवाद बाद में निकाला जाता है, इस परम्परा को समाप्त किया जाए और हिन्दी रूपान्तर अंग्रेजी के साथ ही निकाला जाना चाहिए।
8. गृह मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम बनाया जाए। इसमें वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएँ और समय-समय पर उसकी प्रगति की समीक्षा की जाए।

गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में लिए गए निर्णयों को अनुपालन के लिए सभी कार्यालयों के ध्यान में लाया जाता है। आशा है कि समिति के बहुमूल्य सुझावों और कुशल मार्गदर्शन में मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के लिए समुचित वातावरण बनेगा और हिन्दी के प्रयोग में निरन्तर वृद्धि होती रहेगी।

□ □ □

हिंदी के बढ़ते चरण :

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में हिंदी की प्रगति

–राजेन्द्र प्रसाद गुप्त

–निदेशक, राजभाषा, कृषि मंत्रालय

ऋग्वेद के मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने कहा था "माता पृथ्वी पुत्रोऽहम पृथिव्या:" अर्थात पृथ्वी हमारी माँ है और हम उसकी संतान हैं। माँ अपनी केवल संतान का पोषण और रक्षण करती है । पर अतिशय उदार हृदया शस्यश्यामला धरती संपूर्ण सृष्टि की जननी तो है ही, सृष्टि के संपोषण के लिए अपेक्षित समस्त साधनों का स्रोत और जन्मदायिनी भी वही है ।

वैदिक ऋचाओं में मातृस्वरूपा पृथ्वी का जो महिमामय उल्लेख किया गया है, वह वस्तुतः प्राचीन भारत में मानव सभ्यता के आदिकाल से ही कृषिकार्य के अस्तित्व का संकेत देता है । भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और इसीलिए हमारी संस्कृति को कृषि संस्कृति कहा गया है । भारतीय मनीषा में, उसकी आर्थिक-सामाजिक और धार्मिक जीवन-संरचना में, हमारे अनुष्ठानों और संस्कारों में सर्वत्र कृषि की गहरी छाप मिलेगी । चूँकि इस देश का बहुमत गाँव गँवई का है और कृषि पर आश्रित है, इसलिए हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति का स्रोत भी वही है । यह बात और है कि वह बहुमत आज भी नए जीवन के आलोक की तलाश में है । अतः भारतीय जीवन में कृषि का स्थान सर्वोपरि है और वही हमारी अर्थव्यवस्था का मूलाधार भी है ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सदियों से अज्ञान और पिछड़ेपन के गहन अन्धकार में डूबे गांवों के विकास में गांधी के महास्वप्न के साथ अभिन्न रूप से जुड़े, कृषि विकास का दायित्व राष्ट्रीय सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय पर आया, जहां पृथ्वी और पृथ्वी-पुत्रों के निकट सहयोग से नये भारत के निर्माण के राष्ट्रव्यापी प्रयत्न चल रहे हैं । इस दिशा में अब तक काफी प्रगति भी हुई है । पर चूँकि इस मंत्रालय का सीधा संबंध भारत के ग्रामीणों और किसानों से है, जो आज भी अधिकांशतः निरक्षर हैं और जिनकी सक्रिय साझेदारी के बिना उस महास्वप्न को साकार करने की कल्पना निरर्थक है, यदि मंत्रालय का कामकाज हिन्दी में हो और किसानों के लिए उपयोगी सूचना सामग्री उनकी भाषाओं में सुलभ हो और हमारे कृषि वैज्ञानिकों और कर्मचारियों द्वारा उनके साथ संपर्क का माध्यम हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ हों, तो निश्चित रूप से इसके क्रांतिकारी परिणाम होंगे और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना संभव हो सकेगा क्योंकि तब उनके साथ उनकी भाषा के माध्यम से सीधा संपर्क और सम्वाद संभव हो सकेगा और स्वभावतः उनकी साझेदारी अधिकाधिक बढ़ेगी । फलतः विकास की गति प्रखर होगी। पर यदि उनके साथ सपंर्क का माध्यम एक ऐसी भाषा हो, जिसे वे समझते ही न हों, तो सही अर्थ में सम्वाद ही स्थापित नहीं हो पाएगा। नए कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान और टेक्नोलोजी और कृषि-कार्य संबंधी सभी नए उपकरणों तथा आदानों यानी इनपुट्स से सज्ज अंग्रेजी माध्यम इस दृष्टि से कतई अनुर्वर है, क्योंकि जो इन प्रयत्नों के कर्त्ता हैं, उनके पल्ले कुछ पड़ेगा ही नहीं, तो उनका उपयोग क्या होगा ? इस दृष्टि से इस मंत्रालय के कामकाज के संदर्भ में हिंदी और भारतीय भाषाओं के सिवा और कोई विकल्प नहीं हो सकता। अतः कृषि विकास के लिए अन्य आवश्यक साधनों के विकास के साथ-साथ यह एक अनिवार्य शर्त है और संपूर्ण, ग्राम विकास की तत्काल आवश्यकता की दृष्टि से, जिसके लिए सरकार कृत संकल्प है, और तेजी से बढ़ती आबादी की आवश्यकताएँ पूरी करने तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करने की दृष्टि से भी कृषि विकास में किसी तरह की शिथिलता नहीं बरती जा सकती।

चूँकि भारत सरकार का सारा कामकाज अंग्रेजी राजकाल से सैकड़ों वर्ष से अंग्रेजी में होता रहा है, अंग्रेजी में सरकारी कामकाज की एक परंपरा विकसित हुई और रूढ़िबद्ध हो गई । ऐसा माना जाने लगा कि इसके लिए अंग्रेजी का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। चाहे यह हमारी मानसिक दासता और दरिद्रता का ही प्रतीक क्यों न हो पर उस धारणा के पक्षधरों ने, कुछ अपने पुराने संस्कारों के आदी होने के कारण और कुछ इसलिए भी कि अंग्रेजी मिथ्या प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई थी, हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रति उपेक्षाभाव

बनाए रखा । भारतीय भाषाएँ उपहास का विषय बनी रहीं अर्थात् स्वकीयाओं की छाती पर अकेली मुहजोर परकीया मेम (सौत) मूंग दलती रही । कुछ इन्हीं कारणों से राष्ट्रीय संदर्भ में उसके विकल्प के महत्व और उसे लागू करने की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। यह बात अंग्रेज प्रभुओं से विरासत में मिले समस्त सरकारी तंत्र पर लागू है । पर कालान्तर में "जनता का काम जनता की भाषा में" के राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक अहसास के विकास के साथ और खासतौर से भारतीय भाषाओं के प्रयोग की विशेष सार्थकता के कारण इस मंत्रालय में इस दिशा में छिटपुट प्रयत्न शुरू किए गए होंगे । मंत्रालय के विभिन्न विभागों और उनके कुछ कार्यालयों में छोटी मोटी राजभाषा संबंधी अभिकार्य आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए एकाध अनुवादकों टाइपिस्टों की नियुक्ति की गयी । आगे चलकर आवश्यकतानुसार कहीं हिन्दी अधिकारी भी नियुक्त हुए। पर जैसा कि ऊपर निवेदन किया गया है ये छिटपुट प्रयत्न थे कतई विश्रृंखल । इनमें कोई तालमेल नहीं था । इस दिशा में एक समन्वित और व्यापक प्रयत्न की अपेक्षा थी, जिसके लिए एक सुदृढ़ संगठन की आवश्यकता होती जो मंत्रालय स्तर पर इस दिशा में श्रृंखलाबद्ध प्रयत्न करता दिशा-निर्देश देता, उनका संचालन करता और आड़े आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का मंत्रालय स्तर पर प्रयत्न करता ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए किए जा रहे प्रयत्नों और उसकी अद्यतन स्थिति को समझने के लिए मंत्रालय के स्वरूप और उसमें राजभाषा कार्य के लिए की गयी व्यवस्था को समझना आवश्यक होगा । इस मंत्रालय के अधीन पाँच विभाग हैं, कृषि, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, खाद्य, ग्राम विकास और सिंचाई विभाग इन पांचों विभागों के अधीन बहुतेरे संलग्न, अधीनस्थ कार्यालय, निगम, औद्योगिक प्रतिष्ठान और स्वायत्तशासी संगठन हैं । इनमें कृषि विभाग के अधीन राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य फार्म निगम, भारतीय डेरी निगम, दिल्ली दुग्ध योजना कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा परिषद से सम्बद्ध राष्ट्रव्यापी कृषि अनुसंधान संस्थानों का जाल, खाद्य विभाग के अधीन भारतीय खाद्य निगम का विशाल संगठन, केन्द्रीय भण्डागार निगम, माडर्न बेकरीज तथा शर्करा वनस्पति निदेशालय, ग्राम विकास विभाग के अधीन देशव्यापी विपणन और निरीक्षण निदेशालय की शाखाएं और सिंचाई विभाग के अधीन केन्द्रीय जल आयोग और उससे सम्बद्ध विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं जिनमें कई राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय महत्व की हैं और जिनकी कुछेक अनुसंधानशालाओं में नदी-बांधों पुलों और जल विद्युत परियोजना संबंधी डिजाइन और माडल-निर्माण आदि का काम होता है और जो अपने देश के अलावा, कई विकासशील देशों को भी एतत्विषयक तकनीकी परामर्श और सहायता देती हैं । मैं समझता हूँ, इससे कृषि और सिंचाई मंत्रालय के स्वरूप उसके राष्ट्रव्यापी विस्तार-प्रसार और उसके कार्य-क्षेत्र तथा जनसंबंधों का स्पष्ट संकेत मिल जाता है। प्रत्यक्षतः उसकी गतिविधियों का केन्द्र हमारे ग्रामीण अंचल हैं, जिस अंचल के अधिसंख्य लोग किसान और सामान्य जन हैं, जो या तो अभी अधिकांशतः अनपढ़ हैं या अपनी क्षेत्रीय भाषाएं जानते हैं । अंग्रेजी तो वे नहीं ही जानते, जो संभवतः देश के कोई दो प्रतिशत लोगों की भाषा है । इतना समझ लेने से, इस मंत्रालय के कामकाज और जन-संपर्क के माध्यम के रूप में हिंदी और भारतीय भाषाओं के उपयोग की सार्थकता और इसलिए उसकी अपरिहार्यता भी निर्विवाद रूप से स्वतः स्थापित हो जाती है ।

मंत्रालय के इन पाँचों विभागों में जैसा कि ऊपर बताया गया है, राजभाषा संबंधी सभी काम के लिए अलग-अलग हिन्दी अनुभाग हैं जो सम्बद्ध प्रशासनों के अधीन काम करते रहे हैं । इनमें नियुक्त हिन्दी अधिकारी और अन्य स्टाफ कर्मठ और लगनशील हैं और पूरे मनोयोग से अपने दायित्व के निर्वाह में जुटा हुआ है ।

कृषि विकास में भारतीय भाषाओं की भूमिका :

सन् 1965-66 के राष्ट्रव्यापी भयंकर अकाल और सूखे ने सारे राष्ट्र का ध्यान कृषि मंत्रालय की ओर आकर्षित किया और यह महसूस किया गया कि देश में पिछड़े कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । यह राष्ट्रीय संकट का समय था और स्थिति इतनी भयावह थी कि आज हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते । ऐसी स्थिति में प्रखर कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान और आवश्यक आदानों की समुचित और त्वरित व्यवस्था के राष्ट्रव्यापी संकल्पशील प्रयत्नों के जरिये देश में हरित क्रांति का अभ्युदय हुआ और 1970-71 तक उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई फलतः खाद्यानों के मामले में देश स्वयंपूर्णता की ओर बढ़ा तथा खाद्यान्नों का जो विपुल भंडार बना, वह बंगलादेश अभियान के समय आड़े मौके पर काम आया । स्मरणीय है कि इन दिनों कृषि विकास संबंधी समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप के चर्चा हुई और कृषि विकास के संदर्भ में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका भी रेखांकित हुई । कृषि विभाग के विस्तार निदेशालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय भाषा विभागों की प्रसार सेवाओं (जिनके जरिए भारतीय भाषाओं के पत्र-पत्रिकाओं के लिए कृषि संबंधी प्रकाशन सामग्री, भाषा विशेष के अधिकारियों द्वारा भेजी और प्रकाशित भी की जाती है) के माध्यम से आधुनिक कृषि वैज्ञानिक और टैक्नोलोजी संबंधी अनुसंधानों के परिणामों पर आधारित किसानों के लिए उपयोगी सूचना सामग्री के प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधियों को तेज किया गया। कृषि विस्तार निदेशालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ग्राम विकास और सिंचाई विभाग के विभिन्न प्रकाशनों की स्थिति सुदृढ़ की गई तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए उचित कदम उठाए गए और कृषि विभाग में जहाँ मंत्रालय स्तर के कार्यों का समन्वय होता है, सन् 1971 में एक

वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी का पद बनाया गया और माननीय कृषि और सिंचाई मंत्री के आदेश से उसे मंत्रालय के विभिन्न विभागों में राजभाषा संबंधी कार्यों के समन्वय के लिए उत्तरदायी बनाया गया । परंपरागत विभागीय दृष्टिकोण के कारण मंत्रालय स्तर पर सरकार की राजभाषा नीति के अमल में खुदरा कठिनाइयाँ ज्यों की त्यों बनी हुई थीं, परंपरागत कृषि को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्रांतिकारी आयाम देने के साथ ही, मंत्रालय के कामकाज और जनसंपर्क के माध्यम के रूप में हिन्दी और भारतीय भाषाओं की सार्थक भूमिका स्पष्ट रूप से पहचानी गई और उनको अंग्रेजी की जगह प्रतिष्ठित करने और मंत्रालय के विभिन्न विभागों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के मंत्रालय स्तर पर मार्गदर्शन, समन्वय और कार्य संचालन की आवश्यकता को भी स्वीकृति मिली और मंत्री जी के स्पष्ट दिशा-निर्देश से उसका मार्ग प्रशस्त हुआ । यह सही दिशा में विनम्र प्रयासों की शुरुआत थी, पर इसमें मंत्रालय स्तर पर आगे की एतद्विषयक गति-विधियों के नवोन्मेष के स्पष्ट संकेत थे ।

कृषि मंत्रालय हिन्दी सलाहकार समिति का गठन : एक नया दिशा संकेत :

वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी स्व. डॉ० राजेंद्र द्विवेदी एक सुयोग्य और सुलझे अधिकारी तो थे ही, हिन्दी और संस्कृत के अच्छे विद्वान भी थे । उन्होंने मंत्रालय में राजभाषा के काम को बढ़ावा देने के लिए मंत्री जी के आदेश से कई कारगर कदम उठाए, जिनमें माननीय कृषि और सिंचाई मंत्री जी की अध्यक्षता में कृषि मंत्रालय हिन्दी सलाहकार समिति का गठन विशेष रूप से उल्लेखनीय है । प्रस्तुत समिति में मंत्रालय के पाँचों विभागों के सचिव, अपर सचिव और पांचों विभागों के राजभाषा कार्य प्रभारी संयुक्त सचिव (प्र०), लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि के रूप में दो सदस्य, उत्तर और दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हिन्दी के प्रख्यात विद्वान, प्राध्यापक और साहित्यक, हिन्दी संबंधी स्वयं सेवी राष्ट्रीय संस्थाओं के वरिष्ठ हिन्दी सेवी प्रतिनिधि आदि शामिल हैं । समिति की तीन बैठकें अब तक हो चुकी हैं । चौथी बैठक दिसम्बर, 1976 में कोच्चीन में होने वाली थी, पर मंत्री जी की अस्वस्थता के कारण स्थगित कर देनी पड़ी । तत्काल उसके बाद समिति का तीन वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो गया और फिर लोक सभा भंग हो जाने के कारण उसका पुनर्गठन संभव न हो सका । लोक सभा चुनाव के बाद काफी विलम्ब से लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों के मनोनीत होने पर समिति का पुनर्गठन हुआ ।

पिछली 27 मार्च, 1979 को समिति की बैठक माननीय कृषि और सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में हुई जिस में मंत्रालय स्तर पर राजभाषा कार्य को सुदृढ़ करने, कृषि शिक्षा और परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के प्रयोग, मंत्रालय में राजभाषा कार्य के लिए आवश्यक पदों, यांत्रिक सुविधाओं और प्रशिक्षण आदि की दिशा में क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाने और उस के कारगर अमल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया और समिति के अध्यक्ष ने उन पर अपने निर्णय दिए, जो मंत्रालय में राजभाषा कार्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

कृषि शिक्षा और परीक्षा का माध्यम : भारतीय भाषाएँ :

पहली तीन बैठकों के कार्यवृत्तों पर कार्रवाई की गयी, जिससे मंत्रालय में राजभाषा के काम को काफी गति मिली इन बैठकों में समिति ने मंत्रालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग और मंत्रालय स्तर पर एतत्संबंधी नीति के प्रभावशाली ढंग से अनुपालन के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं, जिनमें कृषि शिक्षा और परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी और भारतीय भाषाओं के उपयोग की संभावनाओं का अन्वेषण और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण आदि की समस्याओं के समाधान के लिए उचित कार्रवाई सम्बन्धी सिफारिशें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जहाँ तक कृषि शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के प्रयोग का प्रश्न है, अहिन्दी भाषी राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से कृषि शिक्षा के आरंभ के साथ ही, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विज्ञान और टेक्नोलोजी विश्वविद्यालय, पंत नगर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद और चंद्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर जैसे हिन्दी भाषी राज्यों के कई कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर की कृषि शिक्षा का माध्यम हिन्दी है । पर स्नातकोत्तर शिक्षा का माध्यम यहाँ आज भी अंग्रेजी है, जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । जिन लोगों ने हिन्दी माध्यम से स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है, उनके लिए स्नातकोत्तर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना घातक है । ऐसी स्थिति में केवल माध्यम के कारण हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के माध्यम वाले श्रेष्ठ विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़े, पर विषय का अपेक्षया अल्प ज्ञान रखने वाले विद्यार्थियों के मुकाबले कम अंक प्राप्त होने का खतरा बराबर बना हुआ है । यानी विषय का समुचित ज्ञान होने पर भी केवल अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के अभाव में सही अभिव्यक्ति संभव न हो सकने के कारण वे अयोग्य करार दिए जा सकते हैं । स्पष्टतः यह विषय की नहीं, भाषा ज्ञान की परीक्षा हुई और कृषि शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराना नहीं है । इस तरह कृषि शिक्षा का उद्देश्य नष्ट हो जाता है । दुर्भाग्य की बात है कि अंग्रेजी ज्ञान का प्रतीक बन गई है और विषय का ज्ञान गौण हो गया है । यह भुला दिया जाता है कि अंग्रेजी भाषा भी ज्ञान प्राप्ति का एक माध्यम है। स्वतः साध्य नहीं है, साधन है ।

बहरहाल माध्यम के प्रश्न के साथ कृषि सेवा परीक्षा के माध्यम का प्रश्न बुरी तरह उलझा हुआ है । यदि कृषि शिक्षा और परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी और भारतीय भाषाओं का उपयोग शुरू कर दिया जाए और कृषि सेवा की भर्ती परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी ही बनी रहे, तो वह भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वालों के हितों के विरुद्ध होगा । इस संदर्भ में मूल प्रश्न यह है कि आखिर कृषि शिक्षा और परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग का यह आग्रह ही क्यों और किसके लिए ? फिर वही बात क्या उन दो प्रतिशत अंग्रेजी जानने वालों की अहं की तुष्टि के लिए या देश के अधिकांश लोगों और खासतौर से गाँव-गवँई के किसानों मजदूरों के लिए, जिन्हें कृषि कार्य संबंधी अद्यतन वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी मुहैया की जानी है, जिनके साथ हमारे कृषि वैज्ञानिकों का सार्थक संपर्क और सम्वाद लाजिमी होगा ताकि उन्हें कृषि के आधुनिक तरीकों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जा सके और राष्ट्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि उत्पादनों को तेजी से बढ़ाना संभव हो सके । संभवत: इसी विचार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में आयोजित कृषि विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों के पिछले सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने कृषि शिक्षा के संदर्भ में हिन्दी और भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला था और इस दिशा में उचित कदम उठाने की प्रेरणा दी थी ।

कृषि शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग के सिलसिले में, इन भाषाओं में कृषि विषयक उच्चस्तरीय पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ ग्रंथों की दुर्लभता की चर्चा की जाती है और कहा जाता है कि वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी अनिवार्य है । उसका कोई विकल्प नहीं । पर यह दलील देने वाले इस ऐतिहासिक तथ्य को जानबूझ कर नकारने का प्रयत्न करते हैं कि रूसियों, चीनियों, जर्मनों और जापानियों ने अपनी भाषाओं के माध्यम से ही विज्ञान और टेक्नोलोजी के क्षेत्र में प्रगति के नित नए क्षितिजों का अन्वेषण किया है और वे इस मामले में किसी से भी पीछे नहीं हैं । पाठ्य पुस्तकों का अभाव निश्चय ही संदर्भ में राष्ट्राभिमानी जापानियों का उदाहरण हमारे लिए अनुकरणीय है । उन्होंने अन्य समृद्ध भाषाओं के माध्यम से ज्ञान तो अर्जित किया है, पर ऐसे वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को जापानी में प्रस्तुत करके, उसे अपने राष्ट्रजनों के लिए सुलभ बना दिया है, जो उनके राष्ट्रीय गौरव के अनुरूप है । ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इस दिशा में कोई कार्रवाई ही नहीं की गई । पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय में हिन्दी में कृषि विषयक पाठ्य पुस्तकों और उत्कृष्ट कोटि के संदर्भ ग्रंथों के निर्माण की दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है। कुछ लोगों का मत है कि उनमें प्रयुक्त तकनीकी शब्दावली बहुत कठिन है । पर यह दलील उचित प्रतीत नहीं होती । इस क्षेत्र में नया काम हो रहा है । विषय के अनुरूप नई शब्दावली गढ़नी होगी, जो नई होने के कारण शुरू में कुछ दिनों तक अटपटी लग सकती है । निरंतर प्रयोग और अभ्यास से ही वह परिचित और लोकप्रिय हो सकेगी । जैसे अंग्रेजी स्वत: अपने देश में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के लिए अनुपयुक्त और गँवारू भाषा मानी जाती थी, पर आज वह भाषा और उसकी शब्दावली अभ्यासवश हमारी मानसिकता के साथ कुछ इस तरह चिपक गई है कि असली नकली में भेद करना कठिन हो गया है । मम्मी, डेडी के आगे माता पिता की चिंता ही नहीं रही । बहरहाल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा अन्य ऐसे विश्वविद्यालयों में भी छिटपुट कार्य हो रहे हैं । पर इस दिशा में सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और तकनीकी शब्दावली आयोग के माध्यम से हो रहा है, जिन्हें केन्द्रीय स्तर पर पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण आदि का काम सौंपा गया है । निश्चय ही केन्द्रीय स्तर पर यह काम हो, तो सभी विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें समान रूप से लागू की जा सकेंगी और उनमें समान शब्दावली के प्रयोग से हिन्दी की नई तकनीकी शब्दावली को लोकप्रिय बनाना और उनका सर्वत्र समान रूप से प्रचलन संभव हो सकेगा । विभिन्न स्तरों पर कृषि विषयक पाठ्य-पुस्तकें और संदर्भ ग्रंथों के निर्माण में कोई तालमेल नहीं है । इससे एक ही विषय पर कई जगह पुस्तकें लिखाई जाने और व्यर्थ दुहरे खर्चे का भय रहेगा । इस आवृत्ति को बचाने के लिए मंत्रालय स्तर पर एतद्संबंधी प्रयासों के समन्वय की आवश्यकता महसूस की जाती रही है । वास्तव में यह एक बहुत बड़ा और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है । अत: इस दिशा में व्यापक प्रयत्न आवश्यक होंगे । इसमें राज्य सरकारों, जिनके अधीन उनके कृषि विश्वविद्यालय काम करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों को स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय कृषि वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकों की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना आवश्यक होगा ।

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की पिछली बैठक में इस दिशा में पहल तो की गई थी और यह भी सिफारिश की गयी थी कि कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के सम्मेलन में एतद्संबंधी समस्याओं और संभावनाओं पर विचार किया जाए और इस काम के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया जाए । उन्हीं दिनों समिति बनायी भी गयी, पर बैठक नहीं हो सकी । अभी उसका पुनर्गठन कर, सभी विश्वविद्यालयों आदि के प्रतिनिधिओं को उसमें शामिल किया गया है, ताकि उसे एक व्यापक आधार दिया जा सके और सभी संबंधित लोगों का सहयोग प्राप्त किया जा सके । समिति के अध्यक्ष भा० कृ० अ० परिषद् के सचिव हैं, जिनसे इस संबंध में उचित कार्रवाई के लिए

अनुरोध किया गया है। स्मरणीय है कि कृषि विश्वविद्यालयों के संदर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की वही भूमिका है जो अन्य विश्वविद्यालयों के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की है। कृषि सेवाओं की भर्ती परीक्षा के लिए गठित कृषि सेवा भर्ती मंडल भी परिषद् के ही अधीन काम करता है। अतः कृषि शिक्षा और परीक्षा के माध्यम के रूप में केन्द्रीय स्तर पर हिन्दी के प्रयोग की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय कृषि अनुसंधान् परिषद् की ही है। इस दृष्टि से कृषि मंत्रालय हिन्दी सलाहकार समिति की 27 मार्च, 1979 को हुई बैठक में एतत्संबंधी समस्याओं पर पुनः विचार किया गया और अध्यक्ष महोदय ने कहा कि स्नातकस्तर की कृषि शिक्षा हिन्दी माध्यम से की जा रही है, तो स्नातकोतर शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही होना चाहिए तथा उसके लिए पाठ्य-पुस्तकों आदि की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने आदेश दिया कि कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के अगले सम्मेलन में इन समस्याओं पर विचार किया जाए और कृषि ग्रंथ निर्माण समन्वय समिति की बैठक भी बुलायी जाए ताकि विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।

मंत्रालय के प्रकाशन : बहुमुखी विकास के मंत्रोच्चार

मंत्रालय के विभिन्न विभागों और उनसे संबंधित प्रमुख कार्यालयों द्वारा कई पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, जिनके माध्यम से मंत्रालय की लोकोपयोगी गति विधियों का प्रकाशन होता है तथा देश के कृषक समुदाय के लिए कृषि विज्ञान और टेक्नोलोजी संबंधी अधुनातन सूचनाएँ सुलभ की जाती हैं। इनमें विस्तार निदेशालय द्वारा प्रकाशित "धरनी" और "उन्नत कृषि", भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा "खेती" "फलफूल" और "कृषि चयनिका", गन्ना विकास निदेशालय की "शर्करा फसलें" और तंबाकू विकास निदेशालय की "भारती तंबाकू" सिंचाई विभाग के केंद्रीय जल आयोग की "भगीरथ" और ग्राम विकास विभाग के कार्यकलापों से संबंधित "कुरुक्षेत्र" आदि पत्र-पत्रिकाएं शामिल हैं। इसके आलावा मंत्रालय के निगमों की जन-संपर्क शाखाओं द्वारा भी कुछ लोकोपयोगी प्रकाशन निकाले जाते हैं। कृषि मंत्रालय सलाहकार समिति की पिछली बैठक की सिफारिश और राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि संबंधी पत्र-पत्रिकाओं की स्थिति सुधारने और उन्हें अंग्रेजी की पत्र-पत्रिकाओं के समान सभी सुविधाएँ सुलभ कराने की दृष्टि से कृषि-पत्रकारों की एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस गोष्ठी में हिंदी के साथ पंजाबी आदि क्षेत्रीय भाषाओं के सरकारी और गैर सरकारी कृषि-पत्रकारों ने काफी संख्या में भाग लिया, जिसमें एतदसंबंधी समस्याओं पर विचार किया गया और स्थिति में सुधार के लिए समुचित सिफारिशें की गईं और सभी सम्बद्धों से उचित कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया।

पुनः सलाहकार समिति की 27 मार्च की बैठक में कृषि संबंधी हिंदी प्रकाशनों की समस्याओं पर विचार किया और अध्यक्ष महोदय ने हिंदी प्रकाशनों की उपयोगिता स्वीकारते हुए कहा कि उन्हें अंग्रेजी पत्र/पत्रिकाओं के मुकाबले का स्टाफ आदि सभी सुविधाएँ समान रूप से सुलभ की जानी चाहिए।

संसदीय राजभाषा समिति : प्रेरणा का अन्यतम स्रोत

राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अधीन गठित संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति का संबंध कृषि और सिंचाई मंत्रालय से है। समिति देश के विभिन्न भागों में स्थित मंत्रालय के विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यालयों के कामकाज में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का निरीक्षण कर रही है। इस संदर्भ में इस तथ्य को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए कि समिति के निरीक्षण दौरों के फलस्वरूप सम्बद्ध कार्यालयों के कामकाज में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को काफी बल मिला है और राजभाषा संबंधी कानूनी व्यवस्थाओं के अनुपालन की स्थिति में भी तेजी से सुधार हो रहा है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है समिति द्वारा कार्यालयों के निरीक्षण के समय प्रस्तुत की जाने वाली प्रश्नावली की समीक्षा मंत्रालय स्तर पर की जाती है और निरीक्षण की रिपोर्ट के साथ उसे सम्बद्ध विभागों/कार्यालयों को, उनमें पाई गई कमियों को दूर करने के अनुरोध के साथ भेजा जाता है। आवश्यकतानुसार स्टाफ आदि समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की भी सिफारिश की जाती है और उनके अमल पर भी निगरानी रखी जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है और अनुस्मारकों तथा अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में बराबर चलती रहती है, ताकि उसमें शिथिलता न आने पाए। कृषि और सिंचाई मंत्रालय के देश व्यापी विस्तार को देखते हुए यह एक बहुत बड़ा काम है और इसके लिए स्टाफ, हिन्दी टाइपराइटर और प्रशिक्षण आदि की समुचित व्यवस्था आवश्यक है। फिलहाल इस दिशा में यथासंभव कार्रवाई की जा रही है और इस तरह निरीक्षित कार्यालयों में राजभाषा संबंधी स्थिति से संबद्ध विभागों को अवगत कराना और विभागीय प्रशासनों द्वारा इस दिशा में उचित कार्रवाई संभव होती है और विभागों में उच्च स्तर पर सरकार की राजभाषा नीति और एतद्संबंधी कानूनी व्यवस्थाओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कार्यालयों के निरीक्षण के साथ, वह उनके मुख्यालयों/विभागों का भी निरीक्षण करती है और तब कार्यालयों में पाई गई स्थितियों की चर्चा पुनः उच्च स्तर पर संभव होती है और फिर वही प्रक्रिया दुहरायी जाती है, जो राजभाषा संबंधी अपेक्षाओं के प्रति अधिकारियों को सचेत रखती है। कुल मिलाकर इस संदर्भ में संसदीय राजभाषा समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और रचनात्मक है और मैं समझता हूं, मंत्रालयों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग

[शेष पृष्ठ 36 पर]

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में हिंदी :

रामरज मिश्र,
हिंदी अधिकारी, केंद्रीय उद्यम कार्यालय

"राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूँगा है"

—महात्मा गांधी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों का अनुसरण करते हुए हमारे देश की सरकार राजभाषा हिन्दी को राजकाज की भाषा बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राजभाषा नियम 1976 के लागू हो जाने पर उस प्रयास की गति और तेज हो गई है और राजभाषा संबंधी सभी आदेश केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की ही भांति केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन काम कर रहे सभी निगमों और कम्पनियों पर समान रूप से लागू हो गए हैं।

सरकारी उद्यम कार्यालय की भूमिका :

वित्त मंत्रालय का सरकारी उद्यम कार्यालय केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन सभी निगमों और कम्पनियों के लिए प्रबंध, वित्त, उत्पादन, निर्माण आदि अनेक महत्वपूर्ण एवं जटिल विषयों पर नीति-निर्धारण और मार्ग-निर्देश जारी करता है। यह सामान्य हितों के मामलों में डेटा बैंक और सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करता है तथा सरकारी उपक्रमों के कार्यचालन, प्रगति और उपलब्धियों के विषय में संसद को आवश्यक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। सरकारी उद्यम कार्यालय सरकार एवं उद्यमों के बीच एक समन्वयकारी एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के काम-काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना भी इसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है। सरकारी उद्यम जिस प्रकार अन्य बातों के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रति उत्तर-दायी हैं, उसी प्रकार हिन्दी के मामले में भी वे अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रति उत्तरदायी हैं किन्तु सरकारी उद्यम कार्यालय सदा उन्हें सहायता और परामर्श देने के साथ-साथ यह निर्णय भी करता है कि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दृष्टि से निर्धारित फार्मूले के अनुसार किस सरकारी उद्यम ने वर्ष में कुल मिलाकर सर्वाधिक कार्य किया जिसके आधार पर उसे प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरूप "राजभाषा शील्ड" या "राजभाषा कप" प्रदान किया जाए।

सरकारी उद्यमों के राजभाषा सम्मेलनों की परम्परा

सरकारी उद्यम कार्यालय ने राजभाषा सम्मेलनों की यह परम्परा सर्व प्रथम 3 मई, 1976 को राजभाषा विभाग के सहयोग से विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सरकारी उद्यमों के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के आयोजन से शुरू की थी। उस सम्मेलन के निर्णयों एवं सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई में तेजी लाने के उद्देश्य से 29 दिसम्बर, 1976 को भारतीय खाद्य निगम के सभाकक्ष में दिल्ली स्थित सरकारी उद्यमों का प्रादेशिक राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। तदुपरान्त 5 अगस्त 1978 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों का अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें प्रथम पुरस्कार स्वरूप एक चल "राजभाषा शील्ड" और एक अचल "राजभाषा कप" इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज को तथा द्वितीय पुरस्कार स्वरूप एक अचल "राजभाषा कप" भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रदान किया गया। अब तक ये कार्यक्रम हिन्दी भाषी 'क' क्षेत्र में आयोजित किए गए थे। अतः इस वर्ष सरकारी उद्यम कार्यालय ने प्रादेशिक आधार पर 7 मई, 1979 को कलकत्ता में कोल इण्डिया लिमिटेड के सहयोग से 'कोल भवन' के सभाकक्ष में कलकत्ता स्थित सरकारी उद्यमों का हिन्दी सम्मेलन आयोजित किया और इसी प्रकार 6 जुलाई, 1979 को बम्बई में एयर इण्डिया के सहयोग से सेंटौर होटल के 'नालंदा हाल' में बम्बई स्थित सभी सरकारी उद्यमों का हिन्दी सम्मेलन आयोजित किया। इन सम्मेलनों के माध्यम से सरकारी उद्यमों के जिन वरिष्ठ अधिकारियों पर हिन्दी कार्य का दायित्व सौंपा गया है, उनसे सरकारी उद्यम कार्यालय एवं राजभाषा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से यह अनुरोध किया जाता है

कि वे सरकार की राजभाषा नीति का विधिवत अनुपालन सुनिश्चित करें । ये राजभाषा सम्मेलन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मुख्यतः हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने, मौजूदा स्थिति का जायजा लेने तथा इस विषय में तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए मिल-जुल कर विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं । इन सम्मेलनों में सरकारी उद्यम कार्यालय के उच्च अधिकारियों द्वारा बार-बार यही स्पष्ट किया गया है कि वे हिन्दी के प्रयोग के लिए किसी पर कोई विशेष दबाव नहीं डालना चाहते हैं। किन्तु हिन्दी अपनाने की दिशा में जितना काम हो सके, जैसे हो सके और जहां तक हो सके, एक-एक कदम बढ़ाते रहना है। हिन्दी में लिखने के लिए यह छूट है कि हिन्दी का कोई उपयुक्त शब्द न जानने अथवा याद न आने पर बेझिझक अंग्रेजी का शब्द ही देवनागरी लिपि में लिखा जाना काफी होगा । राष्ट्र-भाषा हिन्दी अपनाना सब की स्वेच्छा और सुरुचि का विषय है । सरकारी उद्यम कार्यालय अपने इस प्रकार के आयोजनों से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में हिन्दी के अनुकूल केवल एक वातावरण तैयार करना चाहता है ।

राजभाषा सम्बन्धी आदेशों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से कुछ प्रमुख उद्यमों द्वारा विविध प्रोत्साहन योजनाएँ भी चालू की गई हैं । भारी अभियंत्रण निगम, राँची में दिनांक 27 एवं 28 अक्टूबर, 1979 को बिहार प्रदेशीय राजभाषा सम्मेलन उसी श्रृंखला की एक कड़ी है । इस अवसर पर भारी अभियंत्रण निगम की ओर से वर्ष, 1978 में हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने के उपलक्ष्य में सेन्ट्रल कोल फील्ड्स को "राजभाषा शील्ड" से पुरस्कृत भी किया जा रहा है । यह निःसन्देह अन्य उद्यमों के लिए अनुकरणीय है ।

सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा 'राजभाषा शील्ड' प्रदान करने के लिए निर्धारित मानक फार्मूला :

सरकारी उद्यम कार्यालय ने उपर्युक्त राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर किए गए सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान हिन्दी में सबसे ज्यादा काम करने वाले सरकारी उद्यम को राजभाषा शील्ड प्रदान करने की योजना चालू की है जिसके अन्तर्गत मात्रा, विस्तार और गुणात्मक उपयोगिता आदि की दृष्टि से एक व्यापक प्रतिमान एवं मानक फार्मूला निर्धारित किया गया है ।

इस फार्मूले की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. हिन्दी में प्राप्त पत्रों में से जितने के उत्तर हिन्दी में दिए गए, उनकी संख्या	प्रत्येक पत्र के लिए एक अंक
2. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों में से जितने के उत्तर हिन्दी में दिए गए, उनकी संख्या	प्रत्येक पत्र के लिए एक अंक
3. मूल रूप से हिन्दी में लिखे गए पत्रों की संख्या	प्रत्येक पत्र के लिए एक अंक
4. राजभाषा संशोधन अधिनियम, 1967 की धारा 3(3) के अनुसार हिन्दी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए पत्रों की संख्या	प्रत्येक पत्र के लिए एक अंक
5. वर्ष के दौरान हिन्दी में छपाए गए कोड, मैनुअल, नियम, फार्म, प्रशिक्षण/संदर्भ साहित्य आदि के पृष्ठों की संख्या	प्रत्येक पृष्ठ के लिए पाँच अंक
6. वर्ष के दौरान हिन्दी में प्रशिक्षित किए गए टाइपिस्टों/आशुलिपिकों की संख्या	प्रत्येक के लिए दस अंक
7. वर्ष के दौरान खरीदे गए हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या	प्रत्येक के लिए सौ अंक

उपर्युक्त फार्मूले के अन्तर्गत मुख्यतः चार प्रकार के कार्य हैं जिनका मूल्यांकन किया जाना है तथा जो हिन्दी में काम काज करने के लिए आवश्यक है जैसे पत्राचार चाहे किसी हिन्दी पत्र का उत्तर हिन्दी में दिया जाए या मूल पत्र हिन्दी में लिखा जाय, या राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन अनिवार्यतः उसे द्विभाषिक रूप में जारी किया जाए, इस प्रकार के प्रत्येक पत्र का एक-एक अंक रखा गया है । दूसरा पहलू है कोड, मैनुअल और फार्मों आदि का हिन्दी रूपान्तरण जिसके लिए प्रत्येक पृष्ठ के पाँच अंक रखे गए हैं । तीसरा पहलू है टाइपिस्टों एवं आशुलिपिकों को हिन्दी प्रशिक्षण देना जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के 10 अंक रखे गए हैं और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है—देवनागरी टाइपराइटर खरीदना, जिसके 100 अंक रखे गए हैं । इन पहलुओं का अन्तर्निहित भाव यह है कि उद्यमों में हिन्दी में पत्राचार बढ़ाने और कोड, मैनुअल, फार्म आदि के हिन्दी रूपान्तरण के लिए हिन्दी एकक की स्थापना करनी पड़ेगी और साथ ही अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान भी कराना पड़ेगा । ऐसा हो जाने पर हिन्दी में काम काज के लिए हिन्दी टाइपिस्ट/हिन्दी आशुलिपिक और देवनागरी टाइपराइटर सहायक सिद्ध होंगे । सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर राजभाषा शील्ड प्रदान करने का निर्णय अधिक युक्ति संगत है, क्योंकि अधिकांश बड़े-बड़े उद्यमों के एकक क, ख, ग, आदि सभी क्षेत्रों में स्थित हैं । अतः क्षेत्रीय आधार पर कोई पुरस्कार दिया जाना व्यावहारिक न होगा और सम्भवतः उसके क्षेत्रीय भेद-भाव का प्रश्न भी पैदा हो सकता है । इन फार्मूलों के अनुसार उद्यमों द्वारा प्राप्त कुल अंकों को छोटे और बड़े उद्यमों के कर्मचारियों की संख्या से विभाजन करते हुए संतुलित करने का प्रयास किया गया है। अतः यह मानक फार्मूला पूर्णतः सुविचारित व्यापक, व्यावहारिक एवं युक्तिसंगत है । आशा है कि इस योजना के फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में हिन्दी के

प्रगामी प्रयोग की स्थिति में निरंतर सुधार होगा । उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक 62 सरकारी उद्यमों में हिन्दी एककों की स्थापना की जा चुकी है । हिन्दी में मूल पत्राचार के आंकड़ों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है । अनेक उद्यमों ने हिन्दी न जानने वाले अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी शिक्षण तथा टाइपिस्टों/आशुलिपिकों के हिन्दी प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की है । हिन्दी में काम की बढ़ती हुई मात्रा के अनुसार देवनागरी टाइपराइटरों की भी खरीद की जा रही है । यद्यपि अभी तक 24 उद्यमों ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने उत्पादों पर विवरण हिन्दी में भी लिखना शुरू कर दिया है शेष उद्यम भी इस ओर अग्रसर हो रहे हैं । उद्यमों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं आदि में भी हिन्दी का समावेश किया जाने लगा है । इस प्रकार हिन्दी के बहुविधि प्रचार एवं प्रसार को देखते हुए यह सुनिश्चित जान पड़ता है कि हिन्दी अवश्य ही राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने की मंजिल पा लेगी, जबकि जनतंत्रात्मक सरकार और इसके सभी कार्यालयों/उद्यमों में समस्त कामकाज जनता की ही भाषा में होने लगेगा ।

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मार्केटिंग डिवीजन में हिंदी की प्रगति

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (मार्केटिंग डिवीजन) का प्रधान कार्यालय बम्बई में है । बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास स्थित इसके चार रिजनल कार्यालय हैं ।

बम्बई में मार्केटिंग डिवीजन के प्रधान कार्यालय में अक्तूबर, 1976 में हिन्दी कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष उप महा प्रबंधक हैं । इस समिति के गठन के पश्चात् नौ बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं तथा मार्केटिंग डिवीजन में हिन्दी कार्यान्वयन संबंधी अनेक निर्णय लिए जा चुके हैं । हिन्दी कार्यान्वयन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त हिन्दी तथा अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं तथा सभी संबंधितों को वितरित किए जाते हैं ।

रिजनल स्तर पर भी हिन्दी कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है । रिजनल मैनेजर को इस समिति का अध्यक्ष तथा रिजनल पर्सनल मैनेजर को सचिव बनाया गया है । प्रधान कार्यालय तथा चारों रिजनल कार्यालयों में हिन्दी कक्ष कार्यरत हैं जहां एक हिन्दी अधिकारी तथा एक आशुलिपि जिसे हिन्दी आशुलिपि का ज्ञान है, तैनात हैं । मार्केटिंग डिवीजन में एक मात्र हिन्दी कार्यान्वयन के कार्य के लिए प्रधान कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी को विशेष कार्याधिकारी हिन्दी कार्यान्वयन के पद पर तैनात किया गया है । इससे प्रतीत होता है कि सरकारी नीति के अनुसार मैनेजमेंट हिन्दी के कार्यान्वयन को कितना महत्व देती है । स्टाफ की संख्या, हिन्दी में प्रवीणता रखने वाले कर्मचारियों तथा हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का विवरण नीचे लिखे अनुसार है :—

पदनाम	कुल संख्या	हिन्दी में प्रवीणता रखने वाले	हिन्दी में कार्य साधक ज्ञान रखने वाले
1. अधिकारी	2027	146	637
2. स्टाफ	7772	230	1496

1. हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था

(क) भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित हिन्दी कक्षाएँ प्रधान कार्यालय तथा बंबई, दिल्ली और कलकत्ता स्थित रिजनल कार्यालयों में चलाई जाती हैं । इन कक्षाओं के लिए उचित सुविधाएँ दी जाती हैं । हमारे मद्रास रिजनल कार्यालय के कर्मचारी हिन्दी सीखने के लिए हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा संचालित कक्षाओं में जाते हैं । प्रधान कार्यालय में जून, 1979 से हिन्दी कक्षाओं का पाँचवाँ सत्र आरम्भ किया गया है ।

करीब 250 कर्मचारी, जिनमें उच्च अधिकारी भी शामिल हैं, विभिन्न स्थानों पर हिन्दी कक्षाओं में जा रहे हैं । अब तक करीब पचास कर्मचारी प्राज्ञ परीक्षा पास कर चुके हैं । हमारे कर्मचारी केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम से हिन्दी सीखने के लिए भी प्रोत्साहित किए जाते हैं । कलकत्ता और मद्रास रिजनल कार्यालयों में करीब सत्तर कर्मचारी इस पाठ्यक्रम से लाभ उठा रहे हैं ।

निर्धारित परीक्षाएँ पास करने पर कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाते हैं ।

(ख) मार्केटिंग डिवीजन में आजकल तीस हिन्दी टाइपराइटर हैं । चौदह और हिन्दी टाइपराइटरों की माँग की गई है । अगली तिमाही में इनके प्राप्त होने की आशा है । आवश्यकता होने पर हिन्दी टाइपराइटर किराए पर लेने के कार्य आदेश भी हमारे डिवीजनल कार्यालयों को दे दिए गए हैं ।

अभी मार्केटिंग डिवीजन में हिन्दी टाइपराइटिंग जानने वाले पैंतालीस टाइपिस्ट हैं तथा हिन्दी स्टेनोग्राफी जानने वाले आठ स्टेनोग्राफर ।

हमारे दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास रिजनल कार्यालयों के टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर हिन्दी टाइपराइटिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं ।

बंबई स्थित प्रधान कार्यालय में तेरह हिन्दी टाइपराइटर हैं । हमने अपने बंबई के कर्मचारियों को अपने ही साधनों से हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण देने के लिए एक केन्द्र की स्थापना की है । जनवरी, 1979 में भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा ली गई परीक्षा में तेरह कर्मचारी अच्छी तरह उत्तीर्ण हो गए हैं । हमें यह बताते हुए गर्व होता है कि बंबई के सभी परीक्षार्थियों में प्रथम स्थान पाने वाला कर्मचारी हमारे ही केन्द्र का है । उसने बंबई की हिन्दी शिक्षण योजना के टाइपराइटिंग केन्द्र के सभी प्रशिक्षार्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए । हम अपने कर्मचारियों के लिए हिन्दी स्टेनोग्राफी की कक्षा भी चला रहे हैं । जुलाई, 1979 में होने वाली परीक्षा में हमारे चार कर्मचारी बैठेंगे । इसी समय हमारे ग्यारह कर्मचारी भी हिन्दी टाइपिंग की परीक्षा में सम्मिलित होंगे । इस प्रकार हिन्दी कार्यान्वयन की दिशा में एक बड़ी अड़चन को हमने सुलझा लिया है तथा अपने ही प्रयासों से हम हिन्दी टाइपिस्ट तथा स्टेनोग्राफर बन रहे हैं । हमारे अन्य रिजनल कार्यालयों के कर्मचारी भी आवश्यकतानुसार हिन्दी टाइपराइटिंग और स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण हिन्दी शिक्षण योजना की सहायता से प्राप्त कर रहे हैं । जहाँ हिन्दी शिक्षण योजना के हिन्दी टाइपराइटिंग प्रशिक्षण केन्द्र नहीं हैं, वहाँ हमने अपने कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की है कि वे प्राइवेट संस्थाओं में हिन्दी टाइपराइटिंग और स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण प्राप्त करें । हिन्दी शिक्षण योजना की परीक्षा में पास होने पर इन्हें भी पुरस्कार के पात्र माना जाता है ।

(ग) गत वित्तीय वर्ष में अपने कर्मचारियों के लिए हमने बंबई के प्रधान कार्यालय में दो हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की थीं । अभी हाल ही में हमारे दिल्ली रिजनल कार्यालय ने भी एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया है ।

अन्य विवरण :

1. इन हिन्दी ट्रेनिंग कार्यक्रमों को प्रधान कार्यालय/रीजन की वार्षिक ट्रेनिंग कार्यक्रम दर्शाने वाली पुस्तिका में शामिल किया गया है ।

2. हमारे टैंकों तथा टैंक-ट्रकों पर 'इंडियन आयल' हिंदी में भी लिखा जाता है । नाम पट्ट, साइनबोर्ड आदि हिन्दी में भी तैयार किए जाते हैं। 'क' क्षेत्र के नए रिटेल आउटलेटों पर 'इंडियन आयल' एम्बलेम हिन्दी में लगाया जाता है । अंग्रेजी एम्बलेमों को हिन्दी में धीरे-धीरे बदला जा रहा है । वर्ष 1978-79 में 378 रिटेल आउटलेटों पर हिन्दी एम्बलेम लगाए गए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 790 रिटेल आउटलेटों पर हिन्दी एम्बलेम लगाने की योजना है ।

3. फाइल-कवर, लिफाफे, पत्रशीर्ष, कापीशीट इत्यादि द्विभाषी बना लिए गए हैं । बंबई स्थित प्रधान कार्यालय तथा वेस्टर्न रीजन में अन्य लेखन सामग्री पर भी 'इंडियन-आयल' हिन्दी में लिखा जा रहा है ।

4. 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में तैनात अधिकारियों के परिचय पत्र उनके उपयोग के अनुसार हिन्दी में बनाए जा रहे हैं । स्टाफ के नियुक्ति पत्र हिन्दी में जारी किए जा रहे हैं । अधिकारियों के नियुक्ति पत्र भी जल्दी ही हिन्दी में जारी किए जाएँगे ।

5. प्रधान कार्यालय तथा रिजनल कार्यालयों में वर्दीधारी स्टाफ को ऐसे प्लास्टिक के बिल्ले दिए जाते हैं जिन पर 'इंडियनआयल' हिन्दी में लिखा है ।

6. इंडियन आयल द्वारा विपणन किए जाने वाले उत्पादों के तथा इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड लुब्रिकेंटों तथा ग्रीजों के नाम छोटे डिब्बों पर हिन्दी में भी छपवाए जाते है । कार्टनों पर भी यह सूचना द्विभाषिक रूप में दी जाती है ।

7. हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाते हैं । गत वित्तीय वर्ष में करीब 6270 पत्र हिन्दी में भेजे गए ।

8. सामान्य तौर के साइक्लोस्टाइल किए गए परिपत्र द्विभाषिक रूप में जारी किए जाते हैं इसी प्रकार स्थानान्तरण आदेश, स्थायीकरण पत्र भी द्विभाषिक रूप में जारी होते हैं । प्रधान कार्यालय और रिजनल कार्यालयों से गत वर्ष 1384 द्विभाषिक परिपत्र जारी किए गए थे । अब तक 59 मानक मसौदे हिन्दी में बना लिए गए हैं जिनका बराबर उपयोग हो रहा है ।

9. हम 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित अपने प्रमुख ग्राहकों के लिए सम्मेलन (विलनिक्स, सेमिनार, आदि) का आयोजन हिन्दी में कर रहे हैं । इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे बरेली, भोपाल, नागपुर और जयपुर स्थित डिवीजनल कार्यालयों में किए गए । हमारे डीलर सम्मेलन में भी अधिकांश काम-काज हिन्दी में होता है । इस प्रकार के हिन्दी में किए गए कार्यक्रम काफी प्रभावी पाए गए हैं और उनकी सराहना की गई है ।

10. हमारी गृह पत्रिका 'इंडियनआयल न्यूज' पिछले ढाई वर्षों से हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित की जा रही है । हम एक त्रैमासिक पत्रिका 'डीलर न्यूज' का भी प्रकाशन हिंदी और अंग्रेजी में कर रहे हैं। यह पत्रिका सभी डीलरों, प्रमुख ग्राहकों तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भेजी जाती है । हमारी गृह पत्रिका 'इंडियनआयल समाचार' को वर्ष 1978 में, भारतीय भाषाओं के प्रकाशन में, इंडियन असोसिएशन आफ इंडस्ट्रीयल एडीटर्स द्वारा प्रथम पुरस्कार मिला है । इस कार्पोरेशन की वार्षिक रिपोर्ट भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निकाली जाती है ।

एच० एम० टी० में हिंदी

राजेश्वर सिंह
हिंदी अधिकारी
एचएमटी लि० बंगलोर

उत्पादन में विविधता के क्रम में आज एचएमटी मशीन टूलों के निर्माण के साथ-साथ एक ओर किसानों के लिए ट्रैक्टर का उत्पादन कर रही है तो दूसरी ओर आम जनता के लिए घड़ियां, बल्ब, छपाई की मशीनें इत्यादि । उत्पादित मालों को जनता तक पहुँचाने के लिए जनता की भाषा अपनाना उतना ही आवश्यक है जितना कि उनके उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के मालों का उत्पादन ।

एचएमटी का यह सतत प्रयास रहा है कि राजभाषा अधिनियम एवं उसमें विहित नियमों का पूर्ण अनुपालन मुख्य कार्यालय सहित हिन्दी-अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कंपनी की सभी यूनिटों में किया जाए । हालाँकि इसका मुख्य कार्यालय अहिन्दी भाषी क्षेत्र "ग" में स्थित है लेकिन कंपनी अपने को क्षेत्र "क" के समकक्ष समझती है क्योंकि इसकी यूनिटें, जैसे पिंजौर (हरियाणा), श्रीनगर (कश्मीर), कलमेसरी (केरल), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), अजमेर (राजस्थान) आदि हिन्दी-अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित हैं । कंपनी के किसी भी क्षेत्र के कर्मचारी को यह पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह अपना काम-काज अंग्रेजी या हिन्दी में कर सकता है । "क" क्षेत्र के समकक्ष समझने का दूसरा कारण यह भी है कि हिंदी से संबंधित सभी तरह के सरकारी निदेश, परिपत्र आदेश एवं अन्य रिपोर्टें प्रधान कार्यालय में ही आते रहते हैं और प्रधान कार्यालय की ओर से उन्हें सभी यूनिटों को आवश्यक सूचना एवं अनुपालन हेतु भेजा जाता है । एचएमटी में हिंदी प्रगति की अद्यतन स्थिति संक्षिप्त में इस प्रकार है :—

1. राजभाषा अधिनियम एवं उसमें विहित नियमों का अनुपालन :

भारत सरकार, राजभाषा विभाग से समय-समय पर प्राप्त आदेशों के अनुरूप कंपनी के सभी यूनिटों में निदेशानुसार राजभाषा हिन्दी का प्रयोग हो रहा है । जैसा कि वर्ष 1978-79 को "राजभाषा वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है । इस संबंध में कंपनी के प्रधान कार्यालय की ओर से एक योजना तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत वार्षिक कार्यक्रमों के अलावा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु कुछ विशेष कदम उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु समय-समय पर सभा, गोष्ठी एवं हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है ।

2. गजट में नाम अधिसूचना करना :

कंपनी की दो यूनिटें अर्थात्—एचएमटी लि० पिंजौर (हरियाणा) एवं एचएमटी लि० अजमेर (राजस्थान) हिन्दी भाषी "क" क्षेत्र में स्थित हैं और वहाँ के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त घोषणा के आधार पर इन दोनों यूनिटों में 80 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है और उन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है । इस प्रकार इनका नाम गजट में अधिसूचित करने हेतु प्रशासनिक मंत्रालय को भेज दिया गया है ।

3. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति :

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को ध्यान में रखते हुए प्रधान कार्यालय सहित हिन्दी-अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कंपनी के सभी यूनिटों में यह बैठक नियमित रूप से प्रत्येक माह में होती है जिसमें हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श के साथ-साथ महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक निर्णय भी लिये जाते हैं ।

4. हिंदी में पत्र-व्यवहार :

कंपनी में जनता, सरकार तथा अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं से पत्र प्रायः हिन्दी में भी प्राप्त होते रहते हैं । हिन्दी में प्राप्त ऐसे पत्रों हेतु केन्द्रीय डाक अनुभाग में एक "आवक-रजिस्टर" रखा गया है जिसमें इसे दर्ज किया जाता है । उसी प्रकार प्रकार हिन्दी में जवाब दिए गए पत्रों हेतु एक "जावक-रजिस्टर" रखा गया है और कंपनी की ओर से मूलरूप से हिन्दी में भेजे जाने वाले पत्रों हेतु एक अलग रजिस्टर रखा गया है । इस प्रकार हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में ही दिया जाता है और कुछ पत्र हिन्दी में मूल रूप से भी भेजे जाते हैं ।

5. अनुवाद कार्य :

मुख्य कार्यालय सहित कंपनी के कुछ यूनिटों में "हिन्दी कक्ष" का गठन हो गया है जिसके अन्तर्गत हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुवादक, हिन्दी टंकक एवं सहायक कार्य करते हैं और कंपनी को आवश्यकतानुसार अनुवाद में सहायता प्रदान करते हैं।

6. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा एचएमटी लि० में हुई प्रगति का निरीक्षण :

राजभाषा संसदीय समिति की तीसरी उप समिति द्वारा निम्नलिखित यूनिटों में हिन्दी में हुई प्रगति का निरीक्षण किया गया है :—

एचएमटी I एवं II बंगलौर
एचएमटी I एवं II (घड़ी), बंगलोर
एचएमटी VI अजमेर एवं III (घड़ी) श्रीनगर

एचएमटी III, पिंजौर में हिन्दी में हुई प्रगति का निरीक्षण करने के लिएयह समिति 2 जून, 1979 को पिंजौर पधारी थी। समिति ने हिन्दी में हुई प्रगति का निरीक्षण किया और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु कुछ विशेष सुझाव दिए।

(2 जून 1979 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति के सदस्य पिंजौर (हरियाणा) स्थित एचएमटी लि० के महाप्रबन्धक और अन्य अधिकारियों के साथ हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में विचार-विमर्श करते हुए।)

7. उत्पादन साहित्य, प्रपत्र तथा अन्य सामग्रियों का हिंदी-अंग्रेजी में प्रकाशन :

कंपनी द्वारा उत्पादित विभिन्न मालों के संबंध में विवरण, कीमत सूची तथा विवरणिका अंग्रेजी-हिन्दी में छपवा ली गई है। ट्रैक्टर के संबंध में "कार्य-संचालन मैनुअल, लीफ-लेट एवं अन्य विवरणिका हिन्दी के साथ-साथ अन्य भाषाओं में भी छपाई गई हैं। घड़ियों के संबंध में कई प्रपत्र हिन्दी-अंग्रेजी में छपाए गए हैं। कंपनी के अन्य उत्पादन, जैसे छपाई मशीन, लेथ, बल्ब इत्यादि से संबंधित कुल 25 प्रपत्रों को हिन्दी-अंग्रेजी में छपवा लिया गया है।

8. पत्र-पत्रिकाएँ :

कंपनी के यूनिटों द्वारा "गृह-पत्रिका" का प्रकाशन नियमित रूप से क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी एवं अंग्रेजी में किया जा रहा है। जहाँ पर क्षेत्रीय भाषा हिन्दी है वहाँ पर इसका प्रकाशन हिन्दी और अंग्रेजी में किया जाता है। कर्मचारियों के उपयोग हेतु हिन्दी के दो समाचार-पत्र हिन्दुस्तान एवं नवभारत टाइम्स तथा अन्य पत्रिकाएँ, जैसे हिन्दुस्तान, धर्मयुग (साप्ताहिक) सारिका, कादम्बिनी, नवनीत आदि का क्रय नियमित रूप से किया जा रहा है।

9. सहायक शब्दकोष एवं संदर्भ साहित्य :

कंपनी के अन्तर्गत प्रयुक्त तकनीकी शब्दों एवं टिप्पण इत्यादि के संदर्भ में एक शब्दावली का निर्माण भी किया गया है जिसे साइक्लोस्टाइल कराकर सभी संबंधितों को आवश्यक उपयोग हेतु भेज दिया गया है। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा प्रकाशित "संघ की राजभाषा" की प्रतियाँ भी सभी यूनिटों को भेज दी गयी है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाशित "समेकित प्रशासन शब्दावली" एवं अन्य प्रकाशनों की प्रतियाँ सभी यूनिटों को उनकी सूचना एवं दिन-प्रति-दिन के प्रयोग हेतु भेज दी गई हैं। इसके साथ ही वृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह, मानविकी खंड I एवं II, व्यावहारिक हिन्दी-अंग्रेजी कोश तथा अन्य संदर्भ साहित्य खरीद लिए गए हैं।

10. हिंदी प्रशिक्षण :

गैर-हिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षित किए जाने के संबंध में फिलहाल कंपनी की निम्नलिखित यूनिटों में हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है:-

(i) एचएमटी प्रधान कार्यालय, बंगलोर
(ii) एचएमटी I एवं, II बंगलोर
(iii) एचएमटी I एवं II (घड़ी), बंगलोर

(iv) एचएमटी 4, कलमेसरी

(v) (एचएमटी 5, हैदराबाद

(vi) (एचएमटी 3 (घड़ी), श्रीनगर

11. प्रोत्साहन योजना :

हिन्दी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि परीक्षाएं पास करने के उपरान्त कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्राप्त निदेशों के आधार पर कंपनी द्वारा एक आकर्षक प्रोत्साहन योजना अपनाई गई है। इसके अलावा हिन्दी में गोष्ठी, भाषण इत्यादि के माध्यम से भी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता रहा है।

12. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट नियमित रूप से हिन्दी-अंग्रेजी में प्रकाशित की जाती है। समय-समय पर कंपनी के निरीक्षणार्थ आई पुनरीक्षण समिति एवं अन्य समितियों को भी आवश्यक कागजात, रिपोर्टें हिन्दी-अंग्रेजी में प्रस्तुत की जाती रही हैं।

13. उत्पादनों पर हिंदी में विवरण :

कंपनी यह निर्णय ले चुकी है कि कुछ उत्पादित मालों पर कंपनी का नाम एवं अन्य विवरण द्विभाषी अर्थात् हिन्दी-अंग्रेजी में दिए जाएँगे। इस संबंध में आवश्यक प्रूफ तैयार हो गए है और इस प्रकार शीघ्र ही कंपनी उत्पादनों पर विवरण अंग्रेजी-हिंदी में दिया जाने लगेगा।

14. कंपनी का मोनोग्राम :

अंग्रेजी के अतिरिक्त कंपनी ने एक हिन्दी मोनोग्राम का भी चयन कर लिया है और अब इन दोनों मोनोग्रामों को साथ-साथ सभी उत्पादनों एवं पत्रों पर इस्तेमाल किया जाएगा।

15. महाप्रबंधक कार्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी में प्रशिक्षण :

मुख्य कार्यालय द्वारा कंपनी के वरीय प्रबंधकों एवं महाप्रबंधकों हेतु दिए जाने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत "संघ की राजभाषा नीति एवं इस संबंध में कंपनी की नीति" के बारे में भी आवश्यक प्रशिक्षण उन्हें हिन्दी में दिया जाता है जिससे संबंधित यूनिटों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में प्रगति हुई है।

16. भावी योजनाएँ :

1. वर्ष 1978-79 को "राजभाषा वर्ष" के रूप में मनाने के संबंध में कंपनी ने अपना कार्यक्रम तैयार कर सभी यूनिटों को निश्चित समय के अन्तर्गत पूर्णकार्यान्वयन हेतु भेज दिया है। इसके अलावे प्रधान कार्यालय की ओर से कंपनी में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु एक "कार्रवाई की योजना" बनाई गई है जिस पर हिन्दी-अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित सभी यूनिटों को आवश्यक कार्रवाई करनी है।

2. विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी को अपनाने के संबंध में कंपनी विभिन्न कार्यालयों से पत्र-व्यवहार कर रही है और शीघ्र ही इस पर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

3. प्रेस-विज्ञप्ति एवं प्रेस-प्रकाशनों को द्विभाषी, रूप में अंग्रेजी-हिन्दी में जारी करने के संबंध में आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। इस प्रकार उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि एचएमटी में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में काफी प्रगति हुई है फिर भी कंपनी की ओर से इस संबंध में सतत् प्रयास जारी है कि कंपनी द्वारा उत्पादित मालों को जनता तक पहुँचाने हेतु भारत की समस्त भाषाओं में कुछ न कुछ विवरण प्रकाशित किए जाएँ। तदनुसार इस संबंध में काफी काम-काज आरम्भ हो गया है।

इस पत्रिका में प्रकाशन के लिए सामग्री भेजते समय कृपया नीचे लिखी बातों को ध्यान में रखें :—

1 फुलस्केप साइज़ कागज पर साफ़-साफ टाइप की गई सामग्री की कम से कम दो प्रतियाँ भेजी जाएँ।

2 बैठकों, सम्मेलनों तथा समारोहों आदि के समाचार यथासंभव चित्रों के साथ भेजे जाएँ।

3 प्रकाशन के लिए भेजी जाने वाली सामग्री में मानक देवनागरी लिपि और मानक वर्तनी का ही प्रयोग किया जाए।

संपादक

स्वेच्छा सेवी हिंदी संस्थाओं की हिंदी सेवा

—डॉ रत्नाकर पाण्डेय

कांग्रेस की स्थापना के साथ ही देश के बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों के मन में दृढ़-संकल्प उठा कि परतंत्रता से मुक्ति के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को जन्म दिया जाए। विद्याव्यसनी अंग्रेजों से हिन्दी प्रदेशों में साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को जन्म देने की प्रेरणा मिली किन्तु उनकी प्रेरणा से किसी ऐसी संस्था का उद्भव नहीं हुआ जो साहित्य और भाषा के विकास का केन्द्र बनकर मध्ययुग की राजसभाओं का स्थान ग्रहण कर सकती। अंग्रेजी पढ़े-लिखे वर्ग की ऊर्जा में यह प्रबल भावना सक्रियरूप से कार्य कर रही थी कि बौद्धिक और सामाजिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने, प्राच्य भाषाओं की नवीनतम कृतियों को जनता के सामने प्रस्तुत करने, अंग्रेजी के विद्वानों को हिन्दी सेवा हेतु अग्रसर करने, मनुष्य में निहित प्राकृतिक शक्तियों को खोजने, पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास में अधुनातन पाश्चात्य प्रवृत्तियों के ग्राह्य तत्वों पर बल देने के लिए अनेक संस्थाएँ स्थापित की जाएँ। कर्मठता ने भावना को कार्य रूप में बदल दिया। अनेक संस्थाएँ स्थापित हुई। ये संस्थाएँ अपने सीमित साधन और निर्धारित कार्य क्षेत्र तक ही सक्रिय रहीं। फिर भी इन महान् संस्थाओं की स्थापना के पीछे नवबौद्धिक चेतना का विशेष योगदान रहा। ऐसी संस्थाएँ निम्नलिखित है :—

दि बनारस इंस्टीट्यूट, दि कारमाइकल लाइब्रेरी, थियोसोफिकल सोसाइटी, कविता वर्धनी सभा, दि पैन रीडिंग क्लब, यूनियन क्लब, विज्ञान प्रचारिणी सभा (काशी), दि इलाहाबाद इन्स्टीट्यूट, दि फ्रेंच डिबेटिंग सोसाइटी, हिन्दी प्रवर्धनी सभा, हिन्दी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा, (इलाहाबाद), भाषा वर्धनी सभा (अलीगढ़), कवि कला कौमुदी (वृन्दावन), इतिहास कार्यालय (उदयपुर), रसिक कवि समाज (कानपुर), भानु कवि समाज (जबलपुर), संस्कृत संजीवनी समाज, कवि समाज तथा काव्यलता (मधुबनी) आदि।

इस शताब्दी के प्रारम्भ होने के पूर्व इन छोटी-छोटी संस्थाओं ने भाषा साहित्य तथा ज्ञान-विज्ञान के नवीन प्रतिमानों की स्थापना का अथक प्रयत्न किया। इन्हीं संस्थाओं की गोष्ठियों में साहित्यकार विविध प्रकार का साहित्य पढ़ते तथा परस्पर विचार-विनिमय करते थे। उस समय सभी साहित्यकार किसी न किसी संस्था से सम्बद्ध थे। वे साहित्य के माध्यम से व्यष्टि और समष्टि में नए जीवन मूल्य की स्थापना में भी समर्पित भाव से लवलीन थे। ये संस्थाएँ राजाओं-महाराजाओं और अंग्रेजों के प्रयत्न का परिणाम न थीं बल्कि इनके निर्माण में हिन्दी प्रदेश के धनी-निर्धन बुद्धिजीवियों का अप्रतिम योगदान था। इन संस्थाओं ने साहित्य, ज्ञान-विज्ञान, इतिहास, दर्शन, आदि का संबंध मानवतावादी सामाजिक चेतना की दृष्टि से स्थापित करने में नींव की मिट्टी का काम किया। इन संस्थाओं से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि साहित्य, भाषा और संस्कृति राज-दरबारों की सीमित चारदीवारियों से बाहर निकलने के लिए स्वतन्त्र हो गई। ये संस्थाएँ सामूहिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के प्रचार-प्रसार का नूतन केन्द्र बन गईं। इन संस्थाओं ने साम्राज्यवादी शोषण नीति से जनता को बचाने के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक भावना को जागरूक किया तथा सांस्कृतिक और साहित्यिक आदर्शों के निर्माण में अच्छे हिन्दी सेवियों का समर्पित दल बनाया। परन्तु इन संस्थाओं का महत्व क्षेत्रीय था, ये राष्ट्रीय परिवेश से ये दूर थीं।

भारतेन्दु के अवसान के बाद हिन्दी की उल्लेख्य प्रवृत्तियों का नियमन और संचालन करने के लिए 16 जुलाई, 1893 ई० में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। हिन्दी भाषा, साहित्य, देवनागरी लिपि का प्रचार-प्रसार करने वाली यह सबसे प्राचीन संस्था भारतेन्दु और द्विवेदी युग की समस्त साहित्यिक चेतना का योजक बिन्दु है। डॉ० श्यामसुन्दरदास ने इस संस्था की स्थापना उस समय की जब देश

में उर्दू के साथ ही अंग्रेजी भाषा और साहित्य का चारों ओर बोलबाला था तथा हिन्दी भाषी हेय दृष्टि से देखे जाते थे। ऐसी विकट प्रतिकूल परिस्थितियों में हिन्दी के विकास के लिए इस संस्था ने संघर्ष प्रारम्भ किया। उर्दू वालों ने हिन्दी को गँवारी भाषा करार कर दिया था। सुर सरस्वती हिन्दी की चारों ओर उपेक्षा हो रही थी। सभा ने सबसे पहले अदालतों में हिन्दी को स्थान देने के लिए जनान्दोलन खड़ा किया। इस आन्दोलन की सफलता के लिए हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य स्थापित करने वाले अनेक लोगों ने विघ्न डालने का यत्न किया। पं० मदनमोहन मालवीय द्वारा लिखे गए 'कोर्ट कैरेक्टर एवं प्राइमरी एजुकेशन' नामक निबंध तथा 60 हजार हिन्दी प्रेमियों के हस्ताक्षरों की सोलह जिल्दों के साथ मार्च, 1898 ई० में प्रयाग में सभा का एक प्रतिनिधिमण्डल सर ऐंटानी मैक्डानल से मिला। मालवीयजी के प्रयत्न से चारों ओर नागरी प्रचार की धूम मच गई। फारसी लिपि से कचहरियों को त्राण दिलाने के लिए तत्कालीन जन-संस्थाओं और समाचारपत्रों ने नागरी-प्रचारिणी सभा के इस व्यापक आन्दोलन का जोरदार समर्थन किया अन्ततः तीन वर्षों के निरन्तर अथक प्रयत्न के बाद 18 अप्रैल, 1900 ई० को संयुक्त प्रान्त सरकार ने कचहरियों में नागरी के प्रचलन की आज्ञा दी। इस शताब्दी के शुरू होने के पहले नागरी प्रचारिणी सभा ने अदालतों में हिन्दी का प्रचलन करा दिया था। आगे चलकर इसने विधि शब्दावली का निर्माण किया और स्वतंत्रता के बाद विधि पत्रिका का प्रकाशन भी किया। आश्चर्य की बात है कि भारत को स्वतंत्र हुए 32 वर्ष हो गए, (राजभाषा विधायी आयोग बना,) परन्तु आज तक कचहरियों में हिन्दी का पूर्णतः प्रयोग नहीं हो पा रहा है। हमें अपने अतीत से प्रेरणा लेकर कचहरियों में हिन्दी का प्रचलन करा देना चाहिए।

नागरी प्रचारिणी सभा ने विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा देने के लिए बेठनों में बन्द हिन्दी के गौरव ग्रंथों का खोज कार्य अपने हाथ में लिया। सन् 1900 से निरंतर यह खोज का कार्य आज तक गतिशील है। सभा के विद्वान् गाँव-गाँव में जाकर बेठनों में बंद पुस्तकों का विवरण प्राप्त करते हैं। यदि पुस्तक का स्वामी हस्तलिखित पुस्तक सभा के संग्रहालय को दे देता है तो सादर लेते हैं अन्यथा उसका विस्तृत विवरण तैयार करते हैं। इन खोज रिपोर्टों के विवरणों का सभा प्रतिवर्ष प्रकाशन करती है। हिन्दी के विलुप्त साहित्य का अंशतः सांकेतिक रूप इन खोज रिपोर्टों के माध्यम से बराबर प्रकाशित होता रहा और धीरे-धीरे विद्वान् लोग हिन्दी के गौरवशाली साहित्य की ओर प्रेरित हुए। चन्दवरदाई के पृथ्वीराज रासो से लेकर अब तक सैंकड़ों विख्यात कवियों की जो ग्रंथावलियाँ सभा से प्रकाशित हुई उनके मूल में इन खोज रिपोर्टों का मूल योगदान है। इन्हीं खोज रिपोर्टों के आधार पर मिश्र-बन्धुओं ने 'मिश्रबन्धु विनोद' नाम से कवि वृत्त संग्रह तैयार किया और आगे चलकर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने व्यवस्थित रूप से सम्यक् काल विभाजन के आधार पर हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखा। अनेक साहित्यकारों के कृतित्व का स्वतन्त्र अध्ययन प्रारम्भ हुआ। अनुसंधायकों को जागृत करने का श्रेय और शोध प्रबंधों को प्रस्तुत करने की सामग्री इन्हीं हस्तलिखित खोज रिपोर्टों से प्राप्त हुई। खोज कार्य के परिणामस्वरूप सभा में हिन्दी पाण्डुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है जिसमें लगभग 20 हजार हस्तलिखित ग्रंथ विद्यमान हैं। इन खोज रिपोर्टों के निरीक्षक अपने युग के विख्यात विद्वान् रहे हैं। आज भी प्रख्यात विद्वानों के निरीक्षण में इन खोज रिपोर्टों का संपादन होता है।

सन् 1896 ई० से हिन्दी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। तृतीय वार्षिक अधिवेशन में सभा के सदस्यों ने हिन्दी गद्य के विकास के लिए इस त्रैमासिक पत्रिका के प्रकाशन का इसलिए निश्चय किया क्योंकि हिन्दी साहित्य के बहुत से प्रयास सर्वसाधारण में प्रचारित होने से उसी प्रकार वंचित रह जाते थे जैसे सरोवर में खिलकर कमल मुरझा जाता है। हिन्दी के भाषा तत्व, भू-तत्व, विज्ञान, इतिहास आदि संबंधी लेखों और प्रबन्धों का सुविचारित ढंग से शोध परक शैली में इस पत्रिका में निरन्तर प्रकाशन हो रहा है। इस पत्रिका के संपादकों में किशोरीलाल गोस्वामी, डॉ० श्यामसुन्दरदास, गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, जगन्नाथदास रत्नाकर, रामचन्द्र शुक्ल, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा अपने युग के अन्य निष्णात विद्वान् रहे हैं जो अनवरत हिन्दी के प्राचीन इतिहास, अनुसंधान, अर्वाचीन शास्त्र और कला तत्वों की गवेषणा और पर्यालोचन करते रहे हैं। यह पत्रिका नागरी-लिपि और हिन्दी का संरक्षण और प्रसार निरन्तर करती रही है। इस पत्रिका का मूल उद्देश्य हिन्दी साहित्य के विभिन्न अंगों का शोधपूर्ण विवेचन करते हुए भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनुसंधान तथा विज्ञान और शास्त्र का पर्यालोचन और विवेचन है। इसी पत्रिका से हिन्दी साहित्य में गवेषणात्मक और समीक्षात्मक निबंध रचना का रूप स्थिर हुआ है।

सभा ने प्रारम्भ से ही इस बात का अनुभव किया कि जिस भाषा का कोश, व्याकरण और इतिहास नहीं होता वह भाषा स्वरूपिणी भिखारिणी की भाँति उपेक्षित होती है। ऐसी भाषाओं का विकास रुक जाता है। सन् 1894 ई० में सभा के प्रथम सभापति राधाकृष्णदास ने विशाल शब्दकोश निर्माण की योजना सभा के सामने रखी। शब्द-कोश की तैयारी सन् 1908 ई० से प्रारम्भ हुई। दो दशकों के भीतर 84,000 शब्दों से सम्पन्न एशिया की भाषाओं का सबसे बड़ा कोश 'हिन्दी शब्दसागर' चार खण्डों में प्रकाशित हुआ। डा० श्यामसुन्दरदास इसके प्रधान संपादक थे, सहायक संपादकों में बालकृष्ण भट्ट, अमीर सिंह, लाला भगवानदीन, रामचन्द्र शुक्ल और रामचन्द्र वर्मा थे। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद यह शब्दकोश 2,50,000 शब्दों

में सम्पन्न होकर दस खण्डों में प्रकाशित हुआ। निर्विवाद रूप से यह हिन्दी का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक शब्दकोश है और विश्व की भाषाओं में हिन्दी शब्द सम्पदा की दृष्टि से श्रेष्ठतम स्थान रखता है।

व्याकरण के क्षेत्र में सभा ने सर्वांगपूर्ण व्याकरण तैयार कराने का कार्य किया। श्री रामकरण शर्मा और श्री गंगा-शरण के प्रारंभिक व्याकरण के आधार पर कामता प्रसाद गुरु से हिन्दी का प्रथम व्याकरण तैयार कराया। हिन्दी का यह पहला और सर्व प्रामाणिक व्याकरण सन् 1919 ई० में प्रकाशित हुआ। स्वतंत्रता के बाद सभा ने वैयाकरण पं० किशोरीदास वाजपेयी से हिन्दी शब्दानुशासन लिखवाकर व्याकरण निर्माण के कार्य को अग्रसर किया। ये दोनों व्याकरण ग्रंथ हिन्दी के शब्द नियंत्रण की असली कुंजी हैं और इन्हीं पर हिन्दी शब्दशास्त्र का सिद्धान्त टिका हुआ है।

हिन्दी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास पहली बार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा वैज्ञानिक विधि से हिन्दी शब्दसागर की भूमिका के रूप में सन् 1929 ई० में लिखा गया जिसकी मौलिकता आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है। परवर्ती सैकड़ों इतिहास ग्रंथ आए फिर भी वे सब इसकी मौलिकता से अलग हटकर कोई नई स्थापना करने में असमर्थ हैं। स्वतंत्रता के बाद 16 खण्डों में अपने-अपने विषय के पारंगत विद्वानों के संपादन में नागरी प्रचारिणी सभा ने 'हिन्दी साहित्य का वृहद् इतिहास' लगभग 10,000 पृष्ठों में सैकड़ों हिन्दी विद्वानों के सहयोग से प्रकाशित किया है जिससे हिन्दी की रचनात्मक ज्ञान सम्पदा इतनी विस्तृत हो गई है जितनी अन्य किसी भाषा की नहीं है। सभा ने सूर, तुलसी, कबीर जायसी, कृपाराम, जसवंतसिंह, पद्माकर, रत्नाकर, बिहारी, देव, घनानन्द, प्रतापनारायण मिश्र आदि दर्जनों हिन्दी के महान कवियों की सम्पूर्ण रचनाओं का ग्रंथावली के रूप में वैज्ञानिक विधि से पारंगत विद्वानों से संपादन कराया है और इन्हीं कृतियों पर हिन्दी साहित्य की उच्च शिक्षा का आधार भवन खड़ा है।

सन् 1896 ई० में सभा ने मिर्जापुर के गजाधर सिंह की विस्तृत लाइब्रेरी को आर्यभाषा पुस्तकालय के नाम से स्थापित किया। इस गौरवशाली पुस्तकालय में 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्राचीन ग्रंथ संग्रहीत हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा हिन्दी पुस्तकालय है। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथदास रत्नाकर, गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, मायाशंकर याज्ञिक, डा० सम्पूर्णानन्द और अन्य अनेक विख्यात विद्वानों का व्यक्तिगत संग्रह सुरक्षित हैं। यह पुस्तकालय इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी में शोध कार्य के लिए अनुपलब्ध सामग्री विद्वानों को बिना किसी कष्ट के प्राप्त होने लगी और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ के विश्वविद्यलयों के शोधार्थी इस पुस्तकालय में आकर अपनी ज्ञान पिपासा की पूर्ति न करते हों। निर्विवाद रूप से नागरीलिपि और हिन्दी भाषा के सर्वांगीण विकास और प्रचार में सभा का इतिहास जीवन व्यापी साधन का फल है।

द्विवेदी युग के साहित्य की आधार भूमि 'सरस्वती पत्रिका' रही है। इस पत्रिका में, नवीन युग की आधुनिक चेतना के महान उद्देश्य से भरपूर विविध विषय-सम्पन्न साहित्य का प्रकाशन अनवरत रूप से हो रहा है। सन् 1899 ई० में इंडियन प्रेस के संस्थापक चिन्तामणि घोष ने नागरी प्रचारिणी सभा से अनुरोध किया कि सचित्र मासिक पत्रिका 'सरस्वती' के संपादन का भार सभा ग्रहण करे। सभा ने कई प्रबंध समितियों की बैठक के बाद जगन्नाथदास रत्नाकर, श्याम-सुन्दरदास, राधाकृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी और कार्तिक प्रसाद खत्री के संपादन में जनवरी, 1900 ई० में 'सरस्वती' का प्रकाशन प्रारम्भ किया। 1903 ई० तक यह पत्रिका सभा द्वारा प्रकाशित होती रही। इसमें गद्य, पद्य, काव्य, नाटक, उपन्यास, चम्पू, इतिहास, जीवन-चरित्र, हास-परिहास, कौतुक पुरावृत्त, विज्ञान, शिल्प, कला-कौशल आदि साहित्य के विषयों का समावेश किया गया तथा यह पत्रिका लेखकों की ललित लेखनी से उत्साहित और प्रेरित विविध भावों से सम्पन्न होकर हिन्दी की अंग पुष्टि और उन्नति के लिए प्रकाशित होती रही। सरस्वती का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल के इतिहास की सामग्री इसमें बिखरी पड़ी है। सन् 1903 ई० में अपने अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण सभा ने 'सरस्वती' को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से संपादित कराने का परामर्श इंडियन प्रेस को दिया था और तबसे यह पत्रिका नवशक्ति, स्फूर्ति और चेचना से संपन्न हो निरन्तर प्रकाशित हो रही है। द्विवेदीजी ने 20वीं शताब्दी के साहित्य की भाषा का मार्ग सरस्वती के माध्यम से स्थिर किया। साहित्यिक अराजकता के युग में जब खड़ी बोली संघर्ष काल से गुजर रही थी, अपने भाषा नियमन के माध्यम से द्विवेदी जी ने व्याकरण सम्मत भाषा का निर्माण कर अराजकता पर अंकुश लगाया तथा निष्ठा, लगन, आत्मविश्वास, धैर्य साहस, कुशलता और ईमानदारी के साथ खड़ी बोली भाषा की विविध प्रकार की पाँच शैलियाँ सरस्वती में स्थापित कीं। इसी पत्रिका के माध्यम से हिन्दी गद्य में स्थिरता आई तथा संगठित शक्ति और नवचेतना का जागरण हुआ और आज भी यह पत्रिका अनेक भौतिक संघर्षों के बीच निशीथ कुमार राय के संपादन में प्रकाशित हो रही है।

नागरी प्रचारिणी सभा ने स्वतन्त्रता के बाद 12 खंडों में हिन्दी विश्वकोश का निर्माण किया। इसमें ज्ञान, विज्ञान के जितने भी विषय हो सकते हैं उन पर उन विषयों के प्रकाण्ड पंडितोंसे लेख लिखवाए गए और उनकी वर्षों की साधना के उपरान्त डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, डॉ० फूलदेव सहाय वर्मा, डॉ० भगवतशरण उपाध्याय आदि के संपादन में विश्वकोश प्रकाशित किया गया। आज तक भारतीय भाषाओं में प्रकाशित यह प्रथम विश्वकोश है। इसके लेखकों में राज-गोपालाचारी, डॉ० पुंताम्बेकर, डॉ० सम्पूर्णानन्द, ई० अल्काजी, डॉ० गोपीनाथ कविराज, लालबहादुर शास्त्री, वामन पोतदार

और इसी कोटि के निष्णात विद्वानों का लेखकीय सहयोग सभा को प्राप्त हुआ। हिन्दी के किसी ज्ञान-यज्ञ में विविध भाषाओं के इतने विद्वानों का कभी भी सामूहिक योगदान नहीं मिला था जितना हिन्दी विश्वकोश के प्रकाशन-यज्ञ में मिला।

इसके अतिरिक्त नागरी प्रचारिणी सभा तीन खंडों में 'केसिल्स इन साइक्लोपीडिया' के आधार पर 'विश्व साहित्य कोश' के प्रकाशन का कार्य कर रही है। अपने विस्तृत पुस्तकालय को व्यवस्थित वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित रखने के लिए नागरी प्रचारिणी सभा के भवन का व्यापक स्तर पर विस्तार किया गया है और दिल्ली में भी 'नागरी प्रचारिणी शोध संस्थान' की स्थापना हेतु चार मंजिले भवन का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। वस्तुतः हिन्दी भाषा साहित्य, ज्ञान-विज्ञान और विद्या की जितनी भी शैलियाँ हो सकती हैं उन सबके प्रचार-प्रसार में नागरी प्रचारिणी सभा ने वही कार्य किया जो फ्रेंच अकादमी ने पाश्चात्य जगत में किया अथवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में देश को जो प्रेरणा दी साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में वही शक्ति संवर्धन का कार्य सभा ने किया और अनवरत कर रही है।

सभा ने ही हिन्दी का प्रचार कार्य करने वाली देश की अग्रगण्य संस्था हिन्दी साहित्य सम्मेलन को सन् 1910 ई० में जन्म दिया। हिन्दी प्रचार, साहित्य सेवा, और परीक्षाओं के लिए यह संस्था जागरूक चेतना विकसित करती रही है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को सन् 1918 ई० में और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा को सन् 1928 में जन्म दिया। सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 10, 11, 12 अक्तूबर, 1910 ई० को काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रांगण में पं० मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में संपन्न हुआ था। इस प्रथम अधिवेशन में विभिन्न प्रान्तों के 300 प्रतिनिधि और 42 हिन्दी पत्रों के संपादक उपस्थित थे। प्रथम अधिवेशन में विद्वानों ने जो लेख पढ़े वह पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन प्रयाग में नागरी प्रवर्धनी सभा के तत्वावधान में पं० गोविन्दनारायण मिश्र के सभापतित्व में आयोजित हुआ। शुरू से ही पुरूषोत्तमदास टंडन इसके प्रधानमंत्री रहे बाद में वे इसके सभापति हुए और उन्होंने अपनी राजनीतिक चेतना का नुकसान कर इस संस्था को कांग्रेस के अधिवेशनों के मंचों की तरह देश के कोने-कोने में लोकप्रिय बनाया। इसके वार्षिक अधिवेशन देश के विभिन्न अंचलों में आयोजित होते थे जिसमें हिन्दी निर्माताओं और प्रेमियों का मेला लगता था। हिन्दी के प्रचार-प्रसार में इसका ऐतिहासिक योगदान परीक्षाओं के माध्यम से है। विभिन्न प्रान्तों के अतिरिक्त अनेक दूसरे देशों में भी इसके परीक्षा केन्द्र हजारों की संख्या में साहित्य रत्न और विशारद आदि के स्नातक पैदा करते हैं। पराधीन देश की सामूहिक साहित्यक चेतना को जनजीवन में झंकृत करने का कार्य सम्मेलन ने बड़े ही मनोयोगपूर्वक टंडनजी के नेतृत्व में किया। सेठ गोविन्ददास, पं० मौलिचन्द्र शर्मा आदि भी इस संस्था से सम्बद्ध रहे। स्वतन्त्रता के बाद यह संस्था अपने दायित्व को पूरा करने में असमर्थ रही क्योंकि परीक्षाओं का स्तर और उद्देश्य स्खलित होता गया और संस्था पर कब्जा जमाने के लिए इसके कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमेबाजी में लवलीन रहे। परतंत्रता के युग में सम्मेलन की दृष्टि राष्ट्रभाषा की दृष्टि थी और इसीलिए महात्मा गांधी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मंच को देश के कोने-कोने में प्रान्तीय स्तर पर विकसित करने की प्रेरणा दी। जब गांधी जी हिन्दुस्तानी का समर्थन करने लगे तो सम्मेलन ने उनसे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया।

गांधीजी का कहना था कि जिस राष्ट्र की अपनी राष्ट्र भाषा नहीं होती है वह राष्ट्र गूंगा होता है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में स्वतंत्रता आन्दोलन के साथ-साथ हिन्दी आन्दोलन चलाया गया। तब अहिन्दी भाषा-भाषी हिन्दी विद्वान हाथ में लालटेन लिए, बगल में चटाई दबाए खादी धारण किए हुए गाँवों में जाते थे और लोगों को राष्ट्रीयता का बोध कराने के लिए हिन्दी का ज्ञान-दान (मिशनरी स्प्रिट से) निःस्वार्थ भाव से प्रदान करते थे। यह कार्य असहयोग आन्दोलन के साथ शुरू हुआ था और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास गांधीजी की प्रेरणा से हिन्दी आन्दोलन का केन्द्र बना। प्रत्येक प्रान्त में बड़े-बड़े शहरों में हिन्दी प्रचार सभाएँ स्थापित हुईं। इन प्रचार सभाओं ने हिन्दी प्रचारकों के माध्यम से हिन्दी भाषा और नागरी लिपि का अलख जगाया। देश की अनेक हिन्दी संस्थाओं का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला है। जिनमें दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम, मैसूर, तिरुपति, विशाखापत्तनम, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, हिन्दी प्रचार सभा नागपुर, मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद् बंगलोर, आदि दर्जनों संस्थाएँ अपने-अपने क्षेत्र में हिन्दी प्रचार का कार्य, प्रकाशनों के माध्यम से और परीक्षाएँ चलाकर हिन्दी प्रचारकों के बल पर कर रही हैं। कश्मीर, गोहाटी, कालीकट, रामेश्वरम्, कन्याकुमारी से लेकर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ हिन्दी समझी, बोली और परस्पर भावों के आदान-प्रदान का माध्यम न बनी हो। राष्ट्रभाषा की अभिव्यक्ति निर्माण में स्थानीय और क्षेत्रीय हिन्दी संस्थाओं ने जैसे शरीर में स्नायु रक्त प्रवाह का कार्य संचालित कर हृदय की धड़कन संचालित रख जीव को मृत्यु से दूर रखते हैं, उसी तरह इन संस्थाओं ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास उत्थान और उसे सर्वव्यापी बनाने में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। आज दुनिया के सैंकड़ों देश ऐसे हैं जहाँ हिन्दी की अगणित संस्थाएँ भारतीय मूल के निवासियों के प्रयत्न से हिन्दी को विश्व जनमानस की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने में लवलीन हैं। मारीशस आदि अनेक देशों में ऐसी कर्मठ संस्थाओं के कार्यकलापों को

देखकर कर्मशक्ति की प्रेरणा मिलती है। हिन्दी के विकास में राजनीति बाधक है और विघटनवादी तत्व अलग-अलग भाषा की दीवारें खड़ी कर अपना अधिकार क्षेत्र सुरक्षित रखना चाहते हैं ऐसे महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञों का अस्त्र अंग्रेजी है। इस विषय को 32 वर्षों में राजनीतिज्ञों ने इतना उलझा दिया है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी एक समस्या बन गई है। इस कठिन समस्या का समाधान हिन्दी सेवी संस्थाओं के कार्यकलापों में ही मिलेगा।

□□□

[पृष्ठ 24 का शेष]

में जो गति आई है, उसमें उसका अपना विशिष्ट योगदान है और यदि यह प्रक्रिया कुछ समय तक जारी रही, तो निश्चित रूप से उसके बहुत ही अनुकूल परिणाम होंगे। जिन कार्यालयों में अस्सी प्रतिशत कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, उन्हें राजभाषा नियम 1976 के उप नियम 10(4) के अधीन भारत के राजपत्र में अधिसूचित करना है। अब तक मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, ग्राम विकास, सिंचाई और खाद्य विभागों को इस तरह अधिसूचित किया जा चुका है। कृषि विभाग के अधीन ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र हिसार वन अनुसंधान आदि कार्यलय अधिसूचित किए गए हैं और दिल्ली दुग्ध योजना को शीघ्र ही अधिसूचित किया जा रहा है। मंत्रालय के अन्य कार्यालयों को भी अधिसूचित करने के लिए एतत्संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं और आशा है कि शीघ्र ही उन्हें भी अधिसूचित कर दिया जाएगा।

प्रशिक्षण संबंधी रोस्टर तैयार हो जाने पर, विभिन्न कार्यालयों/विभागों में प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की निश्चित संख्या मालूम हो सकेगी और हिन्दी प्रशिक्षण के समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उनका प्रशिक्षण संभव हो सकेगा। तब तक सभी विभागों से हिन्दी प्रशिक्षण के लिए कर्मचारी नामित किए जाते हैं, जिन्हें कृषि भवन स्थित हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। मंत्रालय के अन्य स्थानों में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सुविधाएँ सुलभ करने के लिए हिन्दी शिक्षण योजना से अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही लिपिकों/आशुलिपिकों को हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनके प्रशिक्षण के जरिए उनकी सेवाएं राजभाषा संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सुलभ हो सकेंगी। वास्तव में सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दृष्टि से कर्मचारियों का हिन्दी प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। पर प्रशिक्षण के बाद यदि उन्हें हिंदी कार्य में नहीं लगाया जाय, तो समय और साधन के अपव्यय के साथ ही प्रशिक्षण का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। अतः लिपिकों आदि की कमी के कारण प्रशासनिक कठिनाइयों के बावजूद उनकी सेवाओं के सार्थक उपयोग के लिए काम की दृष्टि से लिपिकों/आशुलिपिकों के युक्तिसंगत वितरण पर बल दिया जा रहा है। अर्थात् उन्हें ऐसे अनुभागों में तैनात करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जहां उनके हिंदी प्रशिक्षण का लाभ उठाया जा सके। अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के अलावा सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग में सुविधा की दृष्टि से सहायक साहित्य की व्यवस्था भी की जा रही है, और उनमें हिंदी के प्रति रुचि पैदा करने और हिंदी का ज्ञान बढ़ाने के लिए पुस्तकालयों में लोकप्रिय हिंदी साहित्य की व्यवस्था के लिए भी प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं। लोकप्रिय साहित्य सुलभ होने से हिंदी में रुचि और पढ़ने की आदत पड़ेगी और वह हमारी लक्ष्य प्राप्ति में काफी हद तक सहायक सिद्ध होगी।

सलाहकार समिति की 27 मार्च, 1979 की बैठक में मंत्रालय के पुस्तकालयों में उत्कृष्ट साहित्य की व्यवस्था के लिए सलाहकार समिति की एक उप समिति बनाने का निर्णय किया गया, जो उत्कृष्ट लोकप्रिय और सहायक साहित्य की सूची तयार करें और उसके मुताबिक मंत्रालय के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के पुस्तकालयों के लिए राजभाषा विभाग के आदेश के अनुसार पुस्तकालयों के लिए निर्धारित कुल राशि में से पच्चीस प्रतिशत हिंदी पुस्तकें निश्चित रूप से खरीदी जाएँ।

कुल मिलाकर हम कृषि और सिंचाई मंत्रालय और बहुसंख्या राष्ट्रजनों के बीच राजभाषा के माध्यम से सार्थक सम्वाद स्थापित करने के महास्वप्न को लेकर चल रहे हैं, ताकि मंत्रालय उनकी इच्छा आकांक्षाओं का प्रतीक बन सके और राष्ट्र के समुन्नयन के विशाल प्रयत्नों में उन्हें स्वेच्छया भागीदार बनाया जा सके, उनकी अपरिमित शक्ति और सामर्थ्य को सही दिशा दी जा सके। निश्चय ही काम बहुत बड़ा है। कठिन भी है। पर हमारा संकल्प, हमारे आस्थावान प्रयास, हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे, ऐसी आशा है।

□□□□

यांत्रिक साधन एवं सुविधाएँ :

भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर

– हरिहर प्रसाद द्विवेदी

साधन के बिना साधना, कर्त्तव्य के बिना अधिकार की तरह बेमानी होती है इसलिए राजभाषा हिन्दी को प्रतिष्ठित करने की साधना की पूर्णता के लिए साधन जुटाते रहना जरूरी है। इस मुद्दे को दृष्टि में रखकर ही 25 मई, 1979 को राजभाषा विभाग के सचिव श्री कृपानारायण ने राजभाषा विभाग के अधिकारियों की बैठक में कहा था "आज की दुनिया एप्लाइड टैक्नोलाजी में बहुत आगे बढ़ रही है। टेलीप्रिंटर, कम्प्यूटर, बेतार आदि का सरकारी कामकाज में बहुत प्रयोग हो रहा है। इन यंत्रों के प्रयोग के बिना सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि सरकारी कामकाज में आने वाले विभिन्न यंत्रों, मशीनों जैसे पतालेखी मशीनों, टाइपराइटरों इत्यादि के निर्माण तथा टेलीप्रिंटर कम्प्यूटर, बेतार आदि के प्रयोग से संबंधित विषयों पर समुचित कार्रवाई की जाए।"

उपर्युक्त उपकरणों के माध्यम से हिन्दी के प्रचलन को बढ़ाने के साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि वैज्ञानिक विषयों पर सरल हिन्दी में अच्छी पुस्तकें प्रकाशित की जाएँ जिससे कुछ लोगों में फैले इस भ्रम को दूर किया जा सके कि अंग्रेजी के माध्यम से ही विज्ञान में महारत हासिल की जा सकती है। भारत के दूसरे उपग्रह 'भास्कर' पर हिन्दी में पुस्तक प्रस्तुत कर डॉ० शिवप्रसाद कोस्टा, प्रोफेसर यू० आर० राव तथा डॉ० कस्तूर रंगन ने यह साबित कर दिया है कि हिन्दी के माध्यम से विज्ञान की अधुनातन प्रवृत्तियों को बखूबी व्यक्त किया जा सकता है।

भारत का प्रथम उपग्रह 'आर्यभट्ट' 19 अप्रैल, 1975 को सोवियत अंतरिक्ष केन्द्र से छोड़ा गया था जो अभी भी अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है। अब भारत ने दूसरा उपग्रह 'भास्कर' अंतरिक्ष में छोड़कर विज्ञान के क्षेत्र में दूसरा महान अध्याय आरंभ किया है। 'भास्कर' उपग्रह 7 जून, 1979 को कास्मोडम (रूस) से सायंकाल चार बजे छोड़ा गया था। 'भास्कर' का प्रक्षेपण 1975 में सोवियत विज्ञान अकादमी और भारतीय अंतरिक्ष संगठन के बीच हुए समझौते के अंतर्गत हुआ है।

'भास्कर' उपग्रह का नाम प्राचीन भारत के दो ज्योतिष-शास्त्रियों के नाम पर रखा गया है। इन दोनों का ज्योतिष शास्त्र और गणित शास्त्र में महान योगदान है। प्रथम भास्कर छठीं शताब्दी के विख्यात ज्योतिषी और ब्रह्मगुप्त के समकालीन थे। उनके जन्म स्थान का सही पता नहीं है। इनकी रचनाएँ निम्नांकित हैं :—

(1) महाभास्करिया (2) लघु भास्करिया
(3) आर्य भटियाभास्या

इन्होंने बीजगणित, गोलीय त्रिकोणमिती, इत्यादि पर अच्छा कार्य किया है। भास्कर 2 का जन्म 1114 ए०डी० में कर्नाटक प्रदेश के बीजापुर शहर में हुआ था। ये अपने जमाने के उच्चकोटि के खगोल एवं गणितशास्त्री माने जाते हैं। इनकी निम्नांकित रचनाएँ हैं :—

(1) लीलावती (2) बीजगणित (3) सिद्धांत शिरोमणी (4) वसाना भास्य (5) करन कुथाला (6) विवरना। इनमें लीलावती और बीजगणित बहुत ही प्रख्यात हैं।

इस उपग्रह में भू-सर्वेक्षण के लिए संवेदन शील टी० वी० कैमरे और तीन शक्तिशाली सूक्ष्म तरंग रेडियोमीटर रखे गए हैं। इसमें नए प्रकार की ऊर्जा प्रणाली प्रयोग में लाई गई है ताकि यह भू-उपग्रह कुछ प्रयोगों के पश्चात् रुक न जाए। मिश्रित एल्यूमीनियम के बने इस गोलाकार भू-उपग्रह के 26 पटल हैं। इसका निर्माण, बंगलौर उपग्रह निर्माण केन्द्र में भारतीय वैज्ञानिकों ने किया है। इसके निर्माण में निम्नलिखित संस्थानों ने प्रमुख रूप से अनुकरणीय योगदान दिया है :—

(1) इसरो–इसरो उपग्रह केन्द्र, बंगलौर (2) अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद, (3) श्री हरिकोटा केन्द्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, त्रिवेन्द्रम, (4) इसरो हैडक्वार्टर्स, तथा अंतरिक्ष विभाग, बंगलौर (5) यू० एस० एस० आर० अकादमी आफ साइंसेज, मास्को (6) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०, बंगलौर (7) भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०, बंगलौर (8) सी० आई० एल० बंगलौर (9) राष्ट्रीय एरोनाटिक्स प्रयोगशाला, बंगलौर (10) सी० एम० टी० आई०, बंगलौर (11) आई० टी० आई०, बंगलौर (12) आई० बी० पी०, बम्बई (13) जी० टी० आर० ई०, बंगलौर (14) ए० एस० टी० ई०, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई (15) ई० सी० आई० एल०, हैदराबाद (16) एस० एस० पी० एल०, नई दिल्ली (17) टी० आई० एफ० एल०, बम्बई और (18) आई० एम० डी० नई दिल्ली आदि।

उपग्रह भास्कर इस प्रकार कार्य करेगा कि माइक्रोवेव और रेडियो मीटरों से जानकारी प्राप्त कर सके। इसका प्राय: गोलाकार परिक्रमा-पथ पृथ्वी से 350 किलोमीटर ऊँचाई पर है और 95.2 मिनट में यह एक परिक्रमा पूरी कर लेगा इस प्रकार यह 'आर्यभट्ट से अधिक जटिल है। भूमध्य रेखा पर इसका झुकाव 50.7 अंश कोण पर रहता है। इसके कुछ उपकरणों को छोड़कर शेष सब भारत में ही निर्मित हुए हैं। उपग्रह का भार 444 किलोग्राम है और व्यास 1.59 मीटर, ऊँचाई, 1.56 मीटर है। उपग्रह का आंतरिक तापक्रम शून्य से 40 डिग्री तक है।

'भास्कर' उपग्रह जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वन विज्ञान, मौसम विज्ञान, बर्फ पिघलाने, भू-गर्भीय विज्ञान, भूमि उपयोग तथा महासागरीय सतह के संबंध में प्रयोग करेगा और सूचनाएँ एकत्र करेगा। इस भू-उपग्रह से सागर के तटीय क्षेत्रों के अध्ययन और हिमपात का पता लगाने, उप महाद्वीप में वनस्पतियों तथा जीव समुदायों के निर्धारण के साथ वायुमंडल में जल तथा जल वाष्प सम्पन्नता निर्धारित करने और विस्तृत जल सतहों का अध्ययन करने में सहायता मिलेगी।

भास्कर से प्राप्त होने वाले अनुभवों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

(1) जटिल उपग्रह बनाने का अनुभव मिला।

(2) भारत में बनी सौर सेल—उनसे बनी पेनलों एवं तातपेटों का भावी उपग्रहों में उपयोग करने का अनुभव प्राप्त होगा।

(3) देश के विभिन्न भागों से मौसमी आँकड़ों के इकट्ठा करने एवं प्रसारण करने की प्रणाली को स्थापित करने का अनुभव मिलेगा।

(4) भारत भूमि का उपग्रह द्वारा चित्र खींचने, पुनः भूकेन्द्र से प्रसारित करने की विधि के प्रयोग का अनुभव होगा। प्रसारित चित्रों को उपभोक्ताओं को समझने और उनका सदुपयोग करने का अवसर मिलेगा।

(5) माइक्रोवेव, रेडियोमीटर विधि से सामुद्रिक एवं जल थल संबंधी आँकड़ों को प्राप्त करने एवं समझने का अनुभव मिलेगा।

इस प्रकार 'भास्कर' उपग्रह से विज्ञान के क्षेत्र में महान सफलताओं का दूसरा अध्याय आरंभ होगा और इससे अन्य अनेक सफलताएँ मिलने का आशा है जो समाज को नया रूप प्रदान करेंगी।

31 जुलाई, 1979 को डॉ० शिवप्रसाद कोस्टा द्वारा लिखित एवं विद्या प्रकाशन मंदिर, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'भास्कर' का विमोचन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति श्री बा० दा० जत्ती ने कहा कि डाक्टर शिव प्रसाद कोस्टा ने भारत के प्रयोगिक उपग्रह 'भास्कर' पर हिन्दी में पुस्तक लिखकर भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों तथा तकनीशनों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी को जनसुलभ बनाकर एक विशिष्ट सेवा संपन्न की है। अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत जानकारी का लाभ देश के थोड़े से लोगों तक ही रहता है जब कि यह जानकारी यदि हिन्दी भाषा में उपलब्ध हो, तो देश के लाखों लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। लोक शिक्षा के लिए विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में की जाने वाली प्रगति की जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा शास्त्री तकनीकी शब्दों के हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में शब्द भंडार के निर्माण के व्यवस्थित और शीघ्र विकास तथा उनके संकलन का आयोजन करें। यह संतोष

भास्कर पुस्तक का विमोचन

विमोचन के अवसर पर चित्र में दिखाई दे रहे हैं महामहिम उप राष्ट्रपति श्री बी०डी० जत्ती, डॉ० शिवप्रसाद कोस्टा और श्री अमर नाथ शुक्ल।

की बात है कि पुस्तक 'भास्कर' के परिशिष्ट में तकनीकी शब्दों के हिन्दी रूपांतर की सूची भी दी गई है।

भारतीय वैज्ञानिकों ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है, इनमें सबसे नवीन प्रगति आणविक और अंतरिक्ष तकनीक में है। हमारे वैज्ञानिकों और तकनीशनों की यही कोशिश है कि आधुनिक टैक्नोलाजी का प्रयोग देश और देशवासियों की भलाई के हो। 'भास्कर' जैसे उपग्रह द्वारा हमें अपनी भूमि, इसके प्राकृतिक साधनों, इसकी नदियों, पर्वतों, सागरों और उनमें आने वाले उतार-चढ़ाव की पूरी जानकारी मिलती है। इस जानकारी से हमें राष्ट्रीय विकास के लिए समुचित योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

इन उपग्रहों के 'आर्य-भट्ट' और 'भास्कर' नाम रखकर हमने अपने देश के प्राचीन और महान ज्योतिविदों तथा गणित शास्त्रियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप जानते ही हैं कि 'भास्कर' नाम के दो वैज्ञानिक थे। एक छठवीं-सातवीं शताब्दी में हुए और दूसरे बारहवीं शताब्दी में। अतः हमारी वैज्ञानिक परंपरा बहुत प्राचीन है।

एक बार पुनः मैं डॉक्टर कोस्टा के इस प्रयास की सराहना करता हूँ कि उन्होंने लाखों लोगों के लाभ के लिए हिन्दी में यह उपयोगी पुस्तक लिखी। मुझे आशा है कि इस प्रयास से दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। क्षेत्रीय भाषाओं में ऐसी पुस्तकें अधिक से अधिक प्रकाशित हों, तो इससे देश के हर नागरिक को जानकारी मिल सकेगी।

इस पुस्तक के प्रकाशक, विद्या प्रकाशन मंदिर, नई दिल्ली ने मुद्रण का बड़ा अच्छा कार्य किया है, अक्षर और चित्र बड़े साफ हैं। मैं पुस्तक के सुन्दर प्रकाशन के लिए आपको बधाई देता हूँ और इसका विमोचन करते समय बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ।

देवनागरी टेलीप्रिंटर के कुंजी पटल में सुधार

देवनागरी टेलीप्रिंटर के कुंजी पटल में सुधार के संबंध में राजभाषा विभाग के सचिव, श्री कृपा नारायण की अध्यक्षता में 6 मार्च, 1979 को हुई बैठक का कार्यवृत

बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे :—

1. श्री कृपा नारायण, सचिव, राजभाषा विभाग,
2. श्री बालेश्वर अग्रवाल, हिन्दुस्तान समाचार, नई दिल्ली
3. श्री के० नरेन्द्र, संपादक, दैनिक वीर अर्जुन, नई दिल्ली
4. श्री धर्मवीर गांधी, समाचार भारती, नई दिल्ली
5. श्री ज्ञान चन्द, अपर सचिव, संचार मंत्रालय, नई दिल्ली
6. श्री मुनीश गुप्त, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग
7. श्री के० आर० वेंकटरमन, चीफ इंजीनियर, आर० ऐंड डी०, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स, मद्रास।
8. श्री विष्णु स्वरूप सक्सेना, उप सचिव, राजभाषा विभाग
9. श्री राजकृष्ण बंसल, उप सचिव, राजभाषा विभाग
10. श्री हरि बाबू बंसल, उप सचिव, राजभाषा विभाग
11. श्री जगदीश चन्द्र गुप्त, ए० डी० जी० टी०, डाक-तार विभाग, नई दिल्ली
12. श्री रतन लाल सिंगला, चीफ सुपरिटेंडैंट, केन्द्रीय तार घर, नई दिल्ली
13. श्री विश्वनाथ मिश्र, हिन्दी अधिकारी, संचार मंत्रालय, नई दिल्ली।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि देवनागरी टेलीप्रिंटर के कुंजी पटल में सुधार करने के लिए जो भी बैठक बुलाई जाएँ उसमें समाचार एजेंसियों को अवश्य ही बुलाया जाए। समाचार पत्रों के संपादकगण अपने साथ तकनीकी अधिकारियों को भी लाएँ जिससे कि उनका योगदान भी प्राप्त हो सके। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि बैठक में श्री सूरजमल अग्रवाल, सेवानिवृत्त सचिव, संचार मंत्रालय को भी निमंत्रित किया जाए। देवनागरी टाइपराइटर के तीन बड़े निर्माताओं—रेमिंग्टन, गोदरेज और हाल्दा के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए। बैठक में उपस्थित समाचार पत्रों के संपादकों ने बताया कि बिना समाचार पत्रों की राय लिए "ो" "ु" और "/" तथा "ध" को हटा कर इनके स्थान पर क्रमशः "ँ" और "ई" को रखा गया है।

2. इस बारे में संचार मंत्रालय के अपर सचिव श्री ज्ञान चन्द ने बताया कि देवनागरी टेलीप्रिंटर के कुंजी पटल में यह अदला-बदली एक कमेटी के सुझाव पर की गई है जो कि संचार मंत्रालय ने नियुक्त की थी।

3. श्री धर्मवीर गांधी ने कहा कि हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स को भारतीय भाषाओं के अधिक टेलीप्रिंटर बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि पहले हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स का कहना था कि यदि उन्हें 100 टेलीप्रिंटर बनाने के आर्डर दिए जाएँगे तो वे देवनागरी के टेलीप्रिंटर बना सकते हैं लेकिन अब उनका कहना है कि यदि उन्हें 500 देवनागरी टेलीप्रिंटर के आर्डर दिए जाएँ तो वह इसका निर्माण करेंगे। इस विषय में उन्होंने राजभाषा विभाग से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

4. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स के चीफ इंजीनियर ने बताया कि एक वर्ष में लगभग 800 टेलीप्रिंटर्स का निर्माण होता है और पिछले 10 वर्षों में अंग्रेजी के 7,000 और हिन्दी के 2,000 टेलीप्रिंटर बनाए गए।

5. यह कहा गया कि समाचार एजेंसियों को जो डाकतार विभाग से टेलीप्रिंटर लेती हैं, मोडिफिकेशन किट उसी विभाग द्वारा दिए जाने चाहिए।

6. देवनागरी लिपि के वर्तमान टेलीप्रिंटरों में इस समय जो कमियाँ हैं उनमें सुधार लाने के संबंध में निम्नलिखित अन्य विचार प्रकट किए गए :—

(क) दूसरे देशों के डिजाइन के आधार पर जो अंग्रेजी टेलीप्रिंटर भारत में बन रहे हैं, उनमें देवनागरी लिपि को बैठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार जापान ने अपनी भाषा की आवश्यकता के अनुसार अपने डिजाइन के टेलीप्रिंटर आदि बनाए हैं उसी प्रकार हमें भी देवनागरी लिपि की आवश्यकता के अनुरूप टेलीप्रिंटर बनाने का प्रयास करना चाहिए।

(ख) पाँच कोड वाले टेलीप्रिंटरों में 2 शिफ्टों में पर्याप्त वर्ण नहीं मिल पाते तो जापान में बनने वाले टाइपराइटर की भाँति यहाँ भी 6 कोड के टेलीप्रिन्टर बनाए जाने चाहिए, जिस पर प्रत्येक शिफ्ट में 64 वर्ण और 2 शिफ्ट में 128 वर्ण मिल सकें।

(ग) विभिन्न राज्यों में देवनागरी लिपि के अतिरिक्त कुछ अन्य लिपियों के टेलीप्रिन्टरों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। परन्तु उनका निर्माण तभी हो सकेगा जब उनकी माँग काफी संख्या में हो। इनके टूलिंग पर भी काफी लागत आती है। यदि देवनागरी के अतिरिक्त अन्य लिपियों के टेलीप्रिन्टर बनाने का प्रश्न उठे तो यह भी सोचना होगा कि उनके विकास कार्य के लिए कौन धनराशि देगा।

(घ) अब अनेक देशों में इलैक्ट्रोनिक्स से चलने वाले टेलीप्रिंटर काम में आ रहे हैं। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड भी आधुनिकतम तकनीक को अपनाने के पक्ष में है। इलेक्ट्रोनिक्स वाला टेलीप्रिंटर बनाने के संबंध में संचार मंत्रालय में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। इस अवस्था में वर्तमान प्रणाली में कुछ फेरबदल करने की बात सोचना ठीक नहीं होगा।

(ङ) देवनागरी लिपि के और रोमन लिपि के टेलीप्रिंटरों के मैकेनिज़म में कोई विशेष अन्तर नहीं है और एक ही मैकेनिक दोनों प्रकार के टेलीप्रिंटरों के मैनटेनेंस का काम देख सकता है। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटरों ने जिन-जिन पार्टियों को टेलीप्रिंटर दिए हैं उनके मैकेनिकों को आवश्यकता के अनुसार वे देवनागरी लिपि के टेलीप्रिंटरों की मेनटेनेंस का भी शिक्षण देते हैं। शायद डाक-तार विभाग में अपने मैकेनिकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था नहीं है।

7. चर्चा के बाद यह निश्चय हुआ :—

(1) यदि भारत में इलैक्ट्रोनिक्स टेलीप्रिंटरों के निर्माण के बारे में संचार मंत्रालय द्वारा कुछ महीने के भीतर निर्णय ले लिए जाने की संभावना है तो देवनागरी लिपि के वर्तमान कुंजी-पटल अथवा डिजाइन में कोई परिवर्तन की बात इस समय सोचना उचित न होगा। भविष्य के लिए 5 कोड के स्थान पर कम से कम 6 कोड का 2 शिफ्ट का टेलीप्रिंटर बनाया जाना चाहिए जिससे 128 वर्ण मिल सकें।

(2) वर्तमान कुंजीपटल के देवनागरी लिपि के टेलीप्रिंटरों का उत्पादन अभी जारी रखा जाए और कुछ समय पूर्व इस टेलीप्रिन्टर में जो संशोधन किए गए थे उसके अनुसार बनाए गए मोडीफिकेशन किट उपभोक्ताओं को देते समय उन्हें संशोधनों की पूर्ण जानकारी करा दी जाए जिससे उपभोक्ताओं को इन टेलीप्रिंटरों के उपयोग में कोई कठिनाई न हो।

(3) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के पास जिन संवाद समितियों से अथवा अन्य किसी विभाग या संस्थान आदि से देवनागरी लिपि के टेलीप्रिंटरों के आर्डर पेशगी की राशि के साथ प्राप्त हो चुके हैं उनकी सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

(4) इलैक्ट्रानिक्स टेलीप्रिंटर में 8 लेबिल तक के कोड उपलब्ध होंगे जिनमें काफी बड़ी संख्या के वर्ण रखे जा सकेंगे। इतने वर्णों की जरूरत देवनागरी लिपि के टेलीप्रिन्टरों में नहीं पड़ेगी। नये डिजाइन के टेलीप्रिन्टर में उतने ही वर्ण रखे जाएं जो टेलीप्रिन्टरों पर टाइप करने वाले व्यक्तियों के लिए असुविधाजनक न हो, अर्थात् नए डिजाइन का कुंजी पटल अधिक वर्ग वाला रखा जाए लेकिन उसे आवश्यकता से अधिक बड़ा न बनाया जाए।

(5) इलैक्ट्रानिक्स के टेलीप्रिंटर में विभिन्न भाषाओं के वर्णों का उपयोग हो सकेगा इसलिए यह प्रयत्न किया जाए कि देवनागरी लिपि से मिलती-जुलती अन्य लिपियों के टेलीप्रिंटरों का कुंजी पटल यथा सम्भव एक जैसा हो। उस प्रकार का देवनागरी तथा अन्य लिपियों का कुंजी पटल तैयार करने के लिए एक उप समिति बना दी जाए जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किए जाएँ।

(6) देवनागरी लिपि का कुंजी पटल निर्धारित करने के लिए अथवा उसमें संशोधन करने के लिए जो

कारवाई की जाए उसमें हिन्दी की संवाद समितियों से भी परामर्श लिया जाए।

(7) विभिन्न भारतीय भाषाओं के टेलीप्रिंटरों के विकास के संबंध में जितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी वह राशि कहाँ से प्राप्त हो, इस पर आगामी अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भी विचार किया जाए।

(8) इलैक्ट्रोनिक्स टेलीप्रिंटर के लिए कोड निर्धारित करते समय कम्प्यूटर विशेषज्ञों से भी परामर्श किया जाए जिससे कि देवनागरी लिपि के कम्प्यूटर और देवनागरी लिपि के इलैक्ट्रोनिक्स टेलीप्रिंटर के कोडों में समानता रहे।

(9) डाक-तार विभाग के तार घरों में जो देवनागरी लिपि के टेलीप्रिंटर लगे हैं उनके मेनटेंनेंस का काम देखने वाले मैकेनिकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिलवाया जाए जिससे कि वे रोमनलिपि तथा देवनागरी लिपि के टेलीप्रिंटरों की देखभाल साथ-साथ कर सकें और देवनागरी लिपि के टेलीप्रिंटर चालू हालत में रहें।

पुलिस तारों को हिंदी में भेजने की व्यवस्था

इस संबंध में राजभाषा विभाग के सचिव के कमरे में 13 जून, 1979 को हुई बैठक का कार्यवृत्त जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

उपस्थिति

श्री कृपा नारायण, सचिव, राजभाषा विभाग

श्री मुनीश गुप्त, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

श्री छत्रपति जोशी, निदेशक, समन्वय निदेशालय, पुलिस बेतार

श्री आर० एस० काले, अपर निदेशक, समन्वय निदेशालय, पुलिस बेतार

श्री प्रेम नाथ कालड़ा, उप सचिव, गृह मंत्रालय।

श्री हरिबाबू कंसल, उप सचिव, राजभाषा विभाग

श्री जगदीश चन्द्र गुप्त, सहायक महानिदेशक तार, डाक-तार महानिदेशालय

श्री प्रेम लाल कनौजिया, उप निदेशक, राजभाषा विभाग

बैठक के आरम्भ में यह बताया गया कि हिन्दी के प्रयोग के संबंध में जो वार्षिक कार्यक्रम बनाया गया है उसके अनुसार हिन्दी भाषी क्षेत्रों को जाने वाले 25% तार देवनागरी लिपि में भेजे जाने चाहिए तथा हिन्दी भाषी राज्यों से होने वाला पत्राचार हिन्दी में होना चाहिए। मार्च, 1978 में हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में यह कहा गया था कि हिन्दी भाषी राज्यों में वायरलेस संदेश अभी तक अंग्रेजी में ही जाते रहे हैं। सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय को शीघ्र ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हिन्दी भाषी क्षेत्रों को भेजे जाने वाले वायरलेस संदेश हिन्दी में भेजे जा सकें। इससे पहले भी पिछले कई वर्षों से पुलिस तारों को हिन्दी में भेजे जाने के बारे में विचार होता रहा है लेकिन अभी तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो सकी है।

श्री छत्रपति जोशी ने बताया कि जो तार मोर्स द्वारा भेजे जाते हैं उनमें देवनागरी लिपि के प्रयोग के लिए एक कोड डाक तार विभाग ने बताया था जो अंग्रेजी के मौर्स कोर्ड से मिलता जुलता था। उसके विपरित समन्वय निदेशालय ने हिन्दी के विभिन्न संदेशों में इस्तेमाल किए जाने वाले देवनागरी अक्षरों की बारम्बारता (frequency) के आधार पर अपना कोड बनाया था जो परीक्षण में अधिक अच्छा माना गया था। लेकिन समन्वय निदेशालय वाले कोड पर कई वर्ष तक चर्चा होने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया था। अंत में सन् 1970 में डाक तार महानिदेशालय द्वारा तैयार किया कोड (जिसमें कुछ संशोधन हो चुके थे) मान लिया गया था। डाक तार महानिदेशालय के प्रतिनिधि श्री गुप्ता ने बताया कि डाक तार विभाग के कोड में यह आसानी है कि जिन तार बाबुओं को रोमन लिपि के मोर्स कोड द्वारा तार भेजने का अभ्यास है वे भी आसानी से देवनागरी के मोर्स कोड का अभ्यास कर सकते हैं चूँकि वह रोमन लिपि के मोर्स से मिलता जुलता है। चर्चा के बाद यह तय हुआ कि वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा कोड अधिक उपयोगी होगा जिसके द्वारा कोई भी तार बाबू रोमन और देवनागरी लिपि दोनों के तार आसानी से भेज सकें और इसलिए पुलिस तारों में भी डाक तार महानिदेशालय द्वारा निर्धारित देवनागरी मोर्स कोड को ही अपनाया जाए।

3. डाक तार महानिदेशालय के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके विभाग के जो कर्मचारी देवनागरी मोर्स की परीक्षा पास करते हैं उन्हें एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया

जाता है और देवनागरी टेलीप्रिंटर पर काम करने की परीक्षा पास करने पर उन्हें एक और वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है । यह वेतन वृद्धि एक-दो साल बाद समाप्त नहीं हो जाती, उन्हें यह लाभ स्थायी रूप से मिलता है । तय हुआ है कि डाकतार विभाग की प्रोत्साहन योजना की प्रति समन्वय निदेशालय द्वारा माँग ली जाए और उसी प्रकार की प्रोत्साहन योजना पुलिस तारों से संबंधित स्टाफ के लिए भी लागू की जाए । हिन्दी भाषी राज्यों से भी अनुरोध किया जाए कि वे इस स्कीम को अपने कर्मचारियों के लिए भी लागू करें जिससे कि वे कर्मचारी सरकारी तार आवश्यकतानुसार देवनागरी लिपि तथा रोमन लिपि दोनों में भेजने की योग्यता रख सकें ।

4. यह भी विचार किया गया कि जो नए कर्मचारी भरती किए जाएँ उन्हें देवनागरी लिपि के मोर्स कोड तथा देवनागरी टेलीप्रिन्टर का प्रशिक्षण परिवीक्षा अवधि में ही दे दिया जाए और जो कर्मचारी इस समय नौकरी में है उनके प्रशिक्षण के लिए समय बद्ध कार्यक्रम बनाया जाए। जो व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर लें उनके सर्विस रिकार्ड में यह बात दर्ज कर दी जाए । प्रोत्साहन की योजना कुछ निश्चित समय के लिए हो जिससे कर्मचारी उसका लाभ जल्दी से जल्दी उठाने का प्रयत्न करें ।

5. श्री जोशी ने बताया कि उन्होंने पुलिस बेतार के कर्मचारियों को देवनागरी लिपि के मोर्स का प्रशिक्षण देने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की माँग की है । उन्होंने यह भी बताया कि समन्वय निदेशालय के वर्तमान तार सर्किटों पर इस समय भी काम का दबाव बहुत अधिक है और यदि तारों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया तो यह भार और अधिक बढ़ जाएगा । इसके लिए अतिरिक्त सर्किटों की आवश्यकता पड़ेगी और अतिरिक्त स्टाफ की भी। डाक तार महानिदेशालय के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके विभाग में रोमन और देवनागरी लिपि के तारों का काम करने के लिए सामान्यतः अलग से सर्किट नहीं होते हैं । किसी तार बाबू को पूरे समय के लिए देवनागरी तारों पर तभी लगाया जाता है जब उस सर्किट पर देवनागरी तारों की संख्या बहुत अधिक हो, अन्यथा एक ही तार बाबू से आवश्यकता अनुसार देवनागरी लिपि या रोमन के तार भिजवाने का काम लिया जाता है । किन्तु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार देवनागरी लिपि के तार भेजने के लिए कार्य की मात्रा अपेक्षाकृत कम रखी गई है । तय हुआ कि डाक तार विभाग के मानदण्डों के आधार पर पुलिस बेतार के स्टाफ की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाए और उनके लिए जितने अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता हो उसको शीघ्र दिलाया जाए । राजभाषा सचिव ने यह इच्छा प्रकट की कि समन्वय निदेशालय द्वारा अतिरिक्त स्टाफ के लिए जो प्रस्ताव गृह मंत्रालय के लिए प्रस्तुत किया था उस पर हुए निर्णय या कार्रवाई की स्थिति उप राजभाषा सचिव को सूचित कर दें।

6. सभी इस बात से सहमत थे कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों को भेजे जाने वाले तारों में तथा हिन्दी भाषी राज्यों में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाले पुलिस तारों में देवनागरी लिपि के प्रयोग की शुरुआत का जल्दी से जल्दी प्रबन्ध किया जाना चाहिए । जब तक अतिरिक्त स्टाफ नहीं मिलता तब भी कुछ ठोस कदम शीघ्र उठाए जाने चाहिए। देवनागरी तार सिखाने के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण डाक तार विभाग के प्रशिक्षण केन्द्रों में करा दिया जाए और विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों को भी थोड़ी थोड़ी संख्या में डाक तार विभाग के प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिलाना आरम्भ कर दिया जाए । उन्हें सिखाने के लिए डाक तार विभाग के प्रतिनिधि ने उचित सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दिया । आगे के लिए प्रशिक्षण का क्या प्रबन्ध हो इसके लिए समन्वय निदेशालय योजना तैयार करेगा । जिसमें प्रशिक्षण की अवधि और प्रस्तावित पाठ्यक्रम आदि का पूरा विवरण होगा । पुलिस को तार प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण समन्वय निदेशालय या राज्य सरकारों द्वारा दिलाया जाएगा ।

7. इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि तारों के जल्दी प्रेषण के लिए हिन्दी भाषी राज्यों के साथ देवनागरी लिपि के टेलीप्रिन्टरों का संबंध रहना बहुत जरूरी है । समन्वय निदेशालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हें चंडीगढ़, पटना, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, शिमला और तीसहजारी के साथ संबंध रखने के लिए कम से कम 14 देवनागरी टेलीप्रिन्टरों की तुरन्त आवश्यकता होगी । यह तय हुआ कि इन टेलीप्रिन्टरों को लगवाने के लिए वित्तीय मंजूरी जल्दी प्राप्त की जाए जिससे कि कुछ राज्यों के साथ हिन्दी तारों का आदान प्रदान शुरू हो सके । डाकतार महानिदेशालय के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि इन टेलीप्रिन्टरों की लिखित माँग प्राप्त होने पर उनका विभाग इन मशीनों को प्राथमिकता के आधार पर दिलवाने की कार्रवाई कर देगा ।

8. यह बताया गया कि पुलिस बेतार संगठनों में कुल मिलाकर लगभग 20 हजार कर्मचारी काम करते हैं । इनमें से हिन्दी भाषी क्षेत्रों में काम करने वाले लगभग 8 हजार कर्मचारियों को देवनागरी मोर्स या टेलीप्रिंटर का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पड़ेगी । देवनागरी टेली-प्रिन्टर मशीनों आदि की भी आवश्यकता पड़ेगी । इन पर होने वाले व्यय को पुलिस के आधुनिकीकरण की योजनाओं का अंग माना जाना चाहिए और इसके लिए राज्य सरकारों के साधन बढ़ाने की बात सोची जानी चाहिए ।

9. श्री छत्रपति जोशी ने बताया कि कई वर्ष पहले रेडियो तथा केबिल बोर्ड हुआ करता था जो इस प्रकार की समस्याओं पर विचार किया करता था । उस बोर्ड को समाप्त कर देने के बाद कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी समस्याओं पर विचार किया

जा सके । तय हुआ कि राजभाषा विभाग में यांत्रिक कक्ष बनाने के संबंध में जिस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है उसमें एक ऐसी स्थायी समिति बनाने पर विचार किया जाए जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि अपनी ऐसी समस्याएँ रख सकें और उनका समाधान खोजा जा सके ।

10. राजभाषा सचिव ने कहा कि डाक तार विभाग, रेलवे बोर्ड, विदेश मंत्रालय आदि ने यदि तार संदेशों को संक्षिप्त रूप में भेजने के लिए कोड तैयार किए हैं तो उनकी एक एक प्रति मँगा ली जाए और जिन-जिन मंत्रालयों में इस प्रकार का काम होना बाकी है उनको पूरा कराने के लिए कार्रवाई की जाए । इस कार्य का समन्वय राजभाषा विभाग करगा । साथ ही रक्षा मंत्रालय से मालूम किया जाए कि हिन्दी में साइफर कोड तैयार करने के बारे में क्या प्रगति हुई है । संचार मंत्रालय से यह मालूम किया जाए कि विदेशी कम्पनी का सहयोग प्राप्त करके नए किस्म का एलक्ट्रानिक्स टेलीप्रिन्टर बनाने के संबंध में जो कार्रवाई की जा रही थी उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ।

11. यह तय हुआ कि इस बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उनकी सूचना हिन्दी भाषी राज्यों को तथा 'ख' क्षेत्रों के राज्यों को भी दी जाए और विभिन्न सूचनाएँ एकत्रित करने के बाद यदि आवश्यक हो तो इन राज्यों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुला ली जाए जिसमें उन के पुलिस महानिरीक्षक और गृह विभाग तथा पुलिस बेतार संगठन के अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए ।

देवनागरी लिपि में तार भेजने में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उपाय

केन्द्रीय हिन्दी समिति द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार जो सरकारी तार हिन्दी भाषी क्षेत्रों को भेजे जाएँ, उनमें से 25% तार देवनागरी लिपि में भेजे जाने अपेक्षित हैं । हिन्दी भाषी राज्य सरकारों का भी यह प्रयत्न रहा है कि उनके कार्यालय भी अपने तार हिन्दी में भेजें । जनता के भी काफी बड़े वर्ग को हिन्दी में तार भेजने में सुविधा होगी । किन्तु प्रतिवर्ष जितने तार अंग्रेजी में भेजे जाते हैं, उनके मुकाबले में देवनागरी में भेजी जाने वाली तारों की संख्या बहुत ही कम है । इसका मुख्य कारण यह है कि देवनागरी लिपि में भेजे गए तार प्रायः बहुत विलम्ब से पहुँचते हैं । इसके कुछ कारण शायद निम्नलिखित हैं :—

(1) कई तारघरों के बीच जहाँ रोमन लिपि के टेली-प्रिंटरों के सर्किट हैं, उनके बीच देवनागरी टेलीप्रिंटरों की व्यवस्था नहीं है ।

(2) जहां देवनागरी लिपि के टेलीप्रिंटर दिए गए हैं, वहां पर (क) या तो उन्हें लगाया नहीं गया, (ख) या काफी समय से खराब पड़े हैं (ग) या स्वतंत्र चैनल नहीं दी गई जिसके कारण तार भेजते समय मोर्स का सहारा लेना पड़ता है ।

(3) जिन हिन्दी तारों को मोर्स द्वारा भेजा जाता है, कई बार गंतव्य स्थान पर मोर्स जानने वाले बाबू नहीं मिलते हैं ।

(4) जिस प्रकार विलम्ब से भेज जाने वाले अंग्रेजी तारों के बारे में ऊपर के अधिकारियों को रिपोर्ट दी जाती है, उसी प्रकार हिन्दी में भेजे जाने वाले तारों में विलम्ब की रिपोर्ट भी भेजी जानी चाहिए ।

(5) एक तार घर में जितने भी तार हिन्दी अथवा अंग्रेजी में प्राप्त हों, उन्हें समय क्रम में रखा जाए और उसी क्रम में जारी किया जाए, अर्थात् जो तार पहले प्राप्त हुआ है उसे पहले जारी किया जाए और जो बाद में आया है, उसको बाद में जारी किया जाए । कम से कम हिन्दी भाषी राज्यों में इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ।

(6) अभी डाक तार विभाग के बहुत कम विभागीय तार हिन्दी भाषी क्षेत्रों के कार्यालयों को देवनागरी लिपि में जाते हैं । यदि ये तार हिन्दी में भेजे जाने लगें तो तार बाबूओं को देवनागरी लिपि के तारों को भेजने तथा प्राप्त करने का अच्छा अभ्यास बना रहेगा और फिर अन्य विभागों या जनता के देवनागरी तारों का भी प्रेषण जल्दी हो सकेगा ।

(7) डाक तार विभाग के सम्भवतः 80% तार, बाबुओं को देवनागरी मोर्स का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, लेकिन उनमें से कई बाबू देवनागरी लिपि के तारों को भेजने तथा प्राप्त करने में आना-कानी करते हैं । सरकार द्वारा उन्हें शायद अग्रिम वेतन वृद्धि भी दी जाती है । इस बारे में यह विचार किया जा सकता है कि क्या (क) उन्हें प्रतिवर्ष आगे की अग्रिम वेतन वृद्धि तभी दी जाए जब वे प्रतिवर्ष निर्धारित गति में परीक्षा पास करते रहें, (ख) उन्हें अभ्यास को बनाए रखने के लिए, प्रतिदिन कम से कम कुछ तार हिन्दी में भेजने के लिए कहा जाए । □□□

आदेश-अनुदेश :

सं० 11015/8/74-रा०भा० (क-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्तूबर, 1974

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिन्दी भाषी क्षेत्रों और महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब (जिसमें चंढीगढ़ संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं) में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पण और आलेखन में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नकद पुरस्कार योजना

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा है । तथापि, यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के अलावा अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा जिन के लिए उसका उपयोग 26 जनवरी, 1965 के तुरन्त पहले किया जाता था । इस प्रकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपना सरकारी कामकाज हिन्दी या अंग्रेजी में करने के लिए स्वतंत्र हैं । हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन 5 लाख से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है । इसी प्रकार काफी संख्या में टाइपिस्टों/स्टेनोग्राफरों को भी हिन्दी टाइप-राईटिंग और शार्टहैंड का प्रशिक्षण दिया जा चुका है । ऐसे कर्मचारियों की संख्या भी बहुत है जो नौकरी में आने के समय हिन्दी जानते थे । यद्यपि हिन्दी संघ की राजभाषा है, तथापि ऐसा देखा गया है कि बहुत कम कर्मचारी अपना कामकाज हिन्दी में करते हैं । यह अनुभव रहा है कि हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन जिन कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है उन्हें अपना कामकाज हिन्दी में करने का अभ्यास न होने के कारण, जो कुछ हिन्दी का ज्ञान इस योजना के अधीन उन्हें प्राप्त होता है वे उसे भी भूल जाते हैं । इस प्रकार हिन्दी शिक्षण योजना के चलाने पर किया गया खर्च बेकार हो जाता है । इसलिए हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण का प्रभावी उपयोग करने और जो कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, उन्हें हिन्दी में टिप्पण आलेखन करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए एक नकद पुरस्कार योजना बनाई गई है । नकद पुरस्कार योजना इस प्रकार है :—

(1) **योजना का क्षेत्र** : इस योजना का क्षेत्र (क) मंत्रालयों/विभागों और (ख) हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में तथा महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब राज्यों में स्थित उन केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों तक सीमित रहेगा (जिसमें चंडीगढ़ संघशासित क्षेत्र शामिल है) जिसमें कर्मचारियों की संख्या 500 से कम न हो (इस संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल नहीं हैं) तथापि, अहिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित किसी कार्यालय में तैनात कोई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी भी संबंधित मंत्रालय, विभाग या कार्यालय में लागू उक्त योजना के अधीन इनामों के लिए प्रतियोगिता में शामिल हो सकता है ।

(2) **पात्रता** : उप सचिव या समकक्ष पद तक के सभी अधिकारी इस योजना के अधीन प्रतियोगिता में शामिल हो सकेंगे ।

(3) इस योजना के अधीन हर वर्ष नीचे लिखे नकद पुरस्कार दिए जाएँगे

(क) मुख्य मंत्रालय और विभाग

पहला इनाम	250 रुपए
दूसरा इनाम	150 रुपए
तीसरा इनाम	75 रुपए

प्रतियोगियों की संख्या 25 से ज्यादा होने पर हर अतिरिक्त 10 प्रतियोगियों के लिए 50 रुपए का एक प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा ।

(ख) हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय (मुख्य मंत्रालयों और विभागों को छोड़ कर) और महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब (जिसमें चंड़ीगढ़ संघशासित क्षेत्र शामिल है) जिनके कर्मचारियों की संख्या 500 से कम न हो :

पहला इनाम	200 रुपए
दूसरा इनाम	100 रुपए
तीसरा इनाम	75 रुपए

प्रतियोगियों की संख्या 25 से ज्यादा होने पर, हर अतिरिक्त 10 प्रतियोगियों के लिए 50 रुपए का एक प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा ।

(ग) जो सरकारी कर्मचारी एक वर्ष में 5,000 या इससे अधिक हिन्दी शब्द लिखेगा उसे प्रशंसा पत्र दिया जाएगा ।

(4) **इनाम देने के लिए मापदंड :**

(क) मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जाएँगे । इन में से 70 अंक हिन्दी में किए गए काम की मात्रा के लिए रखे जाएँगे और 30 अंक हिन्दी में टिप्पण और आलेखन की योग्यता के लिए होंगे ।

(ख) जो व्यक्ति वर्ष में एक लाख शब्द हिन्दी में लिखेगा उसे काम की मात्रा के लिए निर्धारित अधिकतम 70 अंकों में से 50 अंक दिए जाएँगे । अगर वह हिन्दी में और ज्यादा शब्द लिखेगा तो उसे हिन्दी में प्रति 5,000 अतिरिक्त शब्द लिखने के लिए एक अंक दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह होगी कि इस प्रकार प्राप्त कुल अंक 70 से ज्यादा नहीं होंगे । इसी प्रकार अगर हिन्दी में लिखे गए शब्द एक लाख से कम हों तो प्रति 5,000 शब्दों पर एक अंक कम कर दिया जाएगा । जहाँ अनावश्यक रूप से बहुत शब्दों का उपयोग करके शब्दों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जाएगी वहाँ प्रति हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी अगर जरूरी समझेगा तो अंकों में उपयुक्त कमी कर देगा ।

(ग) जैसा कि ऊपर बताया गया है, 30 अंक विचारों को ठीक तरह से प्रस्तुत करने, शब्द चयन और लिखने की शैली के लिए निर्धारित होंगे । प्रतियोगी मूल्यांकन समिति को अपनी पसन्द की 5 टिप्पणियाँ और मसौदे प्रस्तुत करेगा ताकि उसके काम की विशेषता को आँका जा सके ।

(घ) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़ है, उनके अंकों को 30 प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा ।

(ङ) जिन प्रतियोगियों की मातृ भाषा गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया असमिया या कोई अन्य संबद्ध भाषा है, उनके अंकों को 20 प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा ।

(च) जिन प्रतियोगियों की मातृ भाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिन्धी, पश्तो या कोई अन्य संबद्ध भाषा है, उनके अंकों को 10 प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा ।

(छ) प्रतियोगी इस कार्यालय ज्ञापन के साथ लगे निर्धारित प्रोफार्मा में रोजाना हिन्दी में लिखे शब्दों का रिकार्ड रखेंगे । उनसे अगला उच्चाधिकारी हर सप्ताह के रिकार्ड पर प्रति हस्ताक्षर करेगा । प्रति हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी ऊपर उप पैरा (ख) के अनुदेशों को ध्यान में रखेगा ।

(ज) 12 महीने की अवधि के आखिर में प्रतियोगी अपने हिन्दी में किए गए काम के रिकार्ड को, प्रति हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के जरिए मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करेगा ।

(झ) इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति, योजना शुरू होने की तारीख से एक सप्ताह पहले अपने नाम भेज दें ।

(5) **मूल्यांकन समिति का गठन :**

मूल्यांकन समिति के गठन के बारे में किसी खास निश्चित नियम की जरूरत नहीं है तथापि, मुख्य मंत्रालयों और विभागों में प्रशासन के कार्यभारी संयुक्त सचिव, हिन्दी के उपयोग के बारे में आदेशों के कार्यान्वयन से संबंधित उप सचिव, संगठन और पद्धति के प्रभारी अवर सचिव इस समिति के सदस्य हो सकते हैं । संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग के अध्यक्ष या कार्यालय के अध्यक्ष तथा दो अन्य राजपत्रित अधिकारी इसके सदस्य हो सकते हैं ।

2. इस योजना को चलाने का खर्च प्रत्येक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय द्वारा अपने बजट प्रावधानों में से किया जाएगा ।

3. यह देखने के लिए कि क्या इस योजना में किसी परिवर्तन की जरूरत है एक वर्ष बाद इसके संचालन का पुनरीक्षण किया जाएगा ।

4. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके इस योजना को, मुख्य मंत्रालय/विभाग तथा हिन्दी भाषी राज्यों और महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब (जिसमें चंडीगढ़ संघशासित क्षेत्र शामिल है) राज्य में स्थित कार्यालयों में लागू किया जाए, जिनमें कर्मचारियों की संख्या 500 से कम न हो ।

5. इस योजना को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने अपने दिनांक 21-9-1974 की अ० टि० सं० 5350/ई० III(ए)/74 द्वारा अनुमोदित कर दिया है ।

ह० (विष्णु स्वरूप सक्सेना)

उप सचिव; भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि ।

प्रोफार्मा

.....को समाप्त सप्ताह के विषय में

श्री/श्रीमती/कुमारी.....द्वारा

हिन्दी में किए गए कार्य का साप्ताहिक विवरण ।

क्रम संख्या	तारीख	डायरी/फाइल संख्या	संक्षिप्त विषय	टिप्पणी/शब्द सं० मसौदा

संख्या 20013/2/77—रा० भा० (ग)

भारत सरकार, गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1979

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—भारत सरकार के जिन कार्यालयों में हिन्दी के कार्य के लिए कर्मचारी नहीं हैं, वहाँ अनुवाद का काम मानदेय के आधार पर करवाना

इस विभाग के 21 फरवरी, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11-13017/13/75-रा० भा० (ग) द्वारा यह निदेश दिया गया था कि जिन कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी या हिन्दी अनुवादक का कोई पद नहीं है वहाँ जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी से हिन्दी या हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद का कार्य कार्यालय के किसी योग्य व्यक्ति से मानदेय (आनरेरियम) के आधार पर करा लिया जाए। साथ ही, इस कार्य के लिए प्रति 1000 शब्दों पर 5 रु० मानदेय निर्धारित किया गया था।

2. इस विभाग ने इस विषय पर पुनर्विचार किया है और अब यह तय किया गया है कि हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद के लिए 5 रु० के स्थान पर 10 रु० प्रति 1000 शब्द की दर से मानदेय दिया जाए। मानदेय के संबंध में इस विभाग के 21 फरवरी, 1976 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अन्य शर्तें वही रहेंगी।

3. यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

4. यह कार्यालय ज्ञापन कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की 30 जुलाई, 1979 की अ० टि० स० 1169 अलांउस/79 में दी गई सहमति से जारी किया जा रहा है।

ह/- राजकृष्ण बंसल
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय।
4. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
5. गृह मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
6. राजभाषा विभाग के सभी डेस्क/अनुभाग
7. अनुसंधान एकक (5 अतिरिक्त प्रतियाँ)।
8. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् एक्स वाई 68. सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
9. राभा (ग) डेस्क (150 अतिरिक्त प्रतियाँ)।

समाचार :

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की भारतीय राज्य फार्म निगम एवं राष्ट्रीय बीज निगम शाखा का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह :

25 मई, 1979 को आयोजित उपर्युक्त समारोह के मुख्य अतिथि एवं राजभाषा विभाग के सचिव श्री कृपा नारायण ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भाषा और राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य समझाते हुए कहा कि में समझता हूँ कि इस समय जो दो तीन चीजें मेरे सामने हैं उन्हीं के बारे में मैं बात कर लूँ तो ठीक हो। हिन्दी के प्रचार और प्रसार की बात करते हुए सबसे पहली बात जो कि हिन्दी वालों को याद रखनी चाहिए वह है राष्ट्रीय एकीकरण "नेशनल इंटीग्रेशन"। राष्ट्रभाषा का होना उसकी एक कड़ी है। इसलिए हमें हिन्दी का प्रचार और प्रसार इस दृष्टि से करना है जिससे राष्ट्रीय एकीकरण की भावना में, जो कि हमारा पहला लक्ष्य है; किसी भी प्रकार की कमी न आने पाए। यह लक्ष्य हमारे सामने सदैव रहना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जब हम हिन्दी का प्रयोग करते हैं तो हमको उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो कि सहज और सरल हों ताकि जो लोग हिन्दी नहीं जानते, उनको कठिनाई न हो। जब आप किसी भाषा को देश भर की और सारे भारत की भाषा माने, जहाँ की विभिन्न प्रकार के लोग हैं, तो आपको देश, काल परिस्थिति आदि को देख कर कदम उठाना चाहिए इसलिए जो भाषा आप बोलें उसमें जहाँ आप हो, वहाँ के शब्दों का अधिक प्रयोग करें, पंजाब में उर्दू के शब्दों का तथा केरल में संस्कृत के शब्दों का पुट हो, यह ठीक रहेगा। बहरहाल हर दिशा में हर काल में इसे आपको अपने सामने रखना चाहिए।

अनुवादक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किन्तु वे यह ध्यान रखें कि वे सरल भाषा में अपना काम करें ताकि जिनके लिए वे लिखते हैं, वह उनके काम आए। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि देश, काल, स्थिति और पात्र को देखकर काम किया जाए।

हममें से जो बहुत हिन्दी जानते हैं, वे भी हिन्दी में नोटिंग या टिप्पण नहीं करते। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जो हिन्दी सीख गया है, इसका तो संकल्प कर ले कि वह सप्ताह में कम से कम एक नोट हिन्दी में लिखेगा। आवश्यकता है कि ज्यादा लिखा जाए। लेकिन जो हिन्दी सीखे हुए हैं वे प्रारंभ तो करें। इसके बाद उन्हें हिन्दी में काम करने का खुद शौक पैदा होगा।

हमारे जो पुस्तकालय हैं, उनमें हिन्दी की भी पुस्तकें आती होंगी। इस बात का ध्यान रखें कि जो हिन्दी सीख रहे हैं क्या उनके लिए भी इन पुस्तकालयों में पुस्तकें हैं या नहीं? जो नए-नए सीखें हुए आदमी हैं उनके लिए आप उस प्रकार का साहित्य खरीदने की कोशिश करें, जिसमें उनकी रुचि हो। उनके लिए रामायण, महाभारत, गुरू गोविंद सिंह आदि के जीवन चरित पर आधारित पुस्तकें खरीदें। मुझे विश्वास है कि हम उनका भी ख्याल रखेंगे जो अभी हिन्दी सीख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें दूसरों को साथ लेकर चलना है और हमारी जो मुश्किलें हैं उन्हें उनको मदद से दूर करना है।

नियमों का पालन करते हुए भी आपको यह देखना होगा कि आपके जो मित्र हिन्दी नहीं जानते हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। किन्तु इस कार्य के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् का मैं आभारी हूँ कि वे इस काम को एक चैलेंज समझकर कर रहे हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि परिषद अधिक से अधिक अहिन्दी भाषियों को सदस्य बनाने में सफलीभूत होगी। आप ध्यान रखें कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में हिन्दी का कार्य होना है। नियमों के अनुसार कुछ कार्य हिन्दी में ही होना चाहिए।

यांत्रिक सुविधाओं के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक यांत्रिक सुविधाएँ नहीं होंगी तब तक आपको हिन्दी में काम करने में कठिनाई होगी। इन सब के लिए हर दिशा में ध्यान दिया जाना

चाहिए। अगर हम यांत्रिक सुविधाओं के प्रति ध्यान देंगे तो हम किसी भी भाषा के प्रचार को बढ़ा सकेंगे जब तक आप यह नहीं सोचेंगे तब तक आप काम नहीं कर सकेंगे।

प्रत्येक सरकारी निगम या सरकारी कार्यालय आदि में सरकारी तौर पर हम ऐसा प्रत्यत्न कर रहे हैं। मुझे आशा है वे अपना काम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से मैंने इशारा किया है। जो लोग हिन्दी नहीं जानते उनको भी साथ लेकर चलें। निगमों में एक हिन्दी अधिकारी रखना आवश्यक है। इस अधिकारी की नियुक्ति से निगमों में हिन्दी का प्रचार बढ़ेगा।

आज आपने मुझे आमंत्रित किया इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे विश्वास है कि आज से आप अपना अधिकाधिक काम हिन्दी में करेंगे और आगे भी करते रहेंगे।

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ स्थित मंडल अधीक्षक (राजभाषा) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सूचित किया है कि पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल के हिन्दी अधीक्षक श्री जगपति शरण निगम को पूर्वोत्तर रेलवे में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तदनुसार रेल सप्ताह के अवसर पर गोरखपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री लालजी सिंह ने श्री निगम को पुरस्कार प्रदान किया। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, विशेषकर रेल प्रसासन में हिन्दी अनुवाद और राजभाषा कार्यान्वयन दोनों ही क्षेत्रों में श्री निगम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

पूर्वोत्तर रेलवे हिन्दी प्रयोग में सबसे आगे

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कानपुर में 28-4-79 को हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल रेलवे प्रबंधक श्री एल० एम० भास्कर ने की। सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष महोदय ने अनुरोध किया कि पहले की तरह हिन्दी के प्रयोग की गति निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की कि वे राजभाषा नियम, 1976 का शतप्रतिशत पालन कर अपने दायित्व का निर्वाह करें क्योंकि अब हिन्दी का प्रयोग कानूनन जरूरी है।

मंडल राजभाषा अधिकारी श्री तेज बहादुर सिंह ने राजभाषा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस समय हम अपना ध्यान अंग्रेजी टाइपराइटरों की वापसी तथा राजभाषा चैक प्वाइंटों को अधिकतम प्रभावशाली बनाने पर केन्द्रित कर रहे हैं। उन्होंने सूचित किया कि जनवरी, 1979 से केन्द्रीय टंकण अनुभाग, केन्द्रीय प्रेषण अनुभाग और रोनियो अनुभाग में 3 राजभाषा चैक प्वाइंट बनाए गए हैं। फलस्वरूप हिन्दी विभाग द्वारा अनअपेक्षित विषयों को छोड़कर कोई भी अंग्रेजी का मसौदा न तो टंकित करने दिया जाता है और न ही कोई अंग्रेजी का पत्र डिस्पेच होने दिया जा रहा है। इस अवसर पर रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री राजदेव त्रिपाठी ने लखनऊ मंडल में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की सराहना की और रेल मंत्रालय की ओर से बधाई देते हुए कहा कि संपूर्ण भारतीय रेलों पर हिन्दी प्रयोग की दिशा में पूर्वोत्तर रेलवे सबसे आगे है।

फील्ड गन फैक्टरी कानपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक:

16-4-79 को फैक्टरी के प्रबंधक श्री के० पी० सिंह की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि निर्माणी (फैक्टरी) के कर्मचारियों को हिन्दी तथा हिन्दी टाइपिंग के प्रशिक्षण के काम में तेजी लाई जाए और पिछली परीक्षाओं में जिन कर्मचारियों ने हिन्दी टाइपिंग से संबंधित अपेक्षित परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर ली हैं उनको प्रमाण पत्र देने के लिए एक समारोह का आयोजन किया जाए। बैठक में यह भी तय किया गया कि हिन्दी टाइपिंग तथा अनुवाद पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का पूरी तरह इस्तेमाल किया जाए। यह तभी संभव है जब कि कार्यालय में कम से कम 40 प्रतिशत तथा अनुभागों में 20 प्रतिशत काम हिन्दी में किया जाए।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में 1979 को राजभाषा वर्ष के रूप में मनाने के संबंध में कार्यक्रम:

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 25 अक्तूबर, 1978 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12016/6/15/78-रा० भा० (ख०-2) की व्यवस्था के अनुसार मुख्य कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अनुमोदन से हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कंपनी के यूनिटों में वर्ष 1979 को 'राजभाषा वर्ष' के रूप में मनाने के संबंध में निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किए गए हैं :—

(1) राजभाषा अधिनियम एवं उसमें विहित नियमों के तहत दिए गए उपबंधों के शीघ्र कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान।

(2) कंपनी के उत्पादों का नाम उत्पादनों पर द्विभाषी, अर्थात् अंग्रेजी हिन्दी में लिखना।

(3) करारों, संविदाओं तथा टेंडर के फार्म आदि के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग।

(4) भारत में हस्ताक्षर की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों का हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाना।

(5) यूनिट के कुछ विशेष अनुभागों में हिन्दी प्रयोग को बढ़ाने हेतु मिला-जुला प्रयास।

(6) अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

(7) पर्याप्त मात्रा में हिन्दी टाइपराइटर खरीदना।

(8) आवश्यकतानुसार हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुवादक, हिन्दी आशुलिपिक एवं हिन्दी टंककों की नियुक्ति ।

(9) संदर्भ साहित्य एवं शब्दकोश खरीदना ।

(10) हिन्दी पुस्तकालय का गठन और हिन्दी की प्रसिद्ध पुस्तकें, पत्रिकाएँ एवं समाचार पत्र आदि की खरीद ।

(11) कंपनी के "हाउस-मैगजीन" में कुछ हिन्दी लेखों का प्रकाशन ।

(12) हिन्दी-कार्यशाला, गोष्ठियों एवं पुरस्कार योजनाओं द्वारा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने का प्रयत्न ।

(13) हिन्दी की प्रगति हेतु राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर सुझाए गए कार्यक्रमों एवं वार्षिक-कार्यक्रम के अंतर्गत निश्चित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति का, राजभाषा वर्ष के दौरान, प्रयास।

नगद पुरस्कार प्रमाण-पत्र वितरण समारोह के अवसर पर पुनर्वास राज्य मंत्री जी द्वारा दिया गया भाषण

विभाग में 3 जुलाई, 1979 को सम्पन्न हुए नकद पुरस्कार/प्रमाण-पत्र वितरण समारोह के अवसर पर तत्कालीन पुनर्वास राज्य मंत्री ने अपने भाषण में जिन तथ्यों पर अधिकाधिक जोर दिया है, वे इस प्रकार हैं :—

(क) केवल हिन्दीमें हस्ताक्षर कर देने से हिन्दी में कारोबार करने की बात नहीं होती, इसके लिए कुछ ठोस रूप में प्रयत्न करने होंगे।

(ख) जब हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग करते हैं तो धीरे-धीरे कुछ प्रगति इसमें होती है और प्रारंभ में कुछ कठिनाइयाँ भी होती हैं तो हिन्दी की जगह ब्रैकेट में अंग्रेजी के शब्द लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ।

(ग) सरकारी कामकाज हिन्दी में करते समय हिन्दी के कठिन शब्द प्रयोग न करें बल्कि जो आम भाषा के शब्द हैं उन्हीं का प्रयोग करें ।

(घ) टेक्नीकल शब्दों के लिए केवल वही शब्द प्रयोग करें जो शब्द कोश में हैं अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है।

अंग्रेजी आशुलिपिकों से हिन्दी में काम करवाना तथा 30.00 रुपए प्रति मास विशेष वेतन देना

दिनांक 20/9/1978 को दिल्ली विकास प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दूसरी बैठक में हिन्दी आशुलिपिकों के अभाव को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि दिल्ली विकास प्राधिकारण में जो अंग्रेजी आशुलिपिक हैं, उन्हें हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिलवाया जाए तथा उन्हें निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर और अंग्रेजी आशुलिपि के अतिरिक्त हिन्दी आशुलिपि का कार्य करने पर 30.00 रुपए प्रति मास विशेष वेतन दिया जाए ।

2. इस विषय को कार्यान्वियन के लिए वित्त विभाग को प्रेषित किया गया और अन्ततः सामान्य प्रशासन के संस्थापना आदेश संख्या 574 दिनांक 14-2-1979 के अनुसार आशुलिपिकों के विशेष वेतन से संबंधित अनेक व्यवस्थाओं का विधान किया गया और यह व्यवस्था भी की गई कि जो आशुलिपिक हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों प्रकार के आशुलिपिको का कार्य जानते होंगे उन्हें 30.00 रुपए प्रति मास विशेष वेतन दिया जाएगा ।

हिंदी में लिखी जा रही रिपोर्टों के नमूने

कलसी

कलसी स्थित अशोक शिला लेख संबंधी स्मारक पर पहुँचने के लिए, पिछले समय जो बेडौल पत्थरों से सड़क बनाई गई हैं, उसका स्तर पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। बैडौल नोकें उभरी-उभरी सी हैं जिस पर चलने वालों को ठोकर लग सकती हैं। पहियों वाली गाड़ी को भी ठीक ढंग से चलाया नहीं जा सकता है । सीमेन्ट और रेतिया का मिश्रण भी उचित प्रतीत नहीं होता है। डर है कि वर्षा होने पर सीमेन्ट वगैरह बह जाएगा और बड़े-बड़े पत्थर फिर उभर जाएंगे इसको सीमेन्ट से मजबूत बनाने की आवश्यकता है ।

चौकीदार की झोपड़ी आज भी उसी तरह भद्दे तरीके से स्मारक के पास पड़ी है इस स्थल पर चौकीदार के लिए घर बनाने का निर्णय कई वर्ष पूर्व किया गया था। इस साल ही इसका बनाना योजना में शामिल किया गया है। इसके लिए प्रारूप बनाने के लिए संरक्षण सहायक को आवश्यक आदेश दे दिए गए हैं।

स्मारक के आसपास और अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किए गए थे वे अभी तक सफल नहीं हुए हैं। मैंने नक्शे के अनुसार भूमि का निरीक्षण भी किया ।

इतनी भूमि यहाँ बाग बगीचे बनाने और पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए अनिवार्य हैं। श्री अहलूवालिया को कहा गया है कि इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का कार्य तुरंत करें। इस स्मारक पर संक्षिप्त इतिहास हिन्दी व अंग्रेजी में पत्थर के ऊपर अंकित कर तुरंत लगा देना चाहिए जो अभी तक नहीं किया गया है।

स्मारक के पास जो रोड़ा पत्थर से पथ बनाया गया है वह अपने चरण के स्तर से ऊँचा है जिसके कारण बीच के भाग में पानी एकत्रित हो जाता है। संरक्षण सहायक से अनुरोध किया गया कि स्थल से स्तर का ध्यान रखते हुए, तीन जगह और नालियाँ बनाए जो ढकी हुई हों। चौकीदार के क्वार्टर का उत्तर-पश्चिम कोने पर बनाना उचित लगता है और वहाँ पर ही बनाना चाहिए। इस जगह पर सामग्री रखने के लिए कोई कमरा नहीं है इसलिए एक कमरा इसके लिए भी आवश्यक है।

रास्ते पर लाइम काकरोट डालकर उस के ऊपर सीमेंट कंकरीट के स्लैब डाल दिए जाएँ।

एक शौचालय भी यहाँ के लिए अनिवार्य है। जिसे भूमि अधिग्रहण करने के बाद बनाया जाए।

एक रजिस्टर रखने को संरक्षण सहायक से अनुरोध किया गया है। जिसका उस स्थल पर आदेश लिए जाने के लिए प्रयोग किया जाए। संरक्षण सहायक अपने निरीक्षण के समय स्मारक और अन्य आवश्यक बातों का उल्लेख करे।

हिन्दी में निरीक्षण का उल्लेख करने पर जोर दिया जाए। भारतीय पर्यटकों से हिन्दी में विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया जाए।

कलसी का जिला परिषद का निरीक्षण भवन अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। जिससे यहाँ निरीक्षण पर आने वालों को असीम असुविधा होती है। इसके लिए महा निदेशक से अनुरोध किया जाए कि इस स्थल पर एक छोटा सा निवास भवन बनाने का आदेश दिया जाए।

अशोक के अभिलेख वाली चट्टान पर हाथ न लगाएँ का बोर्ड लगाया जाए।

वर्तमान सांस्कृतिक बोर्ड पर आवश्यक सुधार किया जाए। नम्बर 2 पर मानधरा जिला सतारा के स्थान पर बंगला देश तथा क्रमांक 7 पर आंध्र प्रदेश के स्थान पर उड़ीसा लिखा जाए।

कम्प्यूटरों में देवनागरी लिपि तथा अन्य भारतीय लिपियों के प्रयोग की सुविधाओं के विकास के संबंध में राजभाषा सचिव की अध्यक्षता में 10 जुलाई, 1979 को बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय :

सचिव महोदय ने कहा कि राजभाषा में सुचारु रूप से काम करना तभी संभव हो सकेगा जब कि उसके लिए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त संख्या में आधुनिक यांत्रिक सुविधाएँ भी उपलब्ध हों। इस समय कई प्रकार की यांत्रिक सुविधाएँ जो रोमनलिपि में उपलब्ध हैं; देवनागरी लिपि तथा अन्य भारतीय भाषाओं की लिपियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयास किया जाना चाहिए।

2. राजभाषा विभाग की ओर से श्री कंसल ने यह स्पष्ट किया कि भारत के विभिन्न राज्यों में यह कोशिश होती रही है कि उनका सरकारी कामकाज उस क्षेत्र की उन भाषाओं में हो जिन्हें राज्यों की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अनेक राज्यों में तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने का प्रयास किया गया है। उसके फलस्वरूप कई जगह बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, वेतन बिल आदि हिन्दी में बनने लगे थे। कुछ कार्यालयों में जब से ऐसा काम कम्प्यूटरों द्वारा होने लगा तो उन्हें फिर अंग्रेजी में इस कारण किया जाने लगा कि भारत में जिन कम्प्यूटरों का इस्तेमाल होता है, उनमें देवनागरी लिपि या अन्य भारतीय लिपियों के प्रयोग की सुविधा नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों में कम्प्यूटरों में देवनागरी लिपि तथा अन्य भारतीय भाषाओं की लिपियों के प्रयोग के संबंध में विचार हुआ है और इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, ने कम्प्यूटरों में इन लिपियों के प्रयोग के नमूने प्रस्तुत किए हैं, किन्तु उसमें अभी सुधार की आवश्यकता है।

3. टेलीप्रिंटरों में देवनागरी लिपि तथा अन्य भारतीय भाषाओं की लिपि के प्रयोग के संबंध में भी चर्चा हुई। उस दौरान हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के मुख्य इंजीनियर, श्री वेंकटरमन तथा बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारियों ने यह विचार प्रकट किया कि भारतीय भाषाओं का प्रयोग टेलीप्रिंटरों में आसान बनाने के लिए 5 बिट कोड की जगह 8 बिट कोड का इस्तेमाल करना अधिक उचित होगा। इस समय 5 बिट कोड के जो टेलीप्रिंटर काम में लाए जा रहे हैं, उनमें देवनागरी लिपि के वर्ण आसानी से नहीं समा पाते हैं और अक्षर भी ठीक तरह से नहीं छप पाते हैं। 8 बिट कोड में भारत की सभी प्रमुख भाषाओं की लिपियों के वर्ण आसानी से आ सकेंगे।

4. कम्प्यूटरों में भारतीय भाषाओं की लिपियों के प्रयोग के संबंध में यह सोचा गया कि इस काम के 2 अंग है, एक है विकास का और दूसरा मशीनों के उत्पादन और उनकी बिक्री का। जहाँ तक विकास का संबंध है, इलैक्ट्रानिकी विभाग के संयुक्त सचिव, श्री शिव सुब्रह्मणियम ने यह आश्वासन दिया कि विकास कार्य के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, उसकी व्यवस्था इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा तकनीकी विकास परिषद् की निधि से करा दी जाएगी।

वैसे अपने प्रयत्नों से ही इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, ने इस दिशा में काफी प्रगति की है। अब समय आ गया है कि इस बात का पता किया जाए कि इन मशीनों की कितनी माँग होगी ताकि उस मांग के अनुसार उत्पादन हो। सभी की यह राय थी कि जब तक संभावित उपभोक्ताओं को यह जानकारी न हो कि भारतीय भाषाओं की लिपियों वाले कम्प्यूटर भारत में मिल सकते हैं और उनका किन-किन कामों के लिए उपयोग किया जा सकता है, उतनी माँग नहीं आ पायेगी जितनी अपेक्षित है। यह भी ठीक नहीं होगा कि पहले मांग की प्रतीक्षा की जाए और उत्पादन की दिशा में काम आरम्भ न हो। यह तय हुआ कि ई० सी. आई० एल०, श्री वेंकट-रमन, श्री तनेजा तथा डा० कोटेश्वर राव की सहायता लेकर एक नोट तैयार करें जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों और कम्प्यूटर केन्द्रों को इस प्रकार के कम्प्यूटरों के उत्पादन की स्थिति और संभावित उपयोग की जानकारी कराई जाए। इसके बाद कम्प्यूटर के प्रदर्शनी योग्य माडल (डिमानस्ट्रेशन माडल) तैयार करके संभावित उपभोक्ताओं को दिखाए जाएँ। इन कम्प्यूटरों की बिक्री के लिए वहीं तकनीक अपनाई जाए जो इस प्रकार के अन्य माल की बिक्री के लिए अपनाई जाती है। ऐसा करते हुए सरकार की उस नीति का ध्यान रखा जाए कि बिक्री संबंधी अभियान का उद्देश्य अधिक कम्प्यूटर लगवाना नहीं होगा बल्कि यह होगा कि जिन-जिन क्षेत्रों में कम्प्यूटरों का उपयोग पहले से ही किया जा रहा है या करने का निश्चय किया जा चुका है वहाँ रोमन-लिपि के कम्प्यूटरों की जगह देवनागरी लिपि अथवा अन्य भारतीय भाषाओं की लिपियों के कम्प्यूटर लगाए जाएँ। यदि ई० सी० आई० एल० के अधिकारी कुछ राज्यों के अधिकारियों से भी इस बारे में मिलें तो उसका अच्छा परिणाम हो सकता है। राज्य सरकारों से सम्पर्क करने में राजभाषा विभाग भी सहायता करेगा।

हिंदी कहाँ और कितनी ?

महालेखाकार, राजस्थान (जयपुर) के कार्यालय में हिंदी की प्रगति :

इस कार्यालय की 11-4-79 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त को देखने से ज्ञात हुआ है कि इस कार्यालय में अब पहले की अपेक्षा हिन्दी में प्रयोग की स्थिति में सुधार हुआ है। हिन्दी के प्राप्त पत्रों के संबंध में बताया गया कि कार्यालय में 31-3-79 को समाप्त तिमाही में 38665 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 16960 के उत्तर हिन्दी में दिए गए। 31-12-78 को समाप्त तिमाही में 32807 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 16010 के उत्तर हिन्दी में दिए गए। यह संख्या काफी उत्साहजनक है। इतना ही नहीं मार्च की समाप्त तिमाही में महालेखाकार के कार्यालय से कुल 40454 मूल पत्र जारी किए गए जिनमें से 23193 मूल पत्र केवल हिन्दी में जारी किए गए। मार्च, 1979 को समाप्त तिमाही में हिन्दी में दिए गए तारों का प्रतिशत 33.55 हो गया है जबकि 31-12-78 को समाप्त तिमाही में यह केवल 19.16 प्रतिशत था। हिन्दी कार्यशाला के बारे में बताया गया है कि 16 फरवरी, से 28 मार्च, 1979 तक के प्रशिक्षण के प्रथम चरण में 114 लेखा परीक्षकों को टिप्पणी और प्रारूप का प्रशिक्षण दिया गया। 120 लेखा परीक्षकों के प्रशिक्षण का द्वितीय बैच भी 6 अप्रल, 1979 से आरम्भ हो गया है।

हिन्दी में वैज्ञानिक पुस्तकों का निर्माण :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में भारत सरकार ने 1968 में भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय हिन्दी ग्रंथ निर्माण की वृहत योजना तयार की थी। इसके अंतर्गत 15 राज्यों में ग्रंथ निर्माण बोर्ड और हिन्दी ग्रंथ अकादमियों की स्थापना की गई थी।

जहाँ तक हिन्दी ग्रंथों के निर्माण का प्रश्न है--बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाँच हिन्दी ग्रंथ अकादमियाँ स्थापित की गई थीं। इनके अतिरिक्त दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों अर्थात् दिल्ली और बनारस में स्थापित दो पूर्णकालिक कक्षों में ग्रंथ निर्माण किया जा रहा है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में स्थित केन्द्रीय अभिकरण में आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी और कृषि की पुस्तकों का निर्माण हो रहा है। इन सभी अभिकरणों द्वारा वैज्ञानिक विषयों पर हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों का विवरण संलग्न है :—

वैज्ञानिक विषयों पर हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों का विवरण

क्र० सं०	विषय	बिहार			हरियाणा			मध्य प्रदेश		
		अनूदित	मौलिक	योग	अनू०	मौलिक	योग	अनू०	मौलिक	योग
1	2	3			4			5		
1	कृषि	2	2	4	—	—	—	—	6	6
2	नृ विज्ञान (मानव विज्ञान)	2	2	4	—	1	1	—	—	—
3	जीव विज्ञान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	वनस्पति विज्ञान	5	—	5	—	1	1	2	13	15
5	रसायन और जीव रसायन	3	3	6	3	5	8	5	19	24
6	इंजीनियरिंग	1	—	1	2	—	2	2	10	12
7	सामान्य विज्ञान	1	—	1	—	—	—	—	—	—
8	भूगर्भ शास्त्र	2	—	2	—	1	1	1	6	7
9	गृह विज्ञान	—	7	7	5	—	5	—	1	1
10	गणित और सांख्यिकी	8	—	8	5	3	8	—	15	15
11	औषधि शास्त्र	2	3	5	1	1	2	—	3	3
12	भौतिक शास्त्र	4	8	12	2	1	3	9	12	22
13	पशु विज्ञान	—	2	2	6	—	—	—	—	—
14	कीट विज्ञान	1	4	5	2	5	7	1	8	9
	योग	31	31	62	20	18	38	20	93	113

राजस्थान			हिमाचल प्रदेश			बनारस			दिल्ली			केन्द्रीय अभिकरण		
अनू०	मौलिक	योग	अनू०	मौलिक	योग	अनू०	मौलिक	योग	अनू०	मौलिक	योग	अनू०	मौलिक	योग
6			7			8			9			10		
—	—	—	17	6	23	—	—	—	—	—	—	7	22	29
—	—	—	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	10	15	3	24	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	27	28	4	25	29	2	2	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	—	5	5	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3	5	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14	15	3	2	5	—	—	—	7	—	7	—	—	—
	—		3	5	8	1	1	2	—	—	—	8	6	14
	10		7	6	13	20	7	27	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
			3	—	3	—	—	—	9	—	9	—	—	—
				74	122	25	10	35	16	—	16	20	33	53

पाठकों के पत्र

'राजभाषा भारती' के तीन अंक प्राप्त हुए। धन्यवाद।

बहुत ही दुख की बात है कि देश को राष्ट्रीय झंडा मिला। राष्ट्रगीत मिला। पर राष्ट्रभाषा की प्राप्ति नहीं हुई। 32 वर्षों की आजादी के बाद हमारे सारे प्रयत्न विफल हुए और हम अभी भी अंग्रेजी भाषा के गुलाम हैं। अब दूसरी आजादी के बाद आप सब लोगों का प्रयास लगता है, कुछ रास्ता निकाल लेगा। आपका प्रवेशांक सुंदर है और प्रायः सभी अंकों में जो निबंध हैं, उपयोगी हैं। कृपया श्री कल्याण मल लोढ़ा के सुझाव को अमल में लाने की कोशिश की जाए और मेरा विश्वास है कि बिना किसी नानु-नच के किसी भी योजना को अमल में लाया जाए तो हम हिन्दी को राष्ट्र भाषा के पद पर आसीन करने में निश्चित ही सफल होंगे।

आपको इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बधाई देता हूँ एवं भविष्य में मुझसे जो भी सहयोग चाहें, वचन देता हूँ।

——डॉ० रंजन,
सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति,
रक्षा मंत्रालय, दिल्ली।

'राजभाषा भारती' सचमुच महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। भारत सरकार के विविध विभागों, मंत्रालयों में हिन्दी की सतत प्रगति किस तरह हो रही है, इससे इसकी झलक मिलती है। संकल्पों को क्रियान्वित करना ही असली समस्या है। अतः मेरा अनुरोध है कि आप विभिन्न मंत्रालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के त्रमासिक वृत्त भी छापा करें। 'राजभाषा भारती' ऐसी जागरूक प्रहरी बने कि शथिल्य का निराकरण कर सभी विभागों को निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रेरणा देती रहे।

——विष्णु कांत शास्त्री,
रीडर, कलकत्ता विश्वविद्यालय,
280 चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता

'राजभाषा भारती' का तृतीय अंक मिला। पढ़कर प्रसन्नता हुई। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित यह पत्रिका राजभाषा संबंधी विशेष जानकारी प्रदान करती है। हिन्दी के हिमायतियों, साहित्यकारों, पत्रकारों और राजनयिकों तक के लिए यह उपादेय और संग्रहणीय है। इसका समुचित प्रचार-प्रसार आवश्यक है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रतिष्ठानों में होने वाले राजभाषा के कार्यान्वयन प्रगति एवं प्रगामी प्रयोग आदि का विवरण सचित्र उपलब्ध है।

——बाल कवि आर्य,
प्रधान सचिव, हिन्दी साहित्य परिषद्,
बोकारो इस्पात नगर

'राजभाषा भारती' के तीन अंकों की एक-एक प्रति मिली। धन्यवाद। पत्रिका के सुंदर संपादन-प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक बधाइयाँ स्वीकार करें। पत्रिका वस्तुतः सर्वथा उपादेय है।

——रामदयाल पाण्डेय,
अध्यक्ष, हिन्दी प्रगति समिति, पटना।

आपके मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी में एक लोकप्रिय त्रमासिक 'राजभाषा भारती' नामक पत्रिका प्रकाशित हो रही है, जो सरकारी कार्यालयों में निःशुल्क वितरित की जा रही है। हिन्दी को राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में इस पत्रिका का प्रकाशन आपके विभाग का एक सक्रिय सहयोग है जो वस्तुतः स्तुत्य है। इस सराहनीय प्रयास हेतु मेरी ओर से आप सभी संबंधित व्यक्तियों को हार्दिक धन्यवाद स्वीकार हो।

——धरणेन्द्र लडगे,
प्राचार्य, विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
विवेक विद्या मंदिर, नासिक (महाराष्ट्र)

आपकी यह पत्रिका हमारे निगम में बहुत सराही गई है और विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में यह तय किया गया है कि इस पत्रिका का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। आपसे अनुरोध है कि कृपया आप 'राजभाषा भारती' की 25 (पच्चीस) प्रतियाँ हमें नियमित रूप से भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि हम इन्हें अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर आने वाले विदेशी जहाजों पर भेज सकें।

——बालकृष्ण चोलकर,
सचिव, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, बम्बई।

आपके द्वारा संपादित और प्रकाशित राजभाषा भा
के कुछ अंक देखने का अवसर प्राप्त हुआ और यह ज
काफी प्रसन्नता हुई कि सरकारी पत्रिका में रा
विविध पहलुओं पर स्वच्छन्द रूप से वि
गया है। संप्रेषण की सहजता आपकी पत्रि

राजभाषा अधिकारी,

संशोधित हिंदी वर्णमाला

□□□□

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है। संघ की राजभाषा होने के नाते हिंदी को अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना है और संविधान के अनुच्छेद 351 अनुसार उसे भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी बनाना है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक समझा गया कि हिंदी वर्णमाला में इस प्रकार संशोधन किए जाएँ जिससे वह अधिक सरल और सहज ढंग से लिखी जा सके। हिन्दी वर्णमाला में कुछ वर्णों के दो-दो रूप प्रचलित हैं जैसे-अ-अ, झ-झ, ण-ण इत्यादि। इसी प्रकार पहले 'ख' इस प्रकार लिखा जाता था जिससे र और व का बोध होता था। 'घ' और 'ध' में भी केवल मामूली सा अंतर था, जिससे अहिंदी भाषियों को हिंदी वर्णमाला सीखने और सही ढंग से लिखने में कभी-कभी दिक्कत होती थी अथवा उनका अंतर समझने में कठिनाई होती थी। परिणामस्वरूप भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इस पर विचार किया और वर्णमाला में कुछ संशोधन कर उसे ऐसा रूप प्रदान किया जिससे वह अहिन्दी-भाषियों के लिए अधिक सरल और सुस्पष्ट हो सके। यद्यपि इस वर्णमाला को स्वीकृत हुए काफी समय बीत गया है किंतु भारत सरकार के प्रकाशनों तथा कार्यालयों में अब भी इसका ठीक ढंग से प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए राजभाषा विभाग ने 13 दिसम्बर, 1978 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी करके सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया था कि वे
...पने प्रकाशनों में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाशित
...ागरी-विकास, परिवर्धन और मानकीकरण' पुस्तक में
... हिंदी की मानक वर्णमाला और मानक वर्तनी आदि
...योग करें। (देखिए 'राजभाषा भारती' अंक-4
... इस पुस्तक के उपलब्ध न होने के कारण
...मख नियमों को 'राजभाषा भारती' में
... गया था। इनमें से 'मानक
...ती' के 5वें अंक के पृ०
...। यहाँ शिक्षा मंत्रालय
...पेक्षित स्पष्टीकरण

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार

द्वारा स्वीकृत

संशोधित वर्णमाला

स्वर

अ आ इ ई उ ऊ ऋ लृ

ए ऐ ओ औ अं अः

मात्राएँ

ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ ं :

व्यंजन

क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण

त थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व

श ष स ह

क्ष ज्ञ श्र ड़ ढ़

स्पष्टीकरण

1. हिंदी में ॠ (दीर्घ ॠ) का प्रयोग नहीं होता, अतः इसे स्वरों में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

2. संयुक्ताक्षर

(1) खड़ी पाई वाले व्यंजन :

ख ग घ च ज झ ञ ण त थ ध न

प ब भ म य ल व श ष क्ष ज्ञ

खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटा कर ही बनाया जाना चाहिए । यथा :

ख्याति, लग्न, विघ्न

कच्चा, छज्जा, व्यञ्जन

नगण्य

कुत्ता, पथ्य, ध्वनि न्यास

प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य

शय्या

उल्लेख

व्यास

श्लोक

राष्ट्रीय

स्वीकृत

यक्ष्मा

3. अन्य व्यंजन :

(क) 'क' और 'फ' के संयुक्ताक्षर बनाने का वर्तमान ढंग ही कायम रहेगा यथा :

संयुक्त, पक्का, दफ्तर ।
(संयुक्त, पक्का, दफ़्तर नहीं)

(ख) ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, और द के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगा कर ही बनाए जाएँ । यथा :

वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या आदि
(वाङमय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या नहीं)

(ग) संयुक्त 'र' के पुराने तीनों रूप यथावत् रहेंगे । यथा :

प्रकार, धर्म, राष्ट्र ।

(घ) 'श्र' का पुराना रूप जैसा 'श्री' में है वैसा ही कायम रहेगा ।

(ङ) 'त्र' के स्थान पर अब 'त' और 'र' का संयुक्त अक्षर 'त्र' रहेगा ।

(च) 'ह' का संयुक्त रूप वर्तमान प्रणाली के साथ ही हल् चिह्न लगा कर भी किया जा सकेगा । यथा: चिह्न और चिह्न
(चिह्न नहीं)

(छ) संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे ।

4. अन्य निश्चय जो 1953 में हुए थे वे ही कायम रहेंगे । यथा :

(1) शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा ।

(2) (क) फुलस्टाप को छोड़कर शेष विराम आदि चिह्न वही ग्रहण कर लिए जाएँ जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं । यथा :

(- — , ; । ? ! :)

(विसर्ग के चिह्न को ही कोलन का चिह्न मान लिया जाए)

(ख) पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई (।) का प्रयोग किया जाए ।

(ग) जहाँ तक सम्भव हो टाइपराइटर के कुंजीपटल में निम्नलिखित चिह्नों को सम्मिलित कर लिया जाए :

(ˎ ˙ . % " " ( ) + × ÷

= ‿)

(3) अनुस्वार और अनुनासिक दोनों (˙
रहेंगे ।

□ □ □

हिंदी राष्ट्रीय एकता की कड़ी है ।

□ □ □ □ □

1979 राजभाषाओं का वर्ष है

आइए

हम संघ सरकार का अधिक से अधिक

काम

राजभाषा हिंदी में करें

राजभाषा में काम करना गौरव की बात है

□ □ □ □ □

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी द्वारा नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित